The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023

and Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023

माननीय अध्यक्ष **:** आइटम नम्बर 12, जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 और आइटम नम्बर 13, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023 - माननीय मंत्री जी।

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री **(**श्री अमित शाह**) :** मैं प्रस्ताव करता हूँ:

?कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।?

और

?कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।?

माननीय अध्यक्ष **:** मंत्री जी, क्या आप कुछ बोलना चाहते हैं?

श्री अमित शाह **:** नहीं।

माननीय अध्यक्ष **:** प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ **:**

?कि जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।?

और

?कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 का और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।?

डॉ**.** अमर सिंह **(**फतेहगढ़ साहिब**) :** स्पीकर साहब, आपका बहुत**-**बहुत धन्यवाद। ? (व्यवधान)

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Sir, let the hon. Minister initiate the discussion. This is the convention of the House.

माननीय अध्यक्ष **:** वह विस्तार से रिप्लाई देंगे ।

? (व्यवधान)

श्री अमित शाह **:** सभी लोग बोलिए। आप मुझे बैठाना मत, मैं बहुत विस्तार से लंबा जवाब दूंगा। ? (व्यवधान)

डॉ. अमर सिंह : स्पीकर साहब, आज दो बिलों पर चर्चा हो रही है। इनमें एक जम्मू-कश्मीर रिज़र्वेशन अमेंडमेंट है और दूसरे में नॉमिनेशन्स की अमेंडमेंट है। जो रिज़र्वेशन वाला अमेंडमेंट बिल है, उसमें जिन शब्दों का उपयोग है, जो वर्ष 2004 का बिल है, उसमें वी कैन अंडर प्रिवलेज्ड क्लासेज वर्ड यूज्ड हैं, उसको नए बिल में अदर बैकवर्ड क्लासेज कर दिया गया है। वह तो इतना ही है। आप यह पॉजिटिव अमेंडमेंट ला रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में वी कैन अंडर प्रिवलेज्ड क्लासेज नाम में उनको सिर्फ दो परसेंट रिज़र्वेशन था। जब वह स्टेट से बाहर, हालांकि, अब वह स्टेट नहीं, यूटी है, लेकिन जब वे कभी सूबे से बाहर या भारत सरकार की किसी नौकरी में अप्लाई करना चाहते थे तो उनको ओबीसी वाला बेनिफिट नहीं मिलता था, क्योंकि नाम डिफरेंट था। इसलिए मैं इसको पॉज़िटिव अमेंडमेंट मानता हूं और मैं उसका सपोर्ट करता हूं। इसमें जो असली मुद्दा है और जब धारा 370 समाप्त की जा रही थी, तब ये सारी ओबीसी क्लासेज, जिनका अलग नाम वी कैन अंडर प्रिवेलज्ड क्लासेज था, उनसे वादा किया गया था कि जैसे सारे भारतवर्ष में 27 परसेंट रिज़र्वेशन मिलता है, वैसा आपको मिलेगा। जम्मू कश्मीर में तो अभी दो परसेंट मिलता है।

स्पीकर साहब, मैं आपके माध्यम से गृह मंत्री जी को विनती करूंगा कि नाम तो अच्छा हो गया, यह बढ़िया है, लेकिन नाम के साथ उन सभी ओबीसी क्लासेज की जो असली मांग है और आपने वहां वादा भी किया था, आप उसका क्या कर रहे है, सदन को वह जरूर बताइए? नाम चेंज तो हो गया, भारत सरकार में वे नौकरियों में अप्लाई कर पाएंगे, यह सही है, लेकिन अब जम्मू कश्मीर आपके पास है, वह यूटी है, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड है। आप दो परसेंट रिज़र्वेशन को किधर लेकर जा रहे है, यह मुख्य मुद्दा है? हम आपके माध्यम से गृह मंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वह जब भी जवाब दें तो इस बात का जवाब जरूर दें कि केवल नाम ही चेंज करना है या जो जम्मू कश्मीर के सारे ओबीसीज़ हैं, उनका रिज़र्वेशन का जो हक बनता है, वह भी दिया जाएगा? मैं पहली बात यही निवेदन करना चाहता हूं।

सर, दूसरी बात यह है कि इसके पास होने के बाद उनको नौकरियों में एजुकेशनल इंस्टिट्यूशंस में और सभी जगह फायदा होगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अच्छी बात हुई। लेकिन आज भी एससी, एसटी और ओबीसी के लिए एजुकेशनल इंस्टिटयूशंस में शिक्षा पाने या नौकरी में आरक्षण है, लेकिन उसको पाने के लिए आज जो मुद्दे हैं, उनके बारे में भी मैं गृह मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि क्या आप जम्मू-कश्मीर के लोगों को शिक्षा पाने के लिए कोई स्कॉलरशिप स्कीम भी देंगे। उनकी एजुकेशन में आप बढ़ोतरी कैसे करेंगे? वे कमजोर लोग हैं, गरीब लोग हैं, कैसे आप करेंगे, यह सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूं। क्योंकि, हायर एजुकेशन का जो इस मुल्क का तजुर्बा है, मैं हैदराबाद वाले उस केस का जिक्र यहां नहीं करना चाहता हूं। सर, जो एससी-एसटी के लड़के-लड़कियां पीएचडी किया करते थे, एमफिल. किया करते थे, उनका स्कॉलरशिप या तो बहुत कम कर दिया गया है या करीब-करीब बंद कर दिया गया है। अब वे चारों ओर भटकते हैं। जम्मू-कश्मीर वालों के साथ भी यही होना है तो मैं जम्मू-कश्मीर वाले मुद्दे को आज रेज़ करना चाहता हूं क्योंकि गृह मंत्री जी आप सारी सरकार देखते हैं। आप इसका जवाब जरूर दीजिए कि स्कॉलरशिप के लिए क्या करेंगे? स्कॉलरशिप एक बहुत बड़ा इश्यू है। सारे हिन्दुस्तान का इश्यू है, जम्मू-कश्मीर का इश्यू तो है ही, इसलिए मैं आपके सामने रेज़ कर रहा हूं।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपने जो वहां वायदा किया था, अब तो चार साल हो गए हैं तो आप इलेक्शन कब करवा रहे हैं, क्योंकि वहां डेमोक्रेसी तो लागू करनी चाहिए। आज नहीं तो कल जब भी करना है, आप इलेक्शन कमिशन का जवाब दे देते। आप गृह मंत्री हैं और जब तक आप नहीं कह देते कि मैं वहां फोर्सेस के साथ इलेक्शन करवा सकता हूं तब तक इलेक्शन कमिशन क्या करेगा? आपको इस बारे में भी बताना चाहिए कि आप उन लोगों को डेमोक्रेसी कब दे रहे हैं? आपन लद्दाख में इलेक्शन करवा दिए हैं और जम्मू-कश्मीर वाले

इलाके को छोड़ दिया है। मेरी आपसे विनती है कि उस पर भी हम लोगों को कोई न कोई बात अपने जवाब में जरूर बताइए।

अगली बात जो मैं आपसे करना चाहता हूं और वह बात मैं सारे हिन्दुस्तान के एक्सपीरियंस से करना चाहता हूं कि जम्मू-कश्मीर में भी वही होगा। सर, सारे हिन्दुस्तान में जो भारत सरकार के इंस्टिटयूट्स हैं, जो सेन्ट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो आपके आईटीआईज़ हैं, उनमें आज एससी-एसटी टीचर्स की कितनी भर्ती हुई है? लोक सभा में और राज्य सभा में भी जवाब दिया था कि इन इंस्टिटयूट्स में लगभग 60 परसेंट पोस्ट्स खाली पड़ी हैं। नॉमनक्लेचर तो बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन नॉमनक्लेचर से केवल मुद्दा नहीं सुलझता है, उसके साथ उस लाइन में जितनी बातें जुड़ी हुई हैं, उन सबका भी तो सोल्यूशन करना पड़ेगा। उनकी पोस्ट रिजर्व कर दी लेकिन उनकी भर्ती नहीं हो रही है। आप रिज़र्वेशन दे रहे हैं, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है तो वो लोग कहां जाएंगे? रिजर्वेशन मिल रहा है, लेकिन भर्ती नहीं हो रही है। सर, मेरे कहने का मतलब है कि आप प्रधानमंत्री जी के बाद सारी सरकार चलाते हैं तो आपसे जवाब इसीलिए मांग रहे हैं कि आपको किसी डिपार्टमेंट से भी पूछना है तो पूछ सकते हैं।

हिन्दुस्तान में एससी, एसटी और ओबीसी के स्टूडेंट्स की जो हालत है वह यह है कि पिछले कई सालों से जब से यह स्कॉलरशिप, ईवन जो जनरल पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप थी, वह भारत सरकार सौ प्रतिशत देती थी। बहुत सालों से, करीब 30-40-50 सालों से और आपकी सरकार आयी तो आपने 60-40 कर दिया कि हम 60 परसेंट देंगे और 40 परसेंट स्टेट्स दें। स्टेट्स की तो ऐसी हालत है कि वे तनख्वाह ही नहीं बांट पा रहे हैं। इससे यह हुआ है कि स्कूलों में, कॉलेजों में और हायर इंस्टिटयूशंस में एससी-एसटी बच्चों का नंबर बहुत गिर गया है। मैं आपको पंजाब का एग्ज़ाम्पल देना चाहता हूं कि आप सौ प्रतिशत देते थे तो एससी-एसटी स्कॉलरशिप साढ़े तीन लाख से चार लाख के करीब स्टूडेंट्स को मिलती थी।

पंजाब में साढ़े तीन लाख से चार लाख स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिलती थी, लेकिन अब एक लाख से भी कम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिल रही है। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब है कि पंजाब में करीब-करीब दो से ढाई लाख शेड्यूल कास्ट स्टूडेंट्स, चूँकि वहां ट्राइबल नहीं हैं, वे स्टूडेंट्स कॉलेजों और स्कूलों से निकल गए हैं, क्योंकि उनकी अफोर्ड करने वाली हालत नहीं है। इसलिए मैं आपके सामने यह मामला रेज़ कर रहा हूँ। यह मामला जम्मू कश्मीर में भी इश्यू बनेगा। इसलिए मेरी आपसे विनती है कि जब आप कानून ला रहे हैं तो क्रॉम्प्रिहेंसिव सारी चीजें लेकर आइए और उसके साथ ही आप हमें सारी चीजें बताइए।

यही नहीं, आज आईटीआईज तथा हर इंस्टीटयूशन्स में स्टूडेंट्स के द्वारा जो सुसाइड हो रहे हैं, उस पर आपकी सरकार क्या कर रही है, उसके बारे में भी आप हमें बता दीजिए। इस बात पर बहुत सारे मुद्दे हैं। मैं आपके अमेंडमेंट का तो सपोर्ट करता हूँ, लेकिन यह मेरी विनती है कि इससे जुड़े दूसरे जो मुद्दे हैं, आप उन सबका ए टू जेड कोई समाधान कीजिए और हम लोगों को गाइड कीजिए।

सर, आप जो दूसरा अमेंडमेंट ला रहे हैं, जिसमें तीन लोगों को नॉमिनेट करना है, उसमें मेरी छोटी सी विनती है कि जम्मू कश्मीर में पंजाबी लोग भी बहुत बसते हैं। स्पेशली जम्मू रीजन में ज्यादा हैं, श्रीनगर में कम हैं। पंजाब की ओर से मैं विनती करना चाहूंगा कि उन तीन लोगों में हमारा भी कोई आदमी नॉमिनेट कीजिए। मैं पगड़ी वाला नहीं कहूँगा, लेकिन कोई पंजाबी तो कर दीजिए। वहां पर काफी पंजाबी रहते हैं। बाकी आप और किसी को भी नॉमिनेट कीजिए। ऐसा न हो कि उसमें पंजाब इग्नोर हो जाए। वहां पर पहले पंजाबी लैंग्वेज चलती थी, वह भी बंद कर दी गई है। उसे भी चालू कीजिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जम्मू कश्मीर के बहुत सारे

इश्यूज़ हैं। आप अच्छे अमेंडमेंट्स लेकर आए हैं, लेकिन इसके साथ में इससे जुड़े हुए मुद्दों को भी निपटाने का काम कीजिए।

मैं अंतिम बात कहना चाहता हूँ कि भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरीज़ और सेक्रेटरीज़ पद में एससी, एसटी और ओबीसी के नम्बर्स बढ़ाइए। मैं एग्जेक्ट परसेंटेज बोलना नहीं चाहता हूँ। मुझे पता है, लेकिन मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। आप जब उन्हें भारत सरकार में लेकर आते हैं तो उन्हें अच्छी पोस्टिंग भी दीजिए। मैं किसी भी डिपार्टमेंट का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ।

हमारे प्रधान मंत्री जी एससी, एसटी और ओबीसी के भले की काफी बातें करते हैं इसलिए उन वर्गों के जो लोग आई.ए.एस., आई.पी.एस. बन गए हैं, उनको भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में इंपॉर्टेंट पोस्टिंग दे दीजिए। आप अभी पावर में हैं। मैं इस बिल का समर्थन करता हूँ, लेकिन मैंने जो दूसरी विनतियां की हैं, उनका मैं जवाब चाहता हूँ।

श्री जुगल किशोर शर्मा (जम्मू): अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेन्द्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी का बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ कि वे यहां पर जम्मू कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक, 2023 और जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक लेकर आए हैं।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर की जितनी भी समस्याएं हैं, उनके लिए आज ही डिमांड नहीं आई है या आज ही उसकी जरूरत नहीं पड़ी है, बल्कि उसकी वर्षों से जरूरत थी, लेकिन स्वार्थ की राजनीति करते हुए वहां की जो पिछली सरकारें रही हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। विशेष तौर पर कांग्रेस जो कि वोट बैंक की राजनीति करती है और हमेशा से करती आ रही है, लोक-लुभावन नारे भी देती है, लेकिन समस्याओं का समाधान करने का प्रयास उनका कभी नहीं रहा है।

मैं कहना चाहता हूँ कि वर्ष 2019 में धारा 370 हटने के बाद जब जम्मू कश्मीर को इंसाफ मिला और वे सारी बेसिक सुविधाएं, जिनके लिए जम्मू कश्मीर के लोग हकदार थे, 70 वर्षों से वंचित थे, उनको आज वे सारी सुविधाएं भी मिल रही हैं।

एक के बाद एक वे सारे विधेयक, कानून जम्मू-कश्मीर में लागू हो रहे हैं, जो कि पहले से ही होने चाहिए थे। आज जिस विधेयक की यहां पर बात हो रही है, एक बहुत बड़े वर्ग की यह डिमांड भी थी। कुछ ऐसे भी लोग थे, जो इससे वंचित थे। आज देश के गृह मंत्री जी ने यहां पर यह विधेयक लाकर उन सभी वर्गों के लोगों के साथ इंसाफ किया है।

महोदय, यहां पर हमारे भाई कह रहे थे कि दुर्बल और शोषित वर्गों के नाम से जो विधेयक था, इसे अन्य पिछड़ा वर्ग के नाम से करने का यहां पर उपबंध है। अब यह पूरे देश की भांति जम्मू-कश्मीर में भी लागू हो जाएगा और इसी नाम से जाना जाएगा। यहां पर चर्चा हो रही थी कि नाम बदलने से कुछ नहीं होता है।

महोदय, जम्मू-कश्मीर में एक के बाद एक कानून बदले गए हैं। उन सभी का लाभ जम्मू-कश्मीर की जनता को मिल रहा है। विशेष तौर पर धारा 370 हटने के बाद वहां के माता-बहनों, नौजवानों और वाल्मीकि समाज के लोग, जो गोरखा समाज के लोग थे, जो वेस्ट पाकिस्तान के हमारे रिफ्यूजीज थे, उनके अलावा भी ऐसे कई लोग थे, जिनको 70 वर्षों तक इंसाफ नहीं मिला था। जैसे ही यह बदलाव आया तो उनको भी सारे लाभ मिल रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इस विधेयक के पास होने के बाद ये सारी सुविधाएं हमारे अदर बैकवर्ड क्लासेज के भाइयों को मिलेंगी। विशेष तौर पर यहां पर कहा गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरियों में उनको आरक्षण नहीं

मिलता था, लेकिन आज यह आरक्षण बढ़ भी जाएगा और सेंटर में भी उनको ये सारी सुविधाएं मिलेंगी। अब इन वर्गों को भी बराबर का हिस्सा मिलेगा।

महोदय, चाहे शिक्षा आधारों की बात हो या दूसरे आधारों की बात हो, जो आज तक वहां पर नहीं होते थे, वे आज वहां पर होंगे। उनकी यह डिमांड थी और उसके लिए उन्होंने कई बार संघर्ष भी किए। मुझे यह कहते हुए खुशी होती है कि अब तक जम्मू-कश्मीर में ओबीसी आरक्षण नहीं था। जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक के जरिए, जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम, 2004 में बदलाव का प्रावधान किया गया है। इसके तहत कमजोर और वंचित वर्गों की शब्दावली को बदल कर अन्य पिछड़ा वर्ग कर दिया जाएगा। इस विधेयक के कानून बनने के बाद पहली बार राज्य में ओबीसीज को दूसरे राज्यों की भांति सरकारी नौकरियां, छात्रवृति और आरक्षण सहित अन्य लाभ भी मिलेंगे। उन्हें संवैधानिक अधिकार हासिल होगा। इसके साथ-साथ जहां तक मेरी जानकारी है, कुछ और ऐसे समाज के लोग थे, जैसे जाट समाज के लोग थे, वे भी इस कैटेगरी में आ जाएंगे। उनको इसका इंतजार बहुत पहले से ही था।

महोदय, केन्द्र सरकार ने समय-समय पर जम्मू-कश्मीर की उन्नति और जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए एक नहीं, बल्कि अनेक कदम उठाए हैं। जम्मू-कश्मीर का चहुंमुखी विकास हो ही रहा है। इसके साथ-साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यहां पर बहुत बड़ी तादाद में विस्थापित कश्मीरी पंडित के अलावा पाक अधिकृत जम्मू-कश्मीर, जिसे हम पीओके कहते हैं, वहां के विस्थापित भी जम्मू-कश्मीर में रहते हैं। लोगों की यह भी बहुत बड़ी डिमांड आ रही थी कि हमें भी मौका मिले और हम भी अपनी बात रख सकें। इसलिए इस विधेयक में विस्थापितों के लिए एक सीट आरक्षित करने का प्रावधान रखा गया है और कश्मीरी पंडितों के लिए दो सीट्स आरक्षित करने का प्रावधान यहां पर रखा गया है। इससे उनमें खुशी की एक लहर भी है और मैं कहना भी चाहता हूं कि देखिये, कभी भी किसी का ध्यान इस ओर नहीं गया है। आज केन्द्र में देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में यहां पर सरकार चल रही है और गृह मंत्री जी के नेतृत्व में अब जाकर उनके साथ इंसाफ होने की घड़ी आई है।

महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस विधेयक के साथ-साथ ही हमारा जो वाल्मीकि समाज है, इसे भी इंसाफ मिलने वाला है एवं बाकी कुछ और भी प्रावधान इसमें रखे गए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि जब से देश में प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से उन्होंने हर वर्ग, हर समुदाय के साथ इंसाफ किया है। उसी की एक कड़ी में आज हमारे कुछ वर्ग ऐसे थे, जो पीछे रह रहे थे, उनके साथ भी इंसाफ होने जा रहा है।

महोदय, मैं इतनी ही बात कहते हुए इस विधेयक का समर्थन करता हूं और एक बार फिर अपने प्रधान मंत्री और गृह मंत्री जी का धन्यवाद करता हूं।

PROF. SOUGATA RAY (DUM DUM): Sir, I rise to speak on the two Bills, the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 and the Jammu and Kashmir Reorganization (Amendment) Bill, 2023.

Let me start by talking about the situation in Jammu and Kashmir since Mr. Amit Shah took over as Home Minister. One of the major steps taken by him was to abrogate Article 370, and then covert the State of Jammu and Kashmir into two Union Territories, one is Jammu and Kashmir and the other is Ladakh. It is for the

first time in the history of Indian Constitution. Earlier, the Union Territories had been converted into States, and here Mr. Amit Shah?s was the retrograde step of converting a State into a Union Territory.

Sir, before I speak on the Bill, let me ask him, through you, what he has achieved. What has he achieved by taking this retrograde step? The militancy has not been controlled. Only two weeks back, we lost a Major, a Company Commander at the hands of militants. Then, we lost two Captains of the Army in Kalakote. So, this is the peace which has been brought by Mr. Amit Shah.

What is the change taking place in Jammu and Kashmir? Has investment come in a big way? Has employment been granted in a big way? No. All that is happening is some cultural and sports events are taking place in Kashmir, and we are showing them to the tourists that all is well. But not all is well in the State of Denmark, Hamlet used to say; all is not well in the State of Jammu and Kashmir. The Governor just goes for the cultural and sports events. He does not go to inaugurate factories. He does not do anything to improve the cultivation of saffron in the Valley. Many of my friends including Satabdi went to Kashmir recently. She said, Dada, speak about unemployment in Kashmir. The Kashmiri youth demands employment.

Sir, let me, before I go into the Bill, go into the history of Jammu and Kashmir. A part of it is given in the Statement of Objects and Reasons of the second Bill. In 1947-48, the first aggression took place. Pakistan occupied a part of Kashmir which is known as PoK, Pak-occupied Kashmir. Then, during 1965 war and again during 1971 war, parts of Kashmir were troubled. The hon. Minister has given the total number of families as 41,804 which were displaced during the three wars. That process has not been reversed. What has happened in Kashmir is that maybe due to misgovernance and many acts of commission and omission by the Centre, Kashmir went into the hands of militants from 1989-90. People were killed and Pakistan-inspired militants ruled in the Valley. We have gone through that time and that was the time when a large number of Hindu migrants went away from Kashmir Valley. The sufferings of these people have not ended. The total number of such families is 46,570 which left during militancy. The total number is 1,58,976 who have registered themselves as displaced persons. The Government promised much. Have they been able to bring those Hindu migrants, the pandits, who left the Valley? No, they have not been able to do that.

Sir, through you, I ask the hon. Home Minister what the roadmap is. Nothing can be done in Kashmir unless you hold election. Last election was held in 2014. For

almost ten years, there has been no election. How can you rule a State without giving power to the people to elect? One person Mr. Manoj Sinha was in Parliament with us. He has gone there as Governor. What is his connection with Jammu and Kashmir? Jammu and Kashmir should be ruled by the people of Jammu and Kashmir. ? (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे **(गोड्डा) :** सर, यह कोई विषय है? ये नाम कैसे ले सकते हैं? ? (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: I have read all the Directions. ? (*Interruptions*)

डॉ. निशिकांत दुबे **:** एलजी उसी राज्य का नहीं होता है।? (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, he is a disturbing element. ? (*Interruptions*) He is a professional heckler. I do not want to listen to him. ? (*Interruptions*)

माननीय अध्यक्ष **:** आप लोग बैठिए। वे नियम की बात कर रहे हैं।

? (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: Ms. Mahua Moitra is also not in the House.

Sir, my demand is that he should announce a timeframe for holding elections in Jammu and Kashmir. Now, they have promised that there will be reservation and the reservation will be changed to OBCs. Now, it is mentioned as ?weak and under-privileged classes? and they want to change that to ?Other Backward Classes?, that is OBCs.

Now, there is no State, no Assembly. This is a State law and you are making the changes here. You are making a big change there for the first time. From migrant families, they are nominating not more than two members, one of whom shall be a woman from the community of Kashmiri migrants, people who belong to Kashmir and who have left. This was recommended by the Delimitation Commission. Also, one member is being nominated from the displaced persons from Pakistan Occupied Kashmir. There is no Legislative Assembly. Why are you making these changes? Have a Legislative Assembly, then bring these amendments. I do not know what is the hurry. The hurry should be in having elections.

I want to state that the step of the BJP Government to abrogate Article 370, abolish the State of Jammu and Kashmir into a Union Territory and a Union Territory for Ladakh ? I have told you ? is a retrograde step. They did it just to fulfil the BJP?s

election promise: ?एक प्रधान, एक विधान, एक निशान? ? यह श्यामा प्रसाद बाबू के समय स्लोगन होता था, उसी को पूरा किया है। यह कश्मीर के लोगों के लिए नहीं है।

Kashmir has been a conflict point. It is India?s position that Kashmir is an integral part of India. It is also India?s position that the territory of Pak Occupied Kashmir should be brought back to us. Does the Home Minister have any time frame as to when he is going to get Pak Occupied Kashmir into India? No. Everything is in the air. He is bringing two laws. Kashmir is called the paradise on Earth. It is the most beautiful valley anywhere in the world. Will Kashmir remain only a tourist place? Will we have a tourist territory of Jammu and Kashmir or will it be for the people of Jammu and Kashmir to have a proper Legislative Assembly?

माननीय अध्यक्ष **:** दादा, इस सदन के ज्यादातर माननीय सदस्य, मेरे ख्याल से, अनुच्छेद 370 हटने के बाद कश्मीर गए हैं। कश्मीर आज भी वैसा ही है, जैसा पहले था।

? (व्यवधान)

विधि और न्याय मंत्रालय के राज्य मंत्री**;** संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री **(**श्री अर्जुन राम मेघवाल**) :** सर, उससे अच्छा है। ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** आप उनको मत बताइए, वे पूरी बात को सुनते हैं। अभी उनके कान कमजोर नहीं हुए हैं।

? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** दादा, आप बोलिए।

? (व्यवधान)

PROF. SOUGATA RAY: Sir, this is a matter of opinion. This opinion is voiced by those who go to Kashmir as tourists saying, ?Oh! Dal Lake; Shikaras are so nice; the cherries are blossoming; and the apples are there on the trees. What about the people of Jammu and Kashmir who live in Baramulla, Anantnag, Kokernag and in various other places of Kashmir? What is their condition? Kashmir is not for tourists. Kashmir is for the people of Jammu and Kashmir. Give it back to them. आज मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्री जी अनाउंस करेंगे कि कब जम्मू कश्मीर में चुनाव होंगे? ? (व्यवधान) डीलिमिटेशन कमीशन ने अपना काम पूरा किया है। आज आप कानून पास कराएंगे कि कश्मीरी माइग्रेंट्स में से दो लोग आएंगे और डिसप्लेस्ड लोगों में से दो लोग आएंगे। यह ठीक है, लेकिन आप बोलिए कि हम जल्द ही जम्मू कश्मीर में लजिस्लेटिव असेंबली बनाने जा रहे हैं। हमने जो किया था, उससे हमने सोचा था कि कुछ बनेगा, लेकिन कुछ बना नहीं। हम कश्मीर में शांति लाने में नाकामयाब रहे।

Sir, in this discussion, I do not want to oppose these Amendments because there is nothing wrong in having two nominated Members from Kashmiri migrants. But everything is wrong in the Government?s handling of Jammu & Kashmir, particularly Mr. Amit Shah?s handling of Jammu & Kashmir. He took it in his hands कि मैं करूँगा, जो श्यामा प्रसाद बाबू चाहते थे, मैं धारा 370 को ऐब्रोगेट कर दूँगा। मैं कश्मीर को, एक स्टेट को यूनियन टेरिटरी बना दूँगा और वह जगह पिछड़ा रह जाएगा। आज यहाँ बैठकर कश्मीर के लोग बहुत सफर किए हैं। हमारी दो जंग हुई थीं, वर्ष 1965 में और वर्ष 1971 में। वर्ष 1947 में पाकिस्तानी हनादार, They are called invaders. They captured part of Kashmir and again the militants took control of the valley and because of that people had to leave.

We must restore normalcy in Jammu and Kashmir. We want to see elections take place there. We want to see a nationalist person like Mr. Farooq Abdullah again occupy the Chief Minister?s Chair and only then will Kashmiris realise their Kashmiriyat. Kashmir is very special. ? (*Interruptions*) उनकी एक अलग कश्मीरियत है।? (व्यवधान) वहाँ कोई हिन्दू-मुसलमान का झगड़ा नहीं है।? (व्यवधान) यह आप वहाँ पर मत लगाइए।? (व्यवधान) कश्मीर, कश्मीरी को कश्मीरियों से चलाया जाए, दिल्ली से नहीं और दिल्ली से भेजे गए गवर्नर से नहीं। मैं यही बात इन दो कानूनों के बारे में बोलना चाहता हूँ। अमित शाह आज मान लें कि उनकी जो कोशिश थी, कश्मीर में नया कुछ दिखाने की, जब-जब फूल खिले, फूल खिलाने की, वह नाकामयाब रही है। कश्मीर फिर लोकतंत्र के रास्ते पर चले, यह माँग करके मैं अपना छोटा सा भाषण समाप्त करता हूँ। जय हिन्द।

वाणिज्य और उद्योग मंत्री**;** उपभोक्ता मामले**,** खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री तथा वस्त्र मंत्री **(**श्री पीयूष गोयल**):** महोदय, मैं उम्मीद करता था कि दादा पश्चिम बंगाल से आते हैं, उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का नाम तो लिया, लेकिन मुझे उम्मीद थी कि शायद उनके बलिदान के बारे में कुछ बोलेंगे कि उन्हें बलिदान करना पड़ा है, तब जाकर कश्मीर में बदलाव आया। आपको जरा सोचना चाहिए कि आप यह बात आज की कर रहे हैं, लेकिन कश्मीर की क्या हालत रही है? जिस तरीके से आप लोगों के शासन में, जब आप यूपीए और कांग्रेस को समर्थन करते थे, आपने कश्मीर की क्या हालत बनाकर रखी थी? ? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** माननीय मंत्री जी**,** बैठ जाइए ।

? (व्यवधान)

श्री पीयूष गोयल **:** आपने नेशनलिस्ट लीडर की बात की।? (व्यवधान) नेशनलिस्ट लीडर के नीचे क्या हालत थी? कश्मीर में पहले कितने लोग मरते थे?? (व्यवधान) कितने मेजर रोज मरते थे? ? (व्यवधान) कितने आतंकवादी वहाँ पर घुसे हुए थे? दादा, इसका तो जिक्र करना चाहिए था।

माननीय अध्यक्ष **:** श्रीमती बीवी सत्यवती।

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री **(**श्री अनुराग सिंह ठाकुर**):** महोदय, मुझे एक मिनट का मौका दीजिए।? (व्यवधान)

माननीय अध्यक्ष **:** अगर आप बोलेंगे तो आपको बोलने का पूरा मौका देंगे।

श्री अनुराग सिंह ठाकुर **:** महोदय, बदलाव इतना ही है, पहले पथराव होते थे, लोगों को मारा जाता था, आज कोई पथराव धारा 370 और 35(ए) हटने के बाद नहीं हो रहा है।? (व्यवधान) मैं वर्ष 2011 की घटना बताता हूँ। नेशनल कांफ्रेंस की सरकार थी, तिरंगा झंडा हमें नहीं फहराने दिया गया। लोक सभा और राज्य सभा के दो विपक्ष के नेताओं को जेल में डाला था। आज लाल चौक पर भी क्या, कश्मीर की गली-गली में तिरंगा झंडा फहराया जाता है। यह बड़ा बदलाव देखने को मिलता है। अगर और उदाहरण चाहिए तो और भी उदाहरण मिलेंगे।? (व्यवधान) अभी इस पर चर्चा होगी।? (व्यवधान) लेकिन कोलकाता में वहाँ पर बैठकर विकसित भारत की यात्रा को न निकालने दिया जाए, देश में जो विकास नरेन्द्र मोदी जी की सरकार कर रही है, उन गाड़ियों को वहाँ पर बंद कर दें और आप जेल में डाल दें, यह आपने बंगाल को क्या किया है।? (व्यवधान) यह सुधार कश्मीर में हुआ है।? (व्यवधान) जो बंगाल को आपने बिगाड़ने का काम किया है।? (व्यवधान)

प्रो**.** सौगत राय**:** श्यामा प्रसाद जी की चिंता थोड़ी सांप्रदायिक थी । हम उन्हें मानते हैं। मैं जिस कॉलेज में पढ़ाता था, वह कॉलेज श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के नाम पर है।

?एक प्रधान, एक विधान, एक निशान?, यह उनका स्लोगन था और पॉलिटिकल स्लोगन था, लेकिन? (व्यवधान)

गृह मंत्री तथा सहकारिता मंत्री **(**श्री अमित शाह**):** अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ऑब्जेक्शनेबल है कि इस देश में ?एक निशान**,** एक प्रधान और एक संविधान? के लिए कहना कि यह एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। मुझे लगता है कि दादा आपकी उम्र हो चुकी है। एक देश में दो प्रधान मंत्री कैसे हो सकते हैं**?** एक देश में दो संविधान कैसे हो सकते हैं? एक देश के दो झंडे कैसे हो सकते हैं? ? (व्यवधान) वह गलत है। जिन्होंने ने भी यह किया था, उन्होंने गलत किया था। नरेन्द्र मोदी जी ने इसे सुधारने का काम किया है। आपकी सहमति या असहमति से क्या होता है? पूरा देश ऐसा ही चाहता था और यह कोई चुनावी नारा नहीं है। हम वर्ष 1950 से कह रहे थे कि इस देश में ?एक निशान, एक विधान और एक प्रधान? होना चाहिए, दो नहीं चलेंगे और हमने कर भी दिया।? (व्यवधान)

DR. BEESETTI VENKATA SATYAVATHI (ANAKAPALLE): Sir, Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill substitutes weak and underprivileged classes with Other Backward Classes as declared by the UT of Jammu and Kashmir. The definition of weak and underprivileged classes is deleted from the Act. This is done to remove the confusion amongst the competent authorities due to differences in such nomenclature for issuing certificates to eligible persons.

Sir, with less confusion and more inclusion in education and employment, the State can work towards increasing the literacy rate, employment opportunities for OBCs, empowering the communities for brighter future, and giving an opportunity to come out of poverty.

A few suggestions are there from YSR Congress Party, under the dynamic leadership of Shri Y. S. Jagan Mohan Reddy *garu*. The first suggestion is regarding conducting caste census. Current and comprehensive census detailing the population of OBC is indispensable for effectively implementing developmental schemes aimed at the marginalised classes in various States and Union Territories.

Conducting a fresh OBC census should be the initial step towards the welfare of the community. So, there needs to be quantitative and qualitative data to understand how our schemes aimed at OBCs are benefiting them.

<u>14.48 hrs</u> (Dr. (Prof.) Kirit Premjibhai Solanki *in the Chair*)

As I come from the State of Andhra Pradesh, under the dynamic leadership of our hon. Chief Minister, Shri Y. S. Jagan Mohan Reddy g*aru*, we are in the process of conducting our own caste census within the State. The backward castes in Andhra Pradesh constitute nearly 50 per cent of the population with 139 subcastes. The goal of a caste-based census is to offer clarity on several aspects such as distribution of population in terms of different castes and subcastes, and understanding the socioeconomic status of the most backward castes which will help the Government to plan and maximise the outcomes of the policies and welfare programmes.

Next suggestion is regarding setting up of a dedicated Ministry for other backward castes. According to the National Sample Survey, the OBC population is at 41 per cent. To accommodate all the needs and necessities of the OBC community, we should consider setting up of a Central Ministry for Other Backward Classes as we have done for SCs and STs. The Ministry for OBCs can do wonders with the centralised planning, policies and welfare schemes for OBC communities which will uplift the communities socially and economically. This Ministry can also serve as a platform where the OBCs can raise their grievances, avail benefits such as scholarships and also have the task to ensure the OBC reservation is being followed in letter and spirit across the country. I request the hon. Home Minister to look into this aspect.

The third point is related to reservation in the State Legislative Assemblies. I urge the Central Government to move towards the idea of having reservations for OBC communities in State Legislative Assemblies also. This will enhance the political development of the OBCs remembering the Baba Saheb Ambedkar ji?s idea of achieving political diversity by empowering backward castes by breaking the barriers by reservation. So, it is an essential step towards maintaining inclusivity and diversity in our political system.

The fourth point I want to mention is regarding nationwide skill development programmes. According to the National Sample Survey, the OBC population stands

at 41 per cent. While there are currently numerous schemes in place aimed at enhancing the education of OBCs and providing valuable resources like scholarships, the apparent absence of national schemes addressing skill training programmes is there. Introduction of nationwide schemes for skill development programmes targeted specifically for the OBCs will make the community job ready.

The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 marks a significant step towards clarity and inclusivity by replacing the term `weak and underprivileged classes? with ?Other Backward Classes?. The legislation aligns the involvement of social dynamics of Jammu and Kashmir. Hence, I urge upon the Central Government to conduct the Caste Census along with the population Census, provide OBC quota reservations in State Legislative Assemblies, establish a Ministry for OBCs and introduce more schemes targeting the specific needs of OBCs which will help the community nationwide.

I want to quote one sentence which our hon. Chief Minister garu frequently says, ? backward classes who are there are not backward, they are the backbone classes of the society. Hence, I bring it to the notice of this August House.

I support this Bill from the YSR Congress Party and also request the Government to take into consideration the suggestions made by the YSR Congress Party.

DR. DNV SENTHILKUMAR S. (DHARMAPURI): Hon. Chairperson, Sir, thank you for giving me an opportunity to speak on the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023.

Sir, first of all, coming to Jammu and Kashmir, it is seen as a Union Territory. As has already been said, it is always the case that a Union Territory looks ahead of getting a Statehood, so that they can have more authority. But this is the first instance where we see a State being converted into a Union Territory. And what is the main reason behind the same? The BJP has just won many of the States? elections and they have come to this House. They see themselves and their strength is always seen as winning elections after elections and going after micromanagement. But what happens in Jammu and Kashmir? Why are they not able to do it? Since they have not been able to do that, they converted the State into a Union Territory whereby they can have a control over the Governor and then they can run the governance through that control. If they had been very capable and if they had been confident of winning Jammu and Kashmir, would they have gone in for a Union Territory? So, that is the main reason that the people of this country should

think that the power of BJP of winning elections mainly lies in the Hindi heartland States, what we generally call as ...* States. You cannot come to South India! You can see what happened in elections results in all the States of Tamil Nadu, Kerala, Andhra Pradesh, Telangana and Karnataka. We are very strong over there. We will not be surprised if you have an option of converting all these States also into Union Territories so that you can come into power indirectly because you can never dream of setting foot over there and taking control of all the Southern States.

Hon. Chairperson, Sir, as regards the Reservation Bill, we should first look into the history. Dravadian ideologies have always been strong and pro-reservations. In the early years, during or before Independence, the country was ruled by a minority of three per cent people having a majority say in all Government jobs, education and everywhere. It was the Dravadian ideology, it was our forefathers of DMK, and it was the Justice Party which brought in the Reservation Act for work and education for OBCs and other classes in the year 1926. Till then, it was the marginalised people and only a section of the people of three per cent who had jobs and other things. So, in the year 1926, it was the first time in India, particularly in Tamil Nadu, the Justice Party brought all these reservations for people so that people from all classes can take part in governance.

After India obtained independence in 1947, it was struck down by the Madras High Court saying that this reservation shall not exist anymore. Then again, we went to the Supreme Court. The same thing was done there. It was struck down and no reservation was there. It was the great Dravidian ideology of our leader, Thanthai Periyar who, along with the then Prime Minister Jawaharlal Nehru and the then Law Minister Ambedkar, sought that we needed reservation in work and in education as it was completely necessary. Fight after fight, at last, the Union Government under the leadership of Prime Minister Jawaharlal Nehru agreed for reservation in work. But Thanthai Periyar and our leaders then struck it down. They said that if you give reservation only in work, who is educated? Only those people who are educated, the three per cent of the society, will again get work. So, they again fought; they had many, many other protests. Then, at last, in 1951, the first amendment to the Constitution was done. It was then declared through the first amendment that there will be reservation given in both work and in education. That is how education and work have come into picture and reservation has come into place. Lakhs of people have come into governance and in other places.

Taking the four pillars of democracy, we have reservation in Legislature. It is very good that we have come to such a stage and now this Government has also introduced the Women?s Reservation Bill which is very good. But coming to Executive, there is no reservation for OBCs. It is fully dominated by other caste people, so-called forward caste people and it has a marginalised section of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes. So, we would like to urge upon this Government to give more importance to OBCs in the Executive. DMK is always seen as a champion of the OBCs. In the recent 27 per cent medical quota for OBCs, it was our Government that had gone to court after court and got the final verdict in the Supreme Court so that we could have the 27 per cent OBC quota not only for Tamil Nadu but for the whole of India. It has been achieved only after the efforts of our Chief Minister Mr. M.K. Stalin. He is seen as the hero of the OBCs.

Again, coming to the Judiciary, it is also fully dominated by the people of so-called forward castes. There is no reservation for OBCs. So, that reflects on the judgement of the cases too. So, we also ask and request the Government through you, Sir, to bring in reservation for OBCs in the Judiciary also.

Coming to Jammu and Kashmir, they have brought in this reservation Bill. Tamil Nadu has a very good rapport and relationship with Jammu and Kashmir. During Emergency, the father of Mr. Farooq Abdullah, Mr. Sheikh Abdullah was held in Tamil Nadu; he was safeguarded in Tamil Nadu by the then Chief Minister Kalaignar Karunanidhi. Still in the memory of that, we have Mr. Abdullah?s guest house in Kodaikanal as a very renowned and a very sacred place over there. When Article 370 was brought, it was our leader Mr. M.K. Stalin who had brought together all the allies and fought against this very Government in the heart of Delhi and we voiced it out. So, Tamil Nadu and Jammu and Kashmir always have a very good relationship. They say that it is governed by a reservation Act because the legislation of J&K is not in place. Why is J&K legislation not in place? It is because of this Government. What is to be enacted by the State is now being enacted by this very House of the Parliament.

We would also like to make a very sincere request. The caste census which has been pending for a very long time throughout the country, should be conducted at once as demanded by our Chief Minister Mr. M.K. Stalin. We told what the struggles are that we have got for OBCs, but we see this Government just handing over on a golden platter, 10 per cent reservation to the economically weaker sections. Nobody fought for it. Nobody has asked for it. Nobody has protested for it. But this

Government is seen in appeasing overcast. But the same quota, the same marks for an OBC, SC or ST is much, much higher than what has been handed over to the economically weaker section, the 10 per cent reservation. So, I would request this Government to look into the EWS and to give in more quota for OBCs and to conduct a caste census at the earliest.

Sir, thank you for giving me this opportunity.

15.00 hrs

श्री कौशलेन्द्र कुमार (नालंदा): सभापति महोदय, आपने मुझे जम्मू-कश्मीर आरक्षण संशोधन विधेयक और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

महोदय, यह विधेयक मूल रूप से जम्मू-कश्मीर आरक्षण अधिनियम 2004 में कुछ संशोधन के लिए लाया गया है। अब दुर्बल और शोषित वर्गों (सामाजिक जातियां) के स्थान पर अन्य पिछड़ा वर्ग करने की बात कही जा रही है। इन शब्दों के कारण जो भम्र और परेशानियाँ थीं, वह अब दूर हो जाएंगी। यह बहुत ही अच्छा कदम है। कई धाराओं और उप-धाराओं में भी संशोधन होने जा रहा है। यह सब उपयुक्त प्रक्रियाओं का पालन करने के साथ होने जा रहा है। अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों की सूची में भी कई जातियों को शामिल किया जा रहा है, जो राज्य की मांग के अनुरुप है। इसी प्रकार देश के अन्य राज्यों से भी काफी सुझाव आए हैं, उन्हें भी सरकार को ध्यान में रखने के लिए मैं अपनी मांग रखता हूं। जम्मू-कश्मीर की करीब 16 जातियाँ और लद्दाख क्षेत्र की 12 जातियाँ अब अनुसूचित जाति में शामिल हो जाएंगी। यह राज्य के लोगों के लिए काफी फायदेमंद होगा। महोदय, माननीय मंत्री जी से भी मेरा अनुरोध है कि जब तक जातीय जनगणना नहीं होगी, तब तक दलितों और पिछड़ों को आरक्षण का सही लाभ नहीं मिलेगा। इसके साथ ही जिन अगड़ी जातियों की आर्थिक स्थिति कमजोर है, वे भी आरक्षण का लाभ नहीं ले पाएंगे। मेरा यह भी सुझाव है कि देश भर में जातीय जनगणना होनी चाहिए। इससे लोगों को सही लाभ मिल सकता है। महोदय, दूसरा विधेयक जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक 2023 लाया गया है। सरकार जम्मू-कश्मीर अधिनियम 2019 में कुछ संशोधन का प्रस्ताव रखती है। सरकार ने वर्ष 2019 में जम्मू-कश्मीर को इस अधिनियम द्वारा दो भागों में बाँट कर केंद्र शासित राज्य बना दिया था। धारा 370 समाप्त करने के समय माननीय गृह मंत्री जी ने साफ-साफ कहा था कि जम्मू-कश्मीर में जल्द से जल्द प्रजातांत्रिक तरीके से सरकार का गठन होगा और राज्य का दर्जा दिया जाएगा। अभी पाँच साल होने वाले हैं, लेकिन वहां की स्थिति पहले की तरह ही है। वहां परिसीमन कार्य हो चुका है। जम्मू-कश्मीर में 107 विधान सभा सीटों को बढ़ाकर 114 सीट्स कर दिया गया है। उनमें 9 सीटें अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित हैं और तीन नामित भी होंगे। अब कुल 117 सीट्स होने वाली हैं। यह सब तो ठीक है, किंतु जम्मू-कश्मीर की जनता अपने लोकतांत्रिक अधिकारों से अभी तक वंचित हैं। जी-20 में भी जम्मू-कश्मीर का इस्तेमाल हुआ, किंतु वहां राज्य का दर्जा देने की बात पर सरकार की चुप्पी समझ में नहीं आ रही है। आज भी जम्मू-कश्मीर में समस्याएं ज्यों का त्यों बनी हैं। आतंकी घटनाएं भी घट रही हैं। कश्मीरी पंडितों की हालत तो और भी दयनीय है। सरकार द्वारा कहा गया था कि वहां के विस्थापित कश्मीरी पंडितों को जल्द से जल्द वापस लाया जाएगा। आप बताएं कि कितने कश्मीरी पंडितों को वापस लाया गया है? वहां पर अन्य राज्यों के श्रमिकों की हत्याएं होती रहती हैं। पर्यटकों की संख्या दिनोंदिन कम होती जा रही है, जिससे वहां के नागरिकों की आमदनी बंद हो रही है। वहां का किसान बेहाल है। देखा जाए तो जम्मू-कश्मीर की स्थिति पहले से भी बदतर हो चुकी है। अत: केंद्र सरकार वहां

के नागरिकों, राजनीतिक पार्टियों के साथ सलाह-मशविरा करके राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति को बहाल करने की प्रक्रिया को प्रारंभ करे और जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। मेरा सुझाव होगा कि वहां जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए, तभी लोकतंत्र बहाल हो सकता है। धन्यवाद।

SHRI MAHESH SAHOO (DHENKANAL): Respected Chairman Sir, on the behalf of my party BJD, I have been given the opportunity to speak on the Jammu and Kashmir Reservation bill. I express my gratitude to my party as well as to you. Special status was lifted on 21st November 2018.Five years have passed, but there's no proper govt or administration. Hence there is dissatisfaction among the citizens, the intelligentia, the youth etc. They had expected a proper administrative mechanism to address their problems and provide opportunities. But that has not happened. When Article 370 was abolished, it was expected to usher in positive changes. While SC community has got reservation, ST community has been left out. May be Hon 'ble minister in his reply will clarify. Sir, many states have established Commissions to address the issue of reservation. In my state Odisha, our Chief Minister Shri Naveen Patnaik ji has appointed Commissioner for SC, ST, OBC and SEBC communities. Retired Judge Sri Raghunath Biswal has been appointed as the Commissioner and other members are Navneet Ratha, Mitali Chinara and Prasanta Patra. Sir, the people of J&K are waiting for a fair deal from the central government and then only they will have confidence in the central government.

Thank you sir

Jai Jagannath

श्री मलूक नागर (बिजनौर): महोदय, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद। यह देश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण बिल है। खासकर धारा 370 हटने के बाद पूरे वर्ल्ड की नजरें जम्मू-कश्मीर पर लगी हैं। पिछले 68-70 सालों में इन्हें कुछ नहीं दिया गया। वहां के जो एसटी हैं, जो गुज्जर-मुसलमान हैं या जो गुज्जर-बकरवाल हैं, पिछले दिनों इनकी वोट ले ली जाती थीं, रिश्तेदारियां कर ली जाती थीं और पिछली सरकारों के समय में इनको देने के नाम पर कुछ नहीं होता था। धारा 370 हटने के बाद इनको जो सुविधायें दीं, मुझे लगता है कि जो आज मौजूदा सरकार है, उन्होंने इसकी पूरी रिसर्च कराई। चाहे कारगिल का समय हो, चाहे 1947 का समय हो, चाहे 1952 का समय हो, जितनी भी पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लड़ाइयाँ हुईं, जितने भी उग्रवादी हमारे देश में घुसते थे, सरकार से बगैर तनख्वाह लिए हुए और सरकार के सिपाही की तरह वहां के गुज्जर-मुसलमानों और गुज्जर-बकरवालों ने लड़ाइयाँ लड़ीं। इसको ध्यान में रखकर सरकार ने उनको आरक्षण की सुविधा दी है। मैं सरकार को इसके लिए दिल से धन्यवाद देता हूं, सराहना करता हूं और भर्त्सना करता हूं कि पिछले 68-70 सालों में इनको कुछ नहीं दिया गया था।

महोदय, मैं एक चीज आज कहना चाहता हूं। जो पीओके से आ रहे हैं, उनको कुछ भी सुविधा दो, बहुत ही अच्छी बात है। जो गरीब लोग हैं, कश्मीरी पंडित हैं, उनको भी सुविधा दो, यह भी बहुत अच्छी बात है। जो वहां के गुज्जर-मुसलमान हैं, जिन्होंने हमेशा देश के लिए जानें दीं, लड़ाइयाँ लड़ीं और धारा 370 खत्म होने पर पाकिस्तान-हिंदुस्तान की बाउंड्री पर मिठाइयाँ बाँटी, उनके लिए सरकार ने आरक्षण निश्चित किया है। अगर किसी को कुछ दे देते हैं, किसी को दान दे देते हैं, किसी को कोई चीज दे देते हैं, उसमें से अगर वापस लेते हैं तो फिर बहुत जोर पड़ता है।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि आरक्षण किसी को भी देना है**,** तो जो पहले उनको दस पर्सेंट दे दिया, उससे उसे अलग रखा जाए। उनका आरक्षण न छेड़ा जाए। सरकार अब जो आरक्षण देना चाहती है, उनको अलग से कितना ही आरक्षण दे दो। देश के लिए जिन्होंने जानें दीं, देशहित में, जनहित में और जम्मू-कश्मीर के गुज्जर-बकरवाल के हित में, मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उनके आरक्षण को न छेड़ा जाए। अगर सरकार को कोई आरक्षण देना भी है तो अलग से उनको कितना भी आरक्षण दे दीजिए, लेकिन उनका कम न करा जाए। बहुत-बहुत धन्यवाद।

SHRIMATI SUPRIYA SADANAND SULE (BARAMATI): Thank you very much, Sir. I stand here on behalf of the Nationalist Congress Party to support the Jammu and Kashmir Reservation and Reorganisation (Amendment) Bill, 2023.

I have very fond memories as a child about Kashmir. Fortunately, doctor sahab is sitting right here. This is actually an opportunity for me to show gratitude to him and his family, who has led this most beautiful part of India. I would like to read a few lines about Kashmir from a Sufi poet, Amir Khsrau. He said:

?If there is a paradise on earth,

It is this, it is this, it is this?

This is how much we all think about Kashmir. Nestled in the foothills of the Himalayas, the Kashmir region is celebrated and esteemed for its ineffable and incomparable aesthetic wonder and charming beauty. Beautiful lakes, acres of Mughal Gardens, mighty snow-capped mountains, rich saffron fields, vibrant meadows and crystalline glaciers are some of Kashmir?s natural features and landscape which are in the poetry.

However, Kashmir?s paradise, in many ways, has been brutally violated and its peace has been plundered for various reasons. But the flourishing meadows, stark mountains and vast fields are motifs of freedom. But with hundreds of thousands of military forces scrutinising Kashmir, freedom feels like a faraway and elusive force. Nonetheless, beyond each blossoming tulip flower field and wide-eyed smile lies a story, a story of Kashmir.

Kashmir is, essentially, a region of stark contrast. It is actually a story of paradoxes. For beauty exists despite its bloodiness, faith, tenacity and inner peace can be seen in its local residents amidst all these activities which have happened in the decades. Fragments of paradise can be found, despite the most hellish of horrors. Hope can be reignited when all the hope seems to have been forsaken. Kashmir is a place that beckons your soil, stirs your spirit, converses with your heart and dwells in your mind long after your body has departed.

I think Kashmir has really been through a very difficult journey. Administration is something which is a continuous process. Yes, it has had its red spots, black spots and it has had its moments. I think that everybody has contributed unanimously to the journey of Kashmir. We cannot just isolate one bad story to this glorious part. The tourism story of India, the cultural story of India will always be incomplete without Jammu and Kashmir and Ladakh.

We really need to look at the larger picture. We have to stop being a prisoner of the past and history. I was listening to the Member speaking from the Treasury Benches. I thought that he would enlighten us with the achievements of the last four years. Unfortunately, I could not hear much from him about this. But I do not want to get into this. I genuinely owe a lot to Jammu and Kashmir and Ladakh because it has given me my finest happy family moments. If I ever have to look back five decades of my life, it would be all connected with Jammu and Kashmir and Ladakh.

I absolutely welcome this decision. But I would like to suggest to the hon. Home Minister who has been so large hearted about this reservation in Jammu and Kashmir. I would like to make a suggestion to him. Instead of bringing piecemeal programmes about reservation, why does he not bring a comprehensive Bill, a pan-India reservation Bill?

Maharashtra, the State from where I come, is today having huge challenges in respect of Maratha, Dhangar, Lingayat and Muslim reservation issues. The same thing in Uttar Pradesh was also resonated in one hon. Member?s speech. The same thing is also there in Rajasthan. Why does this entire House not sit together, put its mind together in a discussion on reservation and find amicable solution in the larger interest of this nation? When it comes to my State, it is all about Maratha, Lingayat, Dhangar and मुस्लिम समाज के आरक्षण की बहुत बात हो रही है।

So, I was just trying to connect the two dots. If you can do it in Jammu and Kashmir, why can it not be applicable to my State, which is actually burning right now? This is something which I would like to put in front of the hon. Home Minister. I would like to ask the hon. Home Minister one thing. I remember his speech in the old building of Parliament. He told us about his dreams and plans for Jammu and Kashmir. We were also quite keen on it. Who does not want peace? We had put our hopes in him that there will really be a huge change in the lifestyles of people of Jammu and Kashmir. I remember him making commitment about good investment there on the floor of the House in the old building of Parliament and also about elections. Unfortunately, that has not happened.

I would like to talk about urban local bodies as has been mentioned by Sougata babu in his speech. I would like to take that point forward that the elections to urban local bodies which were to be held in Srinagar have been postponed and the excuse given or the reason given was delimitation. Had they not thought about it before? चार साल हो गए, डिलिमिटेशन का होमवर्क तो पहले भी कर सकते थे। What is the reason? If you want to give them freedom and if you want a democratic country, the first message that you have to give to the people of Jammu and Kashmir and Ladakh is to have fair elections in these regions. हमारी मांग है कि पहले आप वहां इलैक्शन करवाइए। This is, I think, really going to be the honest commitment that the hon. Home Minister made to this nation and we trusted it. I am not saying that we mistrust him now. I want to put it on record that we are really hopeful that they walk the talk.

The other thing that I would like to highlight is tourism. I have myself been to Kashmir once in the last three years and clearly the tourism has improved but let us have some data. Tourism is seven per cent of Jammu and Kashmir and Ladakh?s development story. If you look at the economy, it is seven per cent. If only tourism is 7 per cent of the economy, then, what about the horticulture, agriculture and changes in the climate that we are having? Our agriculturists are also in trouble because of climate change. The same issue continues to happen in Jammu and Kashmir and Ladakh. What is the plan that this Government has vis-à-vis climate change with agriculture and horticulture? What are their plans for Jammu and Kashmir considering that they do not have any Government in place? अगर किसी आम आदमी को मदद चाहिए तो वह किसके पास जाए? वह तो एलजी को नहीं मिल सकता है? What is the plan they have for all these things whether it is agriculturist, youth or woman? Like they say, this is the new dharma of BJP, so, we really want to see them walk the talk for all these four verticals that are there.

As far as unemployment is concerned, like Sougata babu said, it is at its peak in India and so it is in Jammu and Kashmir. What specific interventions are they doing for unemployment? One point which is alarming in Kashmir today is electricity. जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में हर जगह धरने हो रहे हैं। श्रीनगर में दस घंटे पावर कट हो रहा है। What has really happened in the last four years? What magic has happened? If there is no electricity, how are all other things going to work? I am sure the hon. Home Minister would throw some light on these things and enlighten us how these things are going to be taken forward. इंडिया में कहा जाता है कि इलैक्ट्रिसिटी सरप्लस है तो फिर नेशनल ग्रिड से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में बिजली क्यों नहीं जा रही है? Why are the people, our brothers, sisters and children, suffering with no electricity for 12 hours in a place like Srinagar? अगर श्रीनगर में 12 घंटे बिजली नहीं है तो बाकी छोटे गांवों में क्या होता होगा? So, this is something that we need to really discuss. Yes, things are better but that does not mean that they are okay. In September, 2023, and in November, 2023, there have been two major attacks and we have lost very, very brave sons of India. They are our sons. देश के बच्चे शहीद हुए हैं। इनमें कौन हैं ? कर्नल मनप्रीत सिंह, मेजर आशीष धोनचक, डीएसपी हुमायूं भट्ट। This is in September 2023. In November, 2023, the martyrs were Captain M. V. Pranjal, Captain Shubham Gupta, Havaldar Abdul Majid, Lance Naik Sanjay Bist, and Paratrooper Sachin Laur. These people have laid down their lives in Rajouri and Poonch where there were problems. So, we cannot say that everything is wonderful. पहले से बेहतर है और जरूर है। अच्छे को अच्छा बोलना चाहिए, जो अच्छा हुआ है, I do compliment the Government but a lot needs to be done. Everything is not okay because we have lost our sons. Has the tourism gone up? Yes, it has. When we lose our sons of soil then, really, can we say that there are wonderful stories in Kashmir? Can we say: ?Oh, we are so happy as the tourism has gone up? देश के बच्चे शहीद हुए हैं, वे इस देश के लड़के हैं, नौजवान हैं। So, we really need to introspect. It is not just about chest-thumping. We cannot say: ?Oh my God, we have done something wonderful.? We really need to walk the talk. वह मां जानती है जिसका बेटा वहां शहीद हुआ है। वह बीवी उसका दुख जानती है, उसके बच्चे उसका दुख जानते हैं। For us, these are names and we will pay our tributes to them because जिंदा उनको रहना है, उनकी फैमिली का दुख किसी को नहीं पता है, वह उनकी मां, बीवी और बच्चों को ही पता है। I think, this House needs to be far more sympathetic, more empathetic, and more compassionate towards Jammu and Kashmir. It is not about us versus them.

I think, we all love Kashmir equally. So, it is not that they have done something wonderful and we did something disastrous. Not at all. Let us put some data. Kashmir was always very tourist-friendly. People hosted us and opened their homes to us. So, they have been wonderful proud Indians.

I would like to talk about the contribution of Farooq Abdullah ji?s family in making sure that Kashmir remained an integral part of India. If it happened ? I would put it on record ? it is only because of his family, the commitment that Pandit Jawaharlal Nehru did at that time in the United Nations, and also Lord Mountbatten?s contribution at that time. The way they negotiated, they stayed with us. The reason that there was no violence for many decades is because of the contribution of Dr. Farooq Abdullah and his entire family. So, it is a combination. Not only that, it is the contribution of even the Mufti family. आज ये इनके खिलाफ बोलते हैं, पर कभी तो एक ही थाली में खाना खाया है। Abdullah family also were their partners and so were the Muftis. So, today, it is not fair to say that just because they are on this side, they have done a bad job. अच्छे को हम अच्छा कह सकते हैं, तो आप भी बड़ा दिल दिखाइए। We are committed to contributing and supporting this Government in whatever way we can to make sure that the peace and happiness of Kashmir comes back for every Indian who is so proud of this jewel in our crown and also to make sure that it is a safe and secure place where every child gets a good quality education, where every senior-citizen has freedom and also access to good quality hospitals without power cuts. I think, it is a large picture. Many things have been discussed. These are two small steps in the larger good of Kashmir. But still, a lot more needs to be done. We would prefer that these decisions are taken in their own Assembly. Why should we take decisions for somebody else?s Assembly? We are only looking at India as a piece. We do not want to take State decisions. Unfortunately, today, even during the Question Hour, असेंबली के सवालों पर हम पार्लियामेंट में चिंता कर रहे हैं। I remember Arun Jaitley ji who always used to support cooperative federalism. I miss both Arun ji and Sushma ji in the House. If there were two leaders in the BJP who believed in cooperative federalism, they were Sushma ji and Arun ji. We would like to resonate and remember them. I hope, from what I have said, the BJP remembers their senior leaders who really fought for cooperative federalism to give the fair right to the people of Jammu, Kashmir, and Ladakh, the entire State by itself, which is broken into three. अभी जो हो गया, सो हो गया। There is no point disagreeing or agreeing with what has happened. But I hope, the BJP, the Central Government is committed to bringing up all the glory of Jammu and Kashmir and giving all the people fair and a happy life in future. Thank you.

श्री हसनैन मसूदी (अनन्तनाग): शुक्रिया जनाब । आज बाबा-ए-कौम शेर-ए-कश्मीर शेख अब्दुल्ला की यौमे पैदाइश है। मुझे इजाजत दीजिए कि मैं उन्हें खिराजे अकीदत पेश करूं।

जनाब, सरदारी अवाम का हक है हिंदू-मुस्लिम, सिख इत्तेहाद, land to the tiller जैसे स्लोगन उनके हैं, क्योंकि जो आज हम बहस कर रहे हैं, जो बे-इख्तियार तबके से हैं, उनको बा-अख्तियार बनाने की जो बात हम

करते हैं, तो उनको हम जरूर याद करेंगे, क्योंकि जम्मू-कश्मीर के लिए सोशल जस्टिस प्रोग्राम चलाने हेतु जो काम किया, उसकी कोई मिसाल नहीं है।

जनाब, पहले मैं जम्मू-कश्मीर रिजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट पर आऊंगा। यह एक्ट सीधे-सीधे 5 अगस्त, 2019 के फैसलों को लेता है। 5 अगस्त, 2019 के फैसलों को मार्केट किया गया था। एक के बाद एक मंत्री ने कहा, लीडर ने कहा कि वहां कुछ नहीं था, कोई रिजर्वेशन नहीं था। वहां पर सब पिछड़े हुए थे, एससी की कोई बात नहीं थी। यह एक्ट वर्ष 2003 का है। जिस एक्ट में आज आप तरमीम कर रहे हैं, यह वर्ष 2003 का है। वर्ष 2003 में सारा रिजर्वेशन दिया गया था। आज आप उसकी सिर्फ तरमीम कर रहे हैं। यह पहले जानने की जरूरत है। वर्ष 2019 के फैसले में जो मार्केट किया गया था, वह सारा गलत था। एक के बाद एक वजीर ने जो यहां कहा कि वहां कुछ नहीं था, कोई तरक्की नहीं थी, वह बिल्कुल फरेब था, झूठ था। कंट्री को मिस्लीड किया गया। इससे आज उसकी ताईद होती है। दूसरी बात यह है कि जम्मू-कश्मीर का जो लेजिस्लेचर है, उसके इख्तियारात का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? कैसे कर रहे हैं? यह कानून तो जम्मू-कश्मीर के लेजिस्लेचर का बनाया हुआ है। इसका संशोधन, इसकी तरमीम तो वही करेगा ना? यह हम क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं और किस इख्तियार के तहत कर रहे हैं? जनाब यह हम रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के तहत कर रहे हैं। उसका उपयोग करके, उसका इस्तेमाल करके हम कहते हैं कि हम यहां यह तरमीम करेंगे।

जनाब, मेरा एक फंडामेंटल क्वैश्चन है। यह जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है, उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने चैलेंज किया गया। हमने तमाम बहस की। आपने भी वहां अपनी तमाम बहस की। आपके जो अटॉर्नी जनरल थे, उन्होंने भी बहस की। जो सॉलिसिटर जनरल थे, उन्होंने भी बहस की। हमने अपना पूरा पक्ष रखा कि कैसे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आईन के मुनाफिये और आईन के विरोध में बनाया गया, कैसे आईन को रौंदते हुए बनाया गया है। अगर वहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला महफूज रखा है तो क्या आपको यह शोभा देता है कि आप उसी कानून का प्रयोग करें, उसी कानून का इस्तेमाल करें, जो जूडिशियल स्क्रूटनी में है तथा जिस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने रिजर्व रखा है, सारे दलाईल सुनकर, हमारा यह कहना है कि आपके पास कोई इख्तियार ही नहीं है। आपको आर्टिकल ? 3 और आर्टिकल ? 1 के तहत स्टेट के दो हिस्से करने का, फ्रेगमेंट करने का और यूटीज में डिवाइड करने का कोई इख्तियार है ही नहीं और यह आपने आईन को रौंदकर किया है।? (व्यवधान)

जनाब, अगर मामला टॉप कांस्टिट्यूशनल कोर्ट के पास है तो होना यह चाहिए था कि हम सब इसका इंतजार करते। मैं कंटेंट पर नही हूं, मैं तरीकेकार पर हूं। यह नहीं कि हमारा जो हिस्सा है, सेगमेंट है, उसको बाइख्तियार नहीं बनाना चाहिए। मैंने पहले बाबा ए कौम का हवाला दिया कि उन्होंने कैसे सोशल जस्टिस फ्रंट तक 34 लाख कनॉल जमीन ट्रांसफर किए और उसमें 70 परसेंट, डॉ. जितेन्द्र सिंह जी मेरी बिल्कुल ताईद करेंगे, जम्मू में एससीज को गया। एक मूलमंत्र है कि हमारा विश्वास आईन पर है। आईन को रौंदा जा रहा है। आप कैसे कर रहे हैं? आप इंतजार कीजिए। सुप्रीम कोर्ट फैसला देगा। कुछ दिनों का इंतजार होगा। वहां से फैसला आ जाता, उसके बाद करना चाहिए था। यह एक पहली बात है।

दूसरी बात यह है कि स्टेट असेम्बली है ही नहीं । यहां पर वादा किया गया था कि स्टेट को रीस्टोर किया जाएगा। हम छ: साल से इंतजार कर रहे हैं। दस साल से कोई इलेक्शन नहीं हो रहा है। आप खुद से इसका जवाब पूछिए। आपकी एक जिम्मेदारी है। कांस्टिट्यूशन ऑब्लिगेशन है, पॉजिटिविटी के लिए आपकी जिम्मेदारी है। आपने जो यहां पर वादे किए थे, उनकी तकजीब कर रहे हैं। हरेक को उसका हक मिलना चाहिए, उसके खिलाफ हम नहीं हैं। लेकिन, आप बताइए कि आप किस इख्तियार का इस्तेमाल कर रहे हैं।

तीसरी बात है कि 5 अगस्त के बाद सब ठीक हो गया। अगर सब ठीक हो गया तो यह क्या बात है? आप खुद से सवाल पूछिए। दस साल के बाद भी वहां इलेक्शन कराने की आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। आपने यूएलबीज के इलेक्शन भी नहीं कराए। आपने पंचायत भी खत्म कर दी। जब हमारे प्रधानमंत्री पेरिस में कहते हैं कि सिक्योरिटी काउंसिल का क्या महत्व है, जब उसकी सबसे बड़ी जम्हूरियत उसका हिस्सा नहीं है। इसका मतलब है हमारे देश के साथ है। हम उसकी ताईद करते हैं। वे कैसे कहते हैं कि इंडिया मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जब उसके डेढ़ करोड़ लोगों को दस साल से कोई हक ही नहीं है। ? (व्यवधान)

आप कहते हैं कि सब ठीक हो गया है।? (व्यवधान) हमें बात करने दीजिए। यह जम्मू-कश्मीर का मामला है। अगर सब ठीक है तो जी-20 में जो बाहर से लोग आए थे, उनको दाचीगाम क्यों नहीं ले जा सके, गुलमर्ग क्यों नहीं ले जा सके? आप एम्बेसडर को लाए, लेकिन उनको दाचीगाम और गुलमर्ग ले जाने की हिम्मत नहीं हुई। आप कह रहे हैं कि पथराव बंद हो गया है। पंथराव बंद हो गया, चलिए ठीक है, लेकिन हाइब्रिड मिलिटेंट की नई चीज किसने बनाई? आपकी सिक्योरिटी फोर्स हमारे दरम्यान बैठी है। सारा सदन सुन ले। आप कह रहे हैं कि हमारे दरम्यान हाइब्रिड मिलिटेंट बैठे हैं। वह क्या है? हाइब्रिड मिलिटेंट वह है, जो अपना काम करता है। अपना स्टॉल है, अपनी दुकान पर बैठा है, अपनी नौकरी पर बैठा है, लेकिन जो हाइब्रिड मिलिटेंट है, उसके जेब में कहीं पर भी कोई हथियार है, जब उसको संदेशा मिलेगा, उसको हिदायत होगी, वह अपना काम करेगा। यही ईदगाह में हुआ। हमारे पुलिस ऑफिसर पर गोली चलाई गई। यही अभी तंगमर्ग में हुआ, एक पुलिस ऑफिसर को शहीद किया गया। जैसे अभी सुप्रिया जी ने जिक्र किया कि कोकरनाग में, जो हमारे साथ वाला इलाका है, कोकरनाग में हमारे एक कमांडिंग ऑफिसर चले गए और आपका अपना ऐतराफ है कि वह कश्मीर का ही कोई जवान था।

जनाब जो आप बेच रहे हैं इस देश को कि सब नॉर्मल है, नॉर्मल सी नरेटिव बना रहे हैं, कुछ कल्चरल प्रोग्राम की बुनियाद पर, कुछ इवेंट की बुनियाद पर, आप कैसे इस देश को गुमराह कर रहे हैं? आपकी जिम्मेदारी है कि देश को वही कहें जो सच है।

मैंने सुना था, यहां पर माननीय मंत्री जी ने कहा था कि न कोई जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, न कोई रिज़र्वेशन, न कोई एससीज के लिए है। उन्हें मालूम नहीं था कि एससीज़ के जो 70 प्रतिशत लोग थे, उन्हें लैंड टू द टिलर प्रोग्राम के तहत शहर-ए-कश्मीर की ज़मीन फ़राहम की, तो ये एक बात है।

जनाब, दूसरी बात रिजर्वेशन एक्ट की है। आप जम्मू-कश्मीर के लेजिस्लेचर का जो इख़्तियार है, वह इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ऐसे कानून के तहत इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसे इस वक्त चैलेंज किया गया है। जो कॉन्स्टीट्यूशनल मोरेलिटी है, जो कॉन्स्टीट्यूशनल प्रोप्राइटरी है, वह आप पर लाज़िम करती है कि आप सुप्रीम कोर्ट का लिहाज़ करें, सप्रीम कोर्ट का एहतराम करें। जब तक सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला नहीं देता, तब तक कोई काम न करें। जहां तक ये रिजर्वेशन एक्ट की बात है।

जनाब, अब ये बताइए कि असेंबली कहीं नहीं है। आप कह रहे हैं कि रिजर्वेशन मैं करूंगा, हम करेंगे। बिल का जो कंटेन्ट है, वह तो अलग बात है, लेकिन आप किस चीज का इस्तेमाल करके ये रिजर्वेशन दे रहे हैं? कहीं पर असेंबली नहीं है। आप कहते हैं कि दो सीट्स रखेंगे, जो हमारे कश्मीरी माइग्रेन्ट्स हैं और एक सीट है, जो पीओके के माइग्रेन्ट्स हैं। जब असेंबली ही नहीं है, तो क्या जल्दी है, क्या उजलत है। And, more so, when we have the parent Act that is kind of being implemented now, is under judicial scrutiny before the topmost court of the country. आप कैसे सुप्रीम कोर्ट की अवमानना कर रहे हैं? कैसे सुप्रीम कोर्ट को ख़ातिर में नहीं ला रहे हैं? ये होना नहीं चाहिए था और ये होना नहीं चाहिए।

दूसरी बात है कि अब किसको ये इख़्तियार दिया जा रहा है। आप खुद देखिए कि किसको इख़्तियार दिया जा रहा है। इख़्तियार एलजी को दिया जा रहा है। वह नॉमिनेटेड है। क्यों? एलजी जो एक नॉमिनी है, जो प्रेसीडेंट के अपाइंटी हैं, आप कैसे उनको इख़्तियार दे रहे हैं? इसकी जो बुनियादी चीज है, मैं उसको चैलेंज करता हूं। इनके कंटेन्ट पर नहीं, बल्कि इसके तरीकेकार पर जो आप अपनाने जा रहे हैं या अपना रहे हैं। उस पर मेरा एतराज़ है। उस पर मेरा विरोध है। आप उस पर भी जाइए। एलजी को क्यों देंगे? एलजी नॉमिनेट करेगा, किसके कहने पर करेगा। खुद्र अपनी मर्जी है।

ठाकुर साहब, इशारे कर रहे हैं कि यहां से संदेश आ जाएगा। यहां से संदेश की बात नहीं है, जब आप नॉमिनेट करेंगे, तो नॉमिनेशन में उनका जो रोल होगा, वहां के जो इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर होंगे, जैसा कि आपने वादा किया है, जब लेजिस्लेचर बनेगा, तो वहां की जो सरकार होगी, उसकी रेकमेंडेशन पर होगा, जैसे हर जगह होता है। आप इस बात का भी एहतराम कीजिए। हमारी कॉन्स्टीट्यूशनल असेंबली का बनाया हुआ आईन अभी नाफिजुल-अमल है, जिसके साथ मरहूम गिरधारी लाल डोगरा थे, कृष्ण देव सेठी थे, सरदार बुध सिंह थे, कौशिक बगोला थे। क्या किसी ने मंसूख किया आईन? आप खुद से यह सवाल पूछिए।

क्या पार्लियामेंट को आईन मंसूख़ करने का हक है, इख़्तियार है? नहीं है। जब बात उठेगी, तो उस आईन के तहत भी एक तरीकेकार का सेगमेंट हो, तो हम कैसे उसकी भरपाई करेंगे। उस आईन को न ही हुकूमत का, न ही हमारी जो सदर-ए-जम्हूरिया है, उनका इख़्तियार है, वह कॉन्स्टिट्यूशनल पावर है। कॉन्स्टिट्यूशनल पावर के एक्सर्साइज़ में आईन बनाया गया है। उस आईन में लिखा है कि जम्मू-कश्मीर मुल्क का इंटीग्रल पार्ट होगा, तो आईन किसी ने डिसेबल तो नहीं किया है। वह तो वहीं पर मौजूद है। किसी ने एब्रोगेट तो नहीं किया है। आपका इख़्तियार नहीं था, तो कैसे एब्रोगेट करते?

जनाब, जिन वादों पर हमने मुल्क के साथ रिश्ता जोड़ा था, जिन यकीन-ध्यानियों पर हमने जोड़ा था, वह यह था कि आपका एहतराम किया जाएगा, आपकी शिनाख़्त का, आपकी क़वानीन का, आपका जो इंटर्नल सिस्टम है, उसका एहतराम किया जाएगा। हमने महात्मा गांधी जी के हिन्दुस्तान के साथ एक रिश्ता जोड़ा था। यहां पर एक सेकुलरिज्म होगा, सोशलिज्म होगा, ये हमारे समाज का मूल मंत्र होगा। जब आप कहते हैं कि नहीं, आपने जिसको अपनी उपलब्धि कहा, अपनी कामयाबी कहा, वही तो हार है। आप मेरे एक सवाल का जवाब दीजिए। हमारे नॉर्थ-ईस्ट में 7 स्टेट्स हैं। वहां पर आपकी पॉलिसी है, वह पर जो अनसर्टेनिटी है, जो विरोध है, वहां की ऑटोनॉमी स्ट्रेन्थन करिए, आप उसका जवाब दीजिए।

होम मिनिस्टर साहब, वहां खुद गए और कहा कि मैं आपके लिए वज़ीर-ए-आजम की तरफ से मणिपुर के लिए उपहार लाया हूं, मैं आपके लिए आईएलपी (इनर लाइन परमिट) लाया हूं। यह क्या वजह है कि नॉर्थ ईस्ट में जो तशद्दुद है, वहां की जो अनसर्टेनिटी है, वहां की जो इनसर्जेंसी है, उसको एड्रेस करने के लिए वहां की इंटरनल ऑटोनोमी को आप मुस्तहकम कर रहे हैं। मैं नॉर्थ ईस्ट तब तक नहीं जा सकता हूं, जब तक मुझे परमिट नहीं होगा। अनुराग ठाकुर जी बोडोलैंड या मणिपुर में जमीन नहीं खरीद सकते हैं और न मैं खरीद सकता हूं, जब तक वहां की इजाजत न हो और न ही हम वहां नौकरी के लिए दरख्वास्त दे सकते हैं। अगर आप वहां स्ट्रैंग्थ कर रहे हैं तो क्या वजह है कि आप जम्मू कश्मीर को बहरूनी कर रहे हैं? यह कैसी अप्रोच है और जम्मू कश्मीर में इसको करने की क्या वजह है? क्या आप तनासुब की वजह से कर रहे हैं या किसी और वजह से कर रहे हैं? अगर आप इस पर आमादा हैं कि हम बोडोलैंड में 10 हजार स्क्वायर किलोमीटर देंगे, जहां पर असम के चीफ मिनिस्टर को जमीन खरीदने का हक नहीं है, लेकिन हम जम्मू के निवासियों से जमीन खरीदने का हक क्यों छीन रहे हैं? जम्मू के निवासी, कठुआ, उधमपुर, रियासी वालों से हक क्यों छीन रहे हैं? अगर आप मणिपुर में कह रहे

हैं कि जमीन खरीदने के लिए कोई नहीं आएगा तो जम्मू निवासी, पुंछ, राजौरी वाले को क्यों विषम पावर कर रहे हैं, आप क्यों उनकी रोजी-रोटी छीन रहे हैं?

जनाब, आपको इन सारे मामलों की तरफ आपको तवज्जो देनी पड़ेगी। वहां पर अफसरशाही नहीं चलेगी। अगर अफसरशाही कामयाब होती तो सारे मुल्क में चलाइए। आप पांच रियासतों में अपनी कामयाबी का जश्न क्यों मना रहे हैं? आपका जश्न मनाना सही है, लोगों ने अपना एक वर्डिक्ट दिया है, लेकिन आप उसको क्यों सेल्फ अडॉप्ट कर रहे हैं? ? (व्यवधान) हमारा ही मामला है। आप कहते हैं कि कश्मीर देश का क्राउन है। जम्मू और कश्मीर में कोई भी इख्तियार नहीं दिया जा रहा है, जम्मू कश्मीर में नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही हैं? हम देश के साथ हैं, देश के साथ रहे हैं, देश का हिस्सा हैं, लेकिन हमारे भी कुछ हुकूक हैं, हमारे जम्मू के नौजवानों के कुछ हुकूक हैं, कश्मीर के नौजवानों के कुछ हुकूक हैं तो आप इस पर क्यों इंसिस्ट कर रहे हैं? You are a kind of keen that they should be deprived. आप जम्मू और कश्मीर को एक लेबोरेटरी बनाना चाहते हैं तो क्यों बनाना चाहते हैं? पांच साल पहले 5 अगस्त, 2019 का वातावरण क्या था? इस सदन के जो ऑनरेबल मैंबर्स हैं, उनके लिए एक पैगाम है। वहां इलेक्शन करवाने की आपकी हिम्मत नहीं हो रही है। वहां जो भी आएगा, वह शपथ लेगा, लेकिन आप नहीं करा रहे हैं। आप नॉर्मल सा नेरेटिव बिल्ड अप कर रहे हैं। वह नॉर्मल नेरेटिव की बुनियाद यहां पर है। आप बार-बार कहते हैं और आप एक बड़े लीडर का नाम ले रहे हैं, उनके लिए सबका एहतराम है। मैंने 5 अगस्त को भी उस बड़े लीडर का नाम लिया था, जिस पर राजनाथ सिंह जी, अमित शाह जी और पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर भी उठ खड़े हुए थे।

सर, बात यह है कि क्या वह नाम, क्या वह हस्ती वर्ष 1947 के फैसलों के साथ शामिल नहीं थी? क्या वह अप्रैल, 1952 तक नेहरू काबीना का हिस्सा नहीं थे? नवंबर, 1947 का जो अनुच्छेद 370 के बारे में फैसला था, क्या वह सर्वसम्मति से नहीं हुआ था, इत्तिफाक राय से नहीं हुआ था, कंसेंट से नहीं हुआ था? यहां पर ऑफिसर कमांडिंग का जिक्र किया गया, यह छोटी बात नहीं होती है। मुझे लगता है कि जो रेगुलर वार हुए हैं, उसमें भी ऑफिसर कमांडिंग कभी नहीं हुआ है, लेकिन यह तो पिछले हफ्ते की बात है। उसमें एक डीएसपी और पुलिस ऑफिसर था। आप फॉरेन इलेक्शन का ऐलान कीजिए और इलेक्शन कराइए तथा सुप्रीम कोर्ट का एहतराम कीजिए। जब तक सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट नहीं आता है, मुझे लगता है कि यह बॉर्डर्स ऑफ कंटेम्प्ट है। आप उस कानून का यूज कर रहे हैं, जो अंडर ज्यूडिशियल सिक्योरिटी है, जो अंडर क्लाउड है। अभी सुप्रीम कोर्ट का फैसला आना बाकी है, लेकिन आप उस कानून का इस्तेमाल करते हैं।

मुझे लगता है कि तब तक सुप्रीम कोर्ट का अपमान है। यह हमारा सुप्रीम कोर्ट है और हमें सुप्रीम कोर्ट पर फख्र है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले बाकी दुनिया में रैफर किए जाते हैं, लेकिन आप ही उसका अपमान कर रहे हैं, and it borders on that. एक ऐसा कानून जिसे फार्मल हियरिंग के लिए एडिमिट किया गया और हियरिंग कम्प्लीट की गयी। आपके अटॉर्नी जनरल ने अपने मारूजात पेश किए, सॉलिसिटर जनरल ने अपने मारूजात पेश किए, उन्होंने दिफा किया, उन्होंने डिफेंड किया कि नहीं जी, होना चाहिए। हमने कहा कि नहीं, यह बिलकुल गलत है।? (व्यवधान) बात यह है कि आप जजमेंट प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। आप टैंशन प्रीएम्प्ट कर रहे हैं। जब कोई फैसला होगा, तब वह आएगा। Let us assume for a while कि कल फैसला आ जाएगा कि जम्मू-कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट गलत था। यह रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं होना चाहिए था। यह आर्टिकल 3 के विरुद्ध था, जिसमें कहीं जिक्र नहीं है कि आप स्टेट को फ्रेगमेंट कर सकते हैं। यह आर्टिकल 1 के विरुद्ध है, जो कहता है कि India is a Union of States. आपने इंडिया के यूनियन ऑफ स्टेट्स से एक स्टेट की शिनाख्त ही खत्म कर दी। जैसे एक मौहल्ले में दस घर हैं और हर एक घर एक मोहल्ला बनाता है, एक हैबिटेशन बनाता है, इसी तरह

से हमारा फैडरल सिस्टम है। हर एक स्टेट को इकट्ठा करके एक फैडरल नेशन बनाया गया है। जब आपने जम्मू-कश्मीर को फ्रेगमेंट किया, डिवाइड किया तो ऐसा नहीं है कि हमारी शिनाख्त as member in terms of Article 1, आप तो खुद आईएएस ऑफिसर रहे हैं और लॉ मिनिस्टर हैं। आप बताइए कि जब आप एक व्यक्ति की, एक कुनबे की, एक फर्द की शिनाख्त ही खत्म कर देते हैं तो क्या वह आर्टिकल 1 के विरुद्ध नहीं है। हमने यही बहस सुप्रीम कोर्ट के सामने की और हमारी बहस सुनी गयी। जनाब, आप जो रास्ता अपना रहे हैं। इससे मामले सुलझेंगे नहीं। हम देश के साथ हैं, हमें देश के साथ रहने दीजिए।

यहां पावर क्राइसिस का जिक्र हुआ। हमारे एनएचपीसी के साथ इतने पावर प्रोजेक्ट्स थे, जिसमें यह फैसला किया गया था और बूट के तहत एग्रीमेंट किया गया था जिसका मतलब था BOOT, Build-Own-Operate-Transfer. You build and operate for some time, say, 25 years. You collect the money, collect the revenue, and then give it back to the State. आप उसको भी नहीं मानेंगे। दूसरों के अहंकार की बात आ रही है, लेकिन यहां अहंकार कम रहा है, कहीं और ज्यादा रहा है। लेकिन बात यह है कि मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, यह कैसी अप्रोच है? यह कैसा एटिट्यूड है। जब हम यहां नार्मल्सी का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन सात जुम्मा से श्रीनगर की जामा मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ी गयी है। जबकि आप कह रहे हैं कि छोड़ दिया है। It is self-sufficient. आप अपने आप को गुमराह कर रहे हैं और देश को गुमराह कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ठीक नहीं हो सकता है, ठीक हो सकता है और हम देश के साथ हैं। In a sea of democracy, how can you have an island of uncertainty? यह हम से ताल्लुक रखता है और मेरी गुजारिश है कि थोड़ी फ्लैक्सिबिलिटी होनी चाहिए। हमें कहने का हक है और इस हाउस में अपनी पीड़ा नहीं कहूंगा तो और कहां कहूंगा। आप इलेक्शन की बात कीजिए, हेल्थकेयर की बात कीजिए तो मैनपावर का क्राइसिस सिस्टम में है। चंद कल्चरल प्रोग्राम्स से नार्मल्सी नहीं आती है। You cannot build normalcy narrative by just depending on a few cultural events. यह मेरा देश है, यह मेरा गांव है, यह मेरा टाउन है, यह रोज बनाइए और और रोज रखिए, तो यह कैसे होगा? मेरी आपसे गुजारिश है कि आप तब तक इंसिस्ट मत कीजिए जब तक सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं आ जाता है। जो भी होगा, उसके बाद दूसरा पड़ाव होगा, कोई दूसरा तरीका होगा। कंटेंट पर नहीं, लेकिन प्रयास होना चाहिए कि हर एक को अख्तियार मिले, हर एक को बाअख्तियार बनाया जाए, जो अभी तक अंडर प्रिवेलेज हैं, जो at the end of the que हैं उनको भी रिजर्वेशन दिया जाए। लेकिन यह तरीका असंवैधानिक है, अनकांस्ट्यिूशनल है और कांस्टिट्यूशनल तरीके से इसे किया जाए।

جناب حسنین مسعودی صاحب (اننت ناگ): شکریہ صاحب. آج بابائے قوم شیر کشمیر شیخ] عبداللہ کا یوم پیدائش ہے۔ مجھے اجازت دیجئے کہ میں ان کو خراجِ عقیدت پیش کروں۔

جیسے **Land to the Tiller**، جناب یہ سرداری عوام کا حق ہے کہ وہ ہندو مسلم، سکھ اتحاد نعرے ان کے ہیں، کیونکہ آج ہم جس بات پر بحث کر رہے ہیں وہ بے اختیار طبقے سے ہیں، ان کو با اختیار بنانے کی بات جو ہم کرتے ہیں، ہم انہیں ضرور یاد رکھیں گے، کیونکہ انہوں نے جموں و کشمیر کے لیے سماجی انصاف کے پروگرام کو چلانے کے لیے جو کام کیا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی۔

جناب، پہلے میں جموں و کشمیر ریزرویشن ترمیمی ایکٹ کی طرف آونگا ۔ یہ ایکٹ براہ راست 5 اگست 2019 کے فیصلوں کو لیتا ہے۔ 5 اگست، 2019 کے فیصلوں کی مارکیٹنگ کی گئی۔ ایک کے بعد ایک وزیر بولے، لیڈر نے کہا کہ وہاں کچھ نہیں، ریزرویشن نہیں ہے۔ وہاں ہر کوئی پسماندہ تھا، ایس۔سی۔ کا کوئی سوال ہی نہیں تھا۔ یہ ایکٹ سال 2003 کا ہے۔ آج آپ جس ایکٹ میں ترمیم

کر رہے ہیں وہ سال 2003 کا ہے۔ تمام ریزرویشن سال 2003 میں دیا گیا تھا۔ آج آپ اس کی صرف ترمیم کر رہے ہیں۔ یہ سب سے پہلے جاننے کی ضرورت ہے۔ 2019 کے فیصلے میں جو مارکیٹنگ کی گئی وہ سب غلط تھی۔ ایک کے بعد ایک وزیر نے جو یہاں کہا کہ وہاں کچھ نہیں تھا، ترقی نہیں ہوئی، سراسر دھوکہ تھا، جھوٹ تھا۔ ملک کو گمراہ کیا گیا۔ اس سے آج اس کی تائید ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ وہ جموں و کشمیر کا جو لیجسلیچرہے، اس کے اختیارات کا استعمال کر رہے ہیں۔ ایسا کیوں کر رہے ہو؟ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ یہ قانون جموں و کشمیر کی لیجسلچیر کا بنایا ہوا ہے ۔ اس کی ترمیم تو وہی کرے گا نا ؟ یہ ہم کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں اور کس اختیار کے تحت کر رہے ہیں؟ جناب ہم یہ ہم ری آرگنایزیشن ایکٹ کے تحت کر رہے ہیں اس کا استعمال کرتے ہوئے، اس کا استعمال کرتے ہوئے ہم کہتے ہیں کہ ہم یہ ترمیم یہاں کریں گے۔

جناب، میرا ایک بنیادی سوال ہے، یہ جو ری آرگنائزیشن ایکٹ ہے، اس کو سپریم کورٹ کے سامنے چیلینج کیا گیا، ہم نے تمام بحث کیں، آپ نے بھی اپنی وہاں بحث کیں، آپ کے جو اٹارنی جنرل تھے ، انہوں نے بھی بحث کی، جو سالیسٹر جنرل تھے انہوں نے بھی بحث کی، ہم نے اپنا پورا موقف رکھا کہ کیسے ری آرگنائزیشن ایکٹ آئین کے مُنافی اور آئین کے خلاف

بنایا گیا، کیسے آئین کو روندتے ہوئے بنایا گیا۔ اگر وہاں پر سپریم کورٹ نے اپنا فیصلہ محفوظ رکھا تو کیا آپ کو یہ شوبھا دیتا ہے کہ آپ وہی قانون استعمال کریں، جو جیوڈیشل اسکروٹنی میں ہے اور جس کا فیصلہ سپریم کورٹ نے محفوظ کر رکھا ہے، سارے دلائل سن کر ہمارا یہ کہنا ہے کہ آپ کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں ہے، آپ کو آرٹیکل-3 اور آرٹیکل -1 کے تحت اسٹیٹ کے دو حصے کرنے کا، فریگمینٹ کرنے کا اور یو۔ٹیز۔ میں ڈیوائڈ کرنے کا کوئی اختیار ہے ہی نہیں اور یہ آپ نے آئین کو روندھ کر کیا ہے۔ (مداخلت) ۔

جناب، اگر معاملہ ٹاپ آئینی کورٹ کے پاس ہے تو ہونا یہ چاہئیے تھا کہ ہم سب اس کا انتظار کرتے۔ میں کنٹینٹ پر نہیں ہوں، میں طریقہ کار پر ہوں۔ یہ نہیں کہ ہمارا جو حصہ ہے سیگمینٹ ہے، اس کو با اختیار نہیں بنانا چاہئیے۔ میں نے پہلے بابائے قوم کا حوالہ دیا کہ انہوں نے کیسے سوشل جسٹس فرنٹ تک 34 لاکھ کنال ذمین ٹرانسفر کی اور اس میں 70 فیصد ڈاکٹر جیتیندر سنگھ جی میری تائید کریں گے۔ جموں میں ایس۔سیز۔ کو گیا۔ ایک مول منتر ہے کہ ہمارا یقین آئین پر ہے، آئین کو روندا جا رہا ہے۔ آپ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ انتظار کیجئیے۔ سپریم کورٹ فیصلہ دیگا۔ کچھ دنوں کا انتظار ہوگا۔ وہاں سے فیصلہ آجاتا، اس کے بعد کرنا چاہئیے تھا۔ یہ ایک پہلی بات۔

دوسری بات یہ ہے کہ اسٹیٹ اسمبلی ہے ہی نہیں یہاں پر وعدہ کیا گیا تھا کہ اسٹیٹ کو ری اسٹور کیا جائے گا۔ ہم 6 سال سے انتظار کر رہے ہیں، 10 سال سے کوئی الیکشن نہیں ہو رہا ہے، آپ خود سے اس کا جواب پوچھئیے۔ آپ کی ایک ذمہ داری ہے۔ آئینی آبلیگیشن ہے، پوزیٹیوٹی کے لئے یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے جو یہاں پر جو وعدے کئے تھے ان پر عمل نہیں کر رہے ہیں سب کو ان کا حق ملنا چاہیے، ہم اس کے خلاف نہیں ہیں۔ لیکن، براہ کرم ہمیں بتائیں کہ آپ کس اختیار کا استعمال کر رہے ہیں۔

تیسری بات یہ ہے کہ 5 اگست کے بعد سب کچھ ٹھیک ہوگیا۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہو گیا یہ تو کیا بات ہے؟ آپ اپنے آپ سے سوال پوچھیں۔ دس سال بعد بھی آپ وہاں الیکشن کرانے کی ہمت نہیں ہو رہی ہے۔ آپ نے یو۔ ایل۔ بییز۔ کے انتخابات بھی نہیں کروائے ۔ آپ نے پنچایت بھی ختم کر دی۔ جب ہمارے وزیراعظم پیرس میں کہتے ہیں کہ سلامتی کونسل

کی کیا اہمیت ہے، جب اس کی سب سے بڑی جمہوریت اس کا حصہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہمارے ملک کے ساتھ ہے۔ ہم اس کی حمایت کرتے ہیں۔ وہ کیسے کہتے ہیں کہ انڈیا مدر آف ڈیموکریسی ہے ، جب اس کے ڈیڑھ کروڑ لوگوں کو دس سال سے کوئی حقوق نہیں ملے۔ (مداخلت)۔

آپ کہتے ہیں سب ٹھیک ہو گیا ہے (مداخلت) ۔ ہمیں بات کرنے دیجیئے، یہ جموں و
میں آنے والے لوگوں کو داچی گـام، **G-20** کشمیر کا معاملہ ہے۔ اگر سب کچھ ٹھیک ہے تو باہر سے گلمرگ کیوں نہیں لے جایا جا سکا؟ آپ سفیر کـو لے آئے، لیکن اسے داچی گـام اور گلمـرگ لے جـانے کی ہمت نہیں ہوئی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ پتھـراؤ بنـد ہو گیـا ہے۔ چلـئے ٹھیـک ہے لیکن **Hybrid** کی نئی چیز کس نے بنائی؟ آپ کی سیکورٹی فورس ہمـارے درمیـان بیٹھی ہے۔ پـورا **Militant** ایـوان سـن لے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمـارے درمیـان ہائبرڈ ملیـٹینٹ بیٹھے ہیں۔ وہ کیـا ہے؟ ہـائبرڈ ملیٹینٹ وہ ہے جو اپنا کام کرتا ہے۔ اس کا اپنا اسٹال ہے، اپنی دکان پر بیٹھا ہے، اپنے کام پـر بیٹھـا ہے، لیکن جوہائبرڈ ملیٹینٹ ہے اس کی جیب میں کہیں پر بھی کوئی ہتھیار ہے، جب اسے پیغام ملے گـا، اسے ہدایت ہو گی، وہ اپنا کام کـرے گا۔ یہ واقعہ عیـدگاہ میں پیش آیـا۔ ہمـارے پـولیس افسـر کـو گولی چلائی گئی۔ حال ہی میں تنگمرگ میں بھی ایسا ہی ہوا، ایک پولس افسر کـو شہید کـر دیـا گیا۔ بالکل اسی طـرح جیسے ابھی سـپریا جی نےذکـر کیـا کہ کوکرنـاگ میں، جـو ہمـارے سـاتھ والا علاقہ ہے، کوکر ناگ میں ہمارے ایـک کمانـڈنگ آفیسـر چلے گـئے اور آپ کے اعـتراف کے مطـابق وہ کشمیر کا ہی کوئی جوان تھا تھا۔

جنـاب جـو آپ بیچ رہے ہیں اس ملـک کـو کہ سـب کچھ نارمـل ہے، آپ ایـک
نارملسی نیریٹیو بنا رہے ہیں، کچھ ثقافتی پروگراموں، کچھ تقریبات کی بنیاد پر، آپ اس ملک کــو کیسے گمراہ کر رہے ہیں؟ آپ کی ذمہ داری ہے کہ ملک کو وہی بتائیں جو سچ ہے۔

میں نے سنا تھا کہ یہاں پر عزت مآب وزیر نے کہا تھا کہ یہاں نہ تـو جووینائـل
جسٹس ایکٹ ہے، نہ کوئی ریزرویشن ہے اور نہ ہی ایس سی کے لیے کوئی ہے۔

انہیں معلوم تھا کہ ایس سی سے تعلق رکھنے والے 70 فیصد لوگ تھے ان کو لینڈ
ٹو دی ٹلر پروگرام کے تحت شہر کشمیر کی زمین دی گئی تھی، تو یہ ایک بات ہے۔

جناب، دوسری بات ریزرویشن ایکٹ کی ہے۔ آپ جموں و کشمیر کی لیجسلیچر
کا

جو اختیارہے وہ اسـتعمال کـر رہے ہیں۔ ایک ایسے قـانون کے تحت اسـتعمال کیـا جـا رہا ہے جسے فی الحال چیلنج کیا جا رہا ہے۔ جو آئینی موریلیٹی ہے، جو آئینی ملکیت ہے، وہ آپ پر لازم کـرتی ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ کا احترام کریں، ۔ جب تک سـپریم کـورٹ کـوئی فیصـلہ نہیں دیتـا تب تـک کوئی کام نہ کریں۔ جہاں تک اس ریزرویشن ایکٹ کا تعلق ہے۔

جناب اب بتائیں کہ اسمبلی کہیں نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں ریزرویشن
کـروں گـا، ہم کـریں گے۔ بـل کـا کنـٹینٹ ہے وہ الـگ بـات ہے لیکن آپ یہ ریزرویشـن کس چـیز کـا اسـتعمال کـر رہے ہیں؟ کہیں اسـمبلی نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ دو سـیٹس رکھیں گے جـو ہمـارے کشمیری مائگیرینٹس ہیں اور ایک سیٹ ہے جو پی او کے مائگیرینٹ ہیں ۔ جب اسـمبلی ہی نہیں تو کس بات کی جلدی ہے۔

And, more so, when we have the parent Act that is kind of being implemented now, is under judicial scrutiny before the topmost court of the country. آپ سپریم کورٹ کی توہین کیسے کر رہے ہیں؟ سپریم کورٹ کو کیسے زیر غور نہیں لایا جا رہا؟ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے۔

دوسری بات یہ ہے کہ اب کس کو یہ اختیار دیا جا رہا ہے۔ آپ خـود دیکھ لیں کہ
اختیار کس کو دیا جا رہا ہے۔ اختیار ایل۔جی۔ کو دیا جا رہا ہے۔ وہ نامزد ہے۔ کیوں؟ ایل جی، جـو ایـک نومینی ہے، جو صدر کا تقرر کردہ ہے، آپ اسے کیسے اختیارات دے رہے ہیں؟ اس کی جو بنیادی چیز

ہے میں اس کو چیلنج کرتا ہوں۔ اس کے مواد پر نہیں بلکہ اس کے طریقہ کار پر جسے آپ اپنانے جا رہے ہیں یا اختیار کر رہے ہیں۔ مجھے اس پر اعتراض ہے۔ آپ اس طرف بھی جائیں۔ آپ اسے LG کو کیوں دیں گے؟ ایل جی نامزد کرے گا، کس کے مشورے پر کرے گا؟ خود اپنی مرضی ہے ۔

ٹھاکر صاحب اشارہ کر رہے ہیں کہ یہاں سے پیغام آئے گا۔ یہاں سے پیغام کی بات نہیں ہے کہ جب آپ نامزد کریں گے، نامزدگی میں وہ کیا کردار ادا کریں گے، وہاں کا منتخب وزیر اعلیٰ ہوں گے، جیسا کہ آپ نے وعدہ کیا ہے، جب لیجسلیچ بنے گا تو وہاں کی جو سرکار ہوگی اس کی سفارش پر ہوگا، جیسا کہ ہر جگہ ہوتا ہے۔ آپ کو اس کا بھی احترام کرنا چاہیے۔ ہماری آئین ساز اسمبلی کا بنایا ہوا آئین ابھی تک نافض العمل ہے، جس کے ساتھ آنجہانی گردھاری لال ڈوگرا، کرشن دیو سیٹھی، سردار بدھ سنگھ، اور کوشک بگولا

بھی تھے۔ کیا کسی نے منسوخ کیا آئین؟ آپ اپنے آپ سے یہ سوال پوچھیں۔

کیا پارلیمنٹ کو اس ایکٹ کو منسوخ کرنے کا حق اور اختیار حاصل ہے؟ نہیں ہے جب بات اٹھے گی تو اس آئین کے تحت بھی ایک طریقہ کارکا سیگمینٹ ہو، تو ہم اس کی تلافی کیسے کریں گے۔ اس آئین کو نہ ہی حکومت کا اور نہ ہی ہمارے جو صدرجمہوریہ ہیں اس کا اختیار ہے، یہ ایک آئینی طاقت ہے۔ آئینی پاور کے ایکسرسائز میں آئین بنایا ہے اس آئین میں لکھا ہے کہ جموں و کشمیر ملک کا اٹوٹ حصہ ہے تو آئین کسی نے ڈِس ایبل تو نہیں کیا، وہ تو وہیں پر موجود ہے۔ اسے کسی نے منسوخ نہیں کیا۔ اگر آپ کے پاس اختیار نہیں تھا تو آپ منسوخ کیسے کر تے ؟

جناب ہم نے جن وعدوں کی بنیاد پر ملک کے ساتھ اپنا رشتہ جوڑا تھا، جن یقین دہانیوں پر ہم نے اپنا رشتہ قائم کیا تھا، وہ یہ تھے کہ آپ کی عزت کی جائے گی، آپ کی شناخت کا، آپ کے قوانین کا، آپ کے اندرونی نظام کا احترام کیا جائے گا۔ ہم نے مہاتما گاندھی جی کے ہندوستان کے ساتھ ایک رشتہ قائم کیا تھا۔ یہاں پر ایک سیکولرازم ہوگا، سوشلزم ہوگا، یہ ہمارے سماج کا بنیادی منتر ہوگا۔ جب آپ کہتے ہیں کہ نہیں، جسے آپ نے اپنی کامیابی کہا ،وہی تو ہار ہے۔ آپ میرے ایک سوال کا جواب دیں۔ ہمارے شمال مشرق میں 7 ریاستیں ہیں۔ وہاں آپ کی پالیسی ہے، وہاں پرجو بھی غیر یقینی صورتحال ہے، جو بھی مخالفت ہے، وہاں خود مختاری کو مضبوط کیجیئے، آپ اس کا جواب دیں۔

وزیر داخلہ صاحب خود وہاں گئے اور کہا کہ میں وزیر اعظم کی طرف سے لایا ہوں۔ کہ شمال مشرق (انر لائن پرمٹ) **ILP** منی پور کے لیے تحفہ لایا ہوں، میں آپ کے لیے میں جو تشدد ہے، وہاں کی غیر یقینی صورتحال ہے، وہاں کی جو انسرجینسی ہے اس کو ایڈریس کرنے لئے وہاں کی انٹرنل خودمختاری کو آپ مستحکم کر رہے ہیں۔ میں شمال مشرق تک نہیں جا سکتا جب تک کہ میرے پاس اجازت نہ ہو۔ انوراگ ٹھاکر جی بوڈولینڈ یا منی پور میں زمین نہیں خرید سکتے، نہ ہی میں، جب تک وہاں کی اجازت نہ ہو، اور نہ ہی ہم وہاں نوکری کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ اگر آپ وہاں مضبوطی کر رہے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ آپ جموں و کشمیر کو بیرونی بنا رہے ہیں؟ یہ کیسا طریقہ ہے اور جموں و کشمیر میں اس کو روکنے کی کیا وجہ ہے ؟ کیا آپ تناسب کی وجہ سے کر رہے ہیں یا کسی اور وجہ سے؟ اگر آپ اس بات پر بضد ہیں کہ ہم بوڈولینڈ میں 10 ہزار مربع کلومیٹر

دیں گے، جہاں آسام کے وزیر اعلیٰ کو زمین خریدنے کا حق نہیں ہے، تو پھر ہم جموں کے باشندوں سے زمین خریدنے کا حق کیوں چھین رہے ہیں؟ جموں، کٹھوعہ، ادھم پور اور ریاسی کے باشندوں سے ان کے حقوق کیوں چھین رہے ہیں؟ اگر آپ منی پور میں کہہ رہے ہیں کہ کوئی زمین خریدنے

نہیں آئے گا، تو آپ جموں، پونچھ، راجوری کے باشندوں کو کیوں وِشم پاورکر رہے ہیں، ان کی روزی روٹی کیوں چھین رہے ہیں؟

جناب آپ کو ان تمام معاملات پر توجہ دینا ہوگی۔ وہاں بیوروکریسی نہیں چلے گی۔ اگر بیوروکریسی کامیاب ہوتی تو پورے ملک میں چلائیے۔ آپ پانچ ریاستوں میں اپنی کامیابی کا جشن کیوں منا رہے ہیں؟ آپ کا جشن منانے میں حق بجانب ہیں، لوگوں نے اپنا فیصلہ دے دیا ہے، لیکن آپ اسے خود کیوں سیلف اڈوپٹ کر رہے ہیں؟ (مداخلت)۔

یہ صرف ہمارا معاملہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ کشمیر ملک کا تاج ہے۔ جموں و کشمیر میں کوئی اختیار نہیں دیا جا رہا ہے، جموں و کشمیر میں نوکریاں کیوں نہیں دی جا رہی ہیں؟ ہم ملک کے ساتھ ہیں، ملک کے ساتھ رہے ہیں، ملک کا حصہ ہیں، لیکن ہمارے بھی کچھ حقوق ہیں، ہمارے جموں کے نوجوانوں کے کچھ حقوق ہیں، کشمیر کے نوجوانوں کے کچھ حقوق ہیں، تو آپ اس پر انسِسٹ کیوں کر رہے ہیں؟ **You are a kind of keen that they should be deprived** اگر آپ جموں و کشمیر کو تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں تو کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ پانچ سال پہلے 5 اگست 2019 کو کیا ماحول تھا؟ اس ایوان کے جو معزز اراکین ہیں ان کے لیے ایک پیغام ہے۔ آپ میں اتنی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ وہاں الیکشن کرائیں۔ وہاں جو بھی آئے گا وہ حلف اٹھائے گا لیکن آپ نہیں کرا رہے ہیں۔ آپ ایک عام سا نیریٹیو بلڈ اپ کر رہے ہیں ۔ وہ نارمل نیریٹیو کی بنیاد یہاں پر ہے۔ آپ بار بار یہ کہتے ہیں اور آپ ایک بڑے لیڈر کا نام لے رہے ہیں، سب ان کی عزت کرتے ہیں۔ 5 اگست کو بھی میں نے اس بڑے لیڈر کا نام لیا تھا جس پر راج ناتھ سنگھ جی، امت شاہ جی اور پارلیمانی امور کے وزیر بھی کھڑے ہو گئے تھے۔

جناب، بات یہ ہے کہ کیا وہ نام، کیا وہ شخصیت 1947 کے فیصلوں میں شامل نہیں تھی؟ کیا وہ اپریل 1952 تک نہرو کابینہ کا حصہ نہیں تھے؟ نومبر 1947 کے آرٹیکل 370 کے حوالے سے جو فیصلہ تھا کیا اتفاق رائے سے نہیں لیا گیا، کیا رضامندی سے

نہیں لیا گیا؟ یہاں آفیسر کمانڈنگ کا ذکر ہوا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ جو باقاعدہ جنگیں ہوئی ہیں ان میں بھی کبھی کوئی آفیسر کمانڈنگ نہیں ہوا لیکن یہ تو پچھلے ہفتے کی بات ہے۔ اس میں ایک ڈی ایس پی اور ایک پولیس افسر تھا۔ آپ فوراً انتخابات کا اعلان کیجیئے اور الیکشن کروائیے، اور سپریم کورٹ کا احترام کیجیئے۔ جب تک سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں آتا، میرے خیال میں یہ بارڈر آف کنٹیمپٹ ہے۔ آپ اس قانون کو استعمال کر رہے ہیں جو انڈر جیوڈیشل سیکیوریٹی ہے، جو انڈر کلاؤڈ ہے ۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ ابھی آنا ہے لیکن آپ اس قانون کو استعمال کرتے ہیں۔

میرے خیال میں تب تک یہ سپریم کورٹ کی توہین ہے۔ یہ ہماری سپریم کورٹ ہے اور ہمیں سپریم کورٹ پر فخر ہے۔ ہماری سپریم کورٹ کے فیصلے باقی دنیا کو ریفر کئےجاتے ہیں، ایک ایسا قانون جسے **and it borders on that.** ،لیکن آپ ہی اس کی توہین کر رہے ہیں فارمل ہیرینگ کے لیے داخل کیا گیا اور ہیرینگ مکمل کی گئی ۔ آپ کے اٹارنی جنرل نے اپنے دستاویزات پیش کیں، سالیسٹر جنرل نے اپنے دستاویزات پیش کیں، انہوں نے دفاع کیا، انہوں نے دفاع کیا یا نہیں، ایسا ہونا چاہیے۔ ہم نے کہا نہیں، یہ بالکل غلط ہے۔? (مداخلت) بات یہ ہے کہ آپ ججمینٹ پری ایمٹ کر رہے ہیں۔ آپ ٹینشن پری ایمنٹ کر رہے ہیں ۔ جب کوئی فیصلہ ہو گا تو آئے گا۔ **Let us assume for a while** کہ کل فیصلہ آجائے گا کہ جموں و کشمیر ری آرگنائزیشن ایکٹ غلط تھا۔ یہ ری آرگنائزیشن ایکٹ نہیں ہونا چاہیے تھا۔ یہ آرٹیکل 3 کے خلاف تھا، جس میں کہیں نہیں لکھا گیا کہ آپ ریاست کو فریگمینٹ کر سکتے ہیں۔ یہ آرٹیکل 1 کے خلاف

آپ نے انڈیا کے یونین آف اسٹیٹس **India is a Union of States.** ہے، جو کہتا ہے۔ سےایک ریاست کی شناخت ہی ختم کردی۔ جس طرح ایک محلے میں دس گھر ہوتے ہیں اور ہر گھر ایک محلہ بناتا ہے، ایک مسکن بناتا ہے، اسی طرح ہمارا فیڈرم سسٹم ہے۔ ہر ریاست کو ایک اکٹھا کرکے ایک فیڈرل نیشن بنایا گیا ۔ جب آپ نے جموں و کشمیر کو فریگمینٹ کیا توایسا نہیں آپ توخود آئی اے ایس **as member in terms of Article 1** ہے کہ ہماری شناخت آفیسررہے ہیں اور وزیر قانون ہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب آپ کسی فرد، قبیلے،

گروہ کی شناخت کو ختم کرتے ہیں تو کیا یہ آرٹیکل 1 کے خلاف نہیں ہے؟ ہم نے یہ دلیل سپریم کورٹ کے سامنے دی اور ہماری دلیل سنی گئی۔ جناب آپ جو راستہ اختیار کر رہے ہیں۔ اس سے معاملات حل نہیں ہوں گے۔ ہم ملک کے ساتھ ہیں، ملک کے ساتھ ہیں۔

یہاں بجلی کے بحران کا ذکر کیا گیا۔ ہمارے پاس این ایچ پی سی کے ساتھ بہت سارے پاور پروجیکٹ تھے جس میں یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور بوٹ کے تحت معاہدہ کیا گیا جس کا مطلب تھا **BOOT, Build-Own-Operate-Transfer. You build and operate for some time, say, 25 years. You collect the money, collect the revenue, and then give it back to the State.** آپ اسے بھی قبول نہیں کریں گے۔ دوسروں کی انا کی بات ہوتی ہے، لیکن یہاں انا کم اور کہیں زیادہ رہی ہے۔ لیکن بات یہ ہے کہ میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، یہ کیسا طریقہ ہے؟ یہ کیسا رویہ ہے؟ یوں تو ہم یہاں معمول کے حالات کا ذکر کر رہے ہیں لیکن سری نگر کی جامع مسجد میں سات جمعے سے نماز نہیں پڑھی گئی۔ جبکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ **It is self sufficient** ۔ آپ خود چھوڑ دیا ہے کو گمراہ کر رہے ہیں اور ملک کو گمراہ کر رہے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ اس کا علاج نہیں ہو سکتا، یہ ٹھیک ہو سکتا ہے اور ہم ملک کے ساتھ ہیں۔ **In a sea of democracy, how can you have an island of uncertainty?** یہ ہم سے تعلق رکھتا ہے اور میری درخواست ہے کہ اس میں کچھ فلیکسی بلیٹی ہونی چاہیے۔ ہمیں بولنے کا حق ہے اور میں اس ایوان میں اپنے درد کا اظہار نہیں کروں گا تو اور کہاں اظہار کروں گا۔آپ الیکشن کی بات کیجیئے، ہیلتھ کیئر کی بات کیجیئے تومین پاور کا کرائسس سسٹم میں ہے چند ثقافتی پروگراموں سے نارملسی نہیں آتی ہے ۔ **You cannot build normalcy narrative by just depending on a few cultural events.** , یہ میرا ملک ہے، یہ میرا گاؤں ہے، یہ میرا شہر ہے، یہ روز بنائیے اور اور روز رکھئیے تو یہ کیسے ہوگا!؟ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ آنے تک اصرار نہ کریں۔ کچھ بھی ہو جائے، اس کے بعد کوئی اور پڑاؤ ہو گا، کوئی اور راستہ ہو گا۔ کنٹینٹ پر نہیں، لیکن ہر ایک کو بااختیار بنانے کی کوشش کی جانی چاہیے، ہر اس شخص کو بااختیار بنانے کے لیے جو ابھی تک انڈر پریویلیج ہیں جو **at the end of the que** ہیں انہیں بھی ریزرویشن دیا جائے۔ لیکن یہ طریقہ

غیر آئینی ہے اور اسے آئینی طریقے سے کیا جانا چاہیے۔]

सूचना और प्रसारण मंत्री तथा युवक कार्यक्रम और खेल मंत्री (श्री अनुराग सिंह ठाकुर): सभापति जी, मैं बीच में रोकना नहीं चाहता था, लेकिन चुनाव की एक बात कही गई है। यह कहा गया कि धारा 370 और 35 ए हटाने के बाद क्या हुआ? मैं ऑन दी फ्लोर ऑफ दी हाउस कह सकता हूँ कि जो 70 सालों तक ये लोग नहीं कर पाए, वह काम हमारी सरकार ने किया है। जब अनुच्छेद 370 तथा 35 ए को हटाया गया और जब कोविड का समय

था, उस समय भी जम्मू कश्मीर में अगर डीडीसी के चुनाव किसी ने करवाए तो वह माननीय नरेन्द्र मोदी जी की सरकार की प्रतिबद्धता थी और वहां सफल चुनाव हुए।

अगर हम पंचायती राज के नुमाइंदों की बात करें तो वे न केवल चुने गए, बल्कि माननीय प्रधान मंत्री जी उनसे स्वयं जाकर भी मिले और यह सुनिश्चित भी किया कि कश्मीर के गांव-गांव तक विकास भी कैसे हो। यही नहीं, यहां पर कहा गया कि इस परिवार का या उस परिवार का बहुत बड़ा योगदान है। मैं उस पर नहीं जा रहा हूँ। मैं किसी को कम नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन ये महाराजा हरिसिंह का ही नाम भूल गए, जिन्होंने विलय पर साइन किया था। क्या उनका उसमें कोई योगदान नहीं होगा? सरदार पटेल जी, जिन्होंने भारत की 553 रियासतों को जोड़ा था, अगर मजबूत भारत की नींव किसी ने रखी थी तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने रखी थी। नेहरू जी की गलतियों के कारण जो कमियां रह गईं, उनको सुधारने का काम 5 अगस्त तथा 6 अगस्त को यहां पर देश की संसद में किया गया और नरेन्द्र मोदी जी अध्यक्षता में किया गया।

आपने ठीक कहा कि किसी भी फौजी की या पुलिस की शहादत पर हम सबको उतना ही दुख होता है, जितना आपको होता है, लेकिन उससे ज्यादा दुख मुझे इस बात का है कि 75 सालों में से 60 सालों से ज्यादा आप सत्ता में रहे तथा 45 हजार लोगों की मौत जम्मू कश्मीर में हुई, जिसमें हजारों सैनिकों की भी शहादत हुई, तब तो आपमें से कोई नहीं बोला। आप 10 सालों तक उस सरकार का हिस्सा रहे और हमारे फौजी भाई बुलेटप्रूफ जैकेट मांगते रहे, लेकिन आप 10 सालों तक उसकी खरीद नहीं कर पाए, शायद कमीशन को ढूंढ रहे होंगे। यह नरेन्द्र मोदी जी की सरकार है, जिसने मेक इन इंडिया ही सही, दो लाख बुलेटप्रूफ जैकेट्स देने का काम किया है।

यहां पर कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग है। मैं कहना चाहता हूँ कि क्या कोई प्रतिबद्धता है? क्या हम लोग यहां पर कानून पास नहीं कर सकते हैं? जिसको आपने हक नहीं दिलाया, उसको भी हक दिलाने का काम आज नरेन्द्र मोदी जी सरकार यहां पर कर रही है।

मैं अंत में केवल इतना ही कहूंगा कि आप जिन परिवारों की बात कर रहे हैं, अगर आप पिछले दो-चार सालों के पेपर पढ़ेंगे तो उसमें देखने को मिलेगा कि कुछ बड़े-बड़े परिवारों को जो किसी भी राजनीतिक घरानों से हों, उनको वे जमीनें दे दी गई थीं। हमारी सरकार के आने के बाद वे सरकारी जमीनें अब वापस सरकार को दिलाई गई हैं, लेकिन गरीबों से उनके हक नहीं छीने गए। यह हमारी सरकार ने किया।

मैं अपनी अंतिम बात को कहकर अपना भाषण समाप्त कर रहा हूँ। आपने सुषमा जी और अरुण जेटली जी को याद किया है। मैं इतना ही कहूंगा कि जब अनुच्छेद 370 और 35 ए हटाने का काम हुआ तो मुझे आज भी याद है कि सुषमा जी ने प्रधान मंत्री जी को और अमित भाई को बधाई दी थी। वे काफी उत्सुक थीं। मैं तो उसका साक्षी हूँ। उन्होंने फोन किया, उसके बाद मैं एम्स अस्पताल भी गया। सुषमा जी ने अंतिम समय में भी यह बात कही कि जो डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी ने उस युवा अवस्था में अपना मंत्री पद त्यागकर यह कहा था कि एक देश में दो संविधान, दो विधान, दो प्रधान नहीं चल सकते, आज हमारी सरकार ने मोदी जी के नेतृत्व में उसको पूरा करने का काम किया है।

मैं अंत में इतना ही कहूंगा कि वही सुषमा जी और वही अरुण जेटली जी, ये राज्य सभा के नेता प्रतिपक्ष थे और लोक सभा के भी थे। वे लाल चौक पर 26 जनवरी को तिरंगा झंडा पर फहराने की बात करते थे, तब उस समय वहां पर किसकी सरकार थी? तब 25 जनवरी को उनको जेल में डाल दिया गया था? उनका अपराध केवल इतना था कि वे जम्मू कश्मीर में तिरंगा झंडा फहराने की बात करते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि यह सत्य से परे है। अगर वहां पर मजबूती आई है और विकास हुआ है तो पिछले चार वर्षों में हुआ है और बड़ा बदलाव देखने को मिला है।

धन्यवाद।

श्री जामयांग शेरिंग नामग्याल (लद्दाख): सभापति महोदय, आपने मुझे जम्मू कश्मीर से रिलेटेड दो बिलों पर बोलने के लिए मौका दिया, उसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं पूरे जम्मू कश्मीरवासियों और साथ ही साथ पूरे देशवासियों की ओर से माननीय प्रधान मंत्री जी को भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा।

The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 and the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023, इन दोनों के माध्यम से संशोधन करके जम्मू-कश्मीर में एसटी कम्यूनिटी, एससी कम्यूनिटी, वुमेन, कश्मीरी माइग्रेंट्स, कश्मीरी पंडित, विस्थापित परिवार, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड्स, उन सभी को एम्पावर करने के लिए यहां पर जो बिल्स लाए गए हैं, मैं इनका स्वागत करता हूं।

इन बिल्स से पहले जम्मू-कश्मीर में विधान सभा का इलेक्शन होता था। उसमें टोटल 87 एमएलएज चुने जाते थे। इनके अलावा 24 सीट्स, पीओके जो भारत का अभिन्न हिस्सा था और यह अभिन्न हिस्सा रहेगा, उसके लिए रिजर्व रखी जाती थीं। दुर्भाग्य की बात यह थी कि 24 सीट्स रिजर्व के नाम पर खाली रखी जाती थीं। अपने इस देश में जो लोग वंचित थे, जो लोग डेप्राइव्ड थे, उन्होंने यह मांग की। लद्दाख में भी ऐसे क्षेत्र हैं, जो 1971 के युद्ध के बाद आजाद हो कर भारत के साथ फिर से जुड़े। ऐसे गांव तुरतुक, त्याक्षी, थांग, गेरी और चुलुंगखा हैं। मुझे याद है कि हम बार-बार यह मांग करते थे कि वहां से जो इस तरफ आए हैं, ऐसे गांव, विस्थापित लोग, जो जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में रहते हैं, जो लोग वंचित हैं, उनके लिए रिजर्व सीट्स से एक-दो सीट्स निकाली जाए। लेकिन यह सुनने के लिए कोई तैयार नहीं था। सबको अपनी-अपनी कुर्सी मिल चुकी थी।

आज पहली बार माननीय प्रधान मंत्री जी एक बार फिर से यह गारंटी दे रहे हैं कि हमारे देश के जितने भी नागरिक गरीब हैं, वंचित हैं, जिनकी आवाज नहीं सुनी गई, उसे प्रधान मंत्री जी सुन कर सीट्स रिजर्व कर रहे हैं। एससी के लिए पहले छ: सीट्स रिजर्व थीं, उन्हें बढ़ा कर सात सीट्स की जा रही हैं। एसटी के लिए पहले शून्य सीट्स, बिल्कुल ही एमएलए सीट्स रिजर्व नहीं थी, हालांकि वहां बहुत अच्छी संख्या में एसटी कम्यूनिटी के लोग रहते हैं, लेकिन जिन्होंने शासन चलाया, उन्होंने उनको हक-हुकूक और रिजर्वेशन नहीं दिया। आज प्रधान मंत्री जी इस बिल के माध्यम से एसटी कम्यूनिटी के लिए एमएलए की नौ सीट्स रिजर्व कर रहे हैं। मैं इसके लिए पूरे देश के एसटी कम्यूनिटी की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि मैं भी एसटी कम्यूनिटी से आता हूं। इसी के साथ-साथ कश्मीरी माइग्रेंट्स और विस्थापित लोगों के लिए दो सीट्स रिजर्व किए जा रहे हैं। इसमें भी गौर करने वाली बात यह है कि प्रधान मंत्री जी द्वारा कोई भी पॉइंट बाहर न छूटे, इस बात को सुनिश्चित करते हुए, इसमें भी वुमेन को रिजर्वेशन की गारंटी दे रहे हैं। मैं इसके लिए उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। देश की नारी शक्ति प्रधान मंत्री जी के प्रति हमेशा आभार व्यक्त करती रहेगी। उन्होंने इसी नए संसद भवन में वुमेन रिजर्वेशन बिल पारित करके पूरे देश में महिलाओं का सशक्तिकरण किया है। इसी के साथ आज वे लगे हाथों जम्मू-कश्मीर के विधान सभा में भी कश्मीरी माइग्रेंट्स और विस्थापित लोगों में वुमेन रिजर्वेशन को एनश्योर कर रहे हैं। इसी के साथ-साथ इस रिजर्वेशन बिल को अमेंड करके, चाहे वे सरकारी नौकरी हो या प्रोफेशनल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हों, हमारे बच्चों को रिजर्वेशन देकर प्रधान मंत्री जी एक बार फिर से जम्मू-कश्मीर के युवा पीढ़ी को इस बिल के माध्यम से एम्पावर कर रहे हैं।

मैं इस बिल पर हो रही चर्चा को सुन रहा था। बहुत लोगों ने यह पूछा कि वहां पर इलेक्शन क्यों नहीं हो रहा है? शायद, वे असेम्बली इलेक्शन के बारे में पूछ रहे होंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि वहां बिल्कुल ही इलेक्शन नहीं हुआ है। मैं बताना चाहता हूं कि हमारी पार्टी ने मुझे साउथ कश्मीर में जनसंपर्क अभियान चलाने की जिम्मेवारी

दी। मुझे साउथ कश्मीर के चार जिलों में जाने का मौका मिला। साउथ कश्मीर सबसे अधिक मिलिटैंट अफेक्टेड एरिया माना जाता है। वहां जाने के बाद, मुझे वहां दो-तीन रात रुकने का भी मौका मिला। मुझे वहां पर अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के अलावा दुकानदारों से, डिस्ट्रिक्ट लेवल के एम्प्लॉइज़ से और अलग-अलग स्टेकहोल्डर्स से मिलने का मौका मिला। मैंने वहां लोगों से पूछा कि अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद, वर्ष 2019 में 5-6 अगस्त के डिसिजन के बाद जम्मू कश्मीर और खासकर साउथ कश्मीर के एरियाज में क्या चेंजेज आएं? लोग क्या महसूस कर रहे हैं? मैंने यह भी पूछा कि यहां पर असेम्बली इलैक्शन जल्दी होना चाहिए या देर से होना चाहिए? वहां के लोगों ने बोला कि हमें इलैक्शन की कोई जल्दी नहीं है, क्योंकि आम नागरिक वहां दुकान चलाते हैं, टैक्सी चलाते हैं, रेहड़ी चलाते हैं, नौकरी करते हैं। आम लोग चाहते हैं कि अभी का जो शासन है, चाहे सरकारी स्कीम्स हो, डिलिवरी सिटस्म हो, ट्रांसपेरेंसी हो, उसमें करप्शन खत्म करने का काम किया है। 5-6 अगस्त के बाद मोदी जी ने जम्मू-कश्मीर में सबसे बेमिसाल काम किया है। इसलिए वहां के आम नागरिक बता रहे हैं कि उनको असेम्बली के इलैक्शन की कोई जल्दी नहीं है। हम समझते हैं कि जिन लोगों को अभी कुर्सी नहीं मिली है, वे थोड़ा चिल्लाएंगे। लेकिन कुर्सी मिलने के बाद क्या करेंगे? हम भी तो जम्मू-कश्मीर के रहने वाले थे। हमने भी तो जम्मू-कश्मीर की सरकार को झेला। वहां चाहे डिस्ट्रिक्ट कैडर का एम्प्लॉयमेंट लेना हो या किसी मुलाजिम का ट्रांसफर करना हो या किसी को आवास योजना में घर दिलाना हो, मैं सदन में बता सकता हूं कि करप्शन के अलावा कोई काम होता ही नहीं था। सेक्रेटेरियट में जम्मू-कश्मीर के किसी मंत्री जी से मिलने के लिए, अपॉइंटमेंट के लिए भी हमें करप्शन देना पड़ता था। जम्मू-कश्मीर की हुकूमत में यह दौर था, लेकिन आज प्रधान मंत्री मोदी जी ने अनुच्छेद 370 हटाने के बाद जम्मू-कश्मीर में जो मेकेनिज्म, चाहे वह इनवेस्टमेंट की बात हो, एम्प्लॉयमेंट की बात हो, पीस मेन्टेन करने की बात हो, सिक्योरिटी की दृष्टि से हो, टूरिज्म की दृष्टि से हो, हर सेक्टर में एक बेमिसाल काम किया है। यह केवल मैं नहीं बोल रहा हूं, साउथ कश्मीर के रहने वाले लोग चिल्ला-चिल्ला कर हमें बताते हैं।

मैं इस बात से हैरान हूं कि जब मैं साउथ कश्मीर गया तो कश्मीर जाने से पहले एक डर होता था और खासकर साउथ कश्मीर के इलाकों में जाने से पहले, पता नहीं मन में एक वहम सा छा जाता था कि जिन्दा लौटेंगे कि नहीं लौटेंगे। लेकिन उस दिन मैंने वहां देखा, आज यह बयान वहां साउथ कश्मीर वाले भी सुन रहे होंगे और वे लोग भी इस बात को एन्डोर्स करेंगे कि पहले जिस जगह पर गोला-बारूद, बंदूक की जो शूटिंग चलती थी, आज वहां पर मूवी, फिल्म की शूटिंग चल रही है। वहां पर पहले महीना-महीना, साल-साल कर्फ्यू चलते थे, दफा 144 लगाकर बंद रखते थे, आज वही दुकानदार बोल रहे हैं कि पिछले एक-डेढ़ साल से उनकी दुकान को एक दिन या एक रात के लिए भी बंद करना नहीं पड़ा है, बल्कि रात के 11 बजे तक वहां की दुकानें खुली रहती हैं। जो स्कूल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल कॉलेजेज महीने-महीने बंद रहते थे, आज वहां के स्टूडेंट्स बता रहे हैं कि वहां के स्कूल्स एक दिन के लिए भी डिस्टर्ब नहीं होते हैं। कश्मीर के छोटे-छोटे बच्चे जो तालीम हासिल करते हैं, कोई तालीम से महरूम नहीं रहते हैं। इसका श्रेय प्रधान मंत्री मोदी जी को जाता है।

जम्मू-कश्मीर टूरिज्म के अलावा सैफ्रॉन के लिए जाना जाता है, एप्पल के लिए जाना जाता है। आज जो सैफ्रॉन की खेती करते हैं, एप्पल की खेती करते हैं, एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट से लेकर अच्छा रोजगार वहां के लोग कर रहे हैं।

मैं इलैक्शन के बारे में बताना चाहता हूं। लोग इलैक्शन की बात कहते हैं। यहां पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्य मंत्री फारूख साहब बैठे हुए हैं। मैं बड़े आदर के साथ, रेस्पेक्ट के साथ, सम्मान के साथ पूछना चाहता हूं कि आपने अपनी जिंदगी में कितने इलैक्शन देखें और आप ऐसा कोई इलैक्शन सदन में बताइये कि जो बिना बंदूक के हुआ हो या बिना फायरिंग के हुआ हो। क्या दफा 144 के बिना कोई इलैक्शन हुआ है? मैं बताना चाहता हूं

कि जम्मू-कश्मीर में इलैक्शन से ज्यादा पीस और लोगों की सिक्योरिटी की जरूरत है। जान है तो जहान है। प्रधान मंत्री मोदी जी ने कहा था कि जान है तो जहान है। आज हम सिक्योरिटी को ताक पर लगा कर, at the cost of national security and at the cost of people?s security, लोगों की जान की बाजी लगा कर हम चुनाव नहीं कर सकते।

-

-

-

16.00 hrs

यह मैं अपना ओपिनियन बता रहा हूँ। ऐसा भी नहीं है कि कोई इलेक्शन नहीं हुआ। धारा 370 हटने के बाद पंचायत इलेक्शन, बीडीसी का इलेक्शन और डीडीसी का इलेक्शन हुआ। ग्रासरूट डेमोक्रेसी के इंस्टिट्यूशंस को खड़ा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया।

इस पर डिस्कशन के दौरान यह बात आई कि धारा 370 हटने के बाद हमने क्या हासिल किया? शायद यह बहुत कम लोगों को जानकारी होगी कि हमने क्या-क्या हासिल किया। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वर्ष 2019-20 तक जम्मू-कश्मीर में 297 करोड़ रुपए का इंवेस्टमेंट आया था, वह आज की डेट में 2,153 करोड़ रुपए का इंवेस्टमेंट आया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के माध्यम से वर्ष 2019 तक 1,175 किलोमीटर सड़कें बनीं, वह वर्ष 2023 में बढ़कर 8,066 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। जम्मू-कश्मीर में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे कम्प्लीट किया है। पहले जो भी जम्मू-कश्मीर की छोटी-मोटी स्कीम्स थीं, उनमें से एक हाउसहोल्ड टैप वॉटर कनेक्शन की स्कीम थी, जिसके तहत केवल 5 लाख 75 हाउसहोल्ड्स को ही कनेक्शन दे पाए, जो पूरे जम्मू-कश्मीर के 31 प्रतिशत लोगों तक ही सीमित था। आज उसको बढ़ाकर 72 प्रतिशत यानी 13.54 लाख हाउसहोल्ड्स को टैप वॉटर कनेक्शन दिया गया। वर्ष 2019 से पहले जल-जीवन मिशन के तहत जो काम हुए, उनमें आँगनवाड़ी, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, गवर्नमेंट इंस्टिट्यूशंस, पब्लिक इंस्टिट्यूशंस के लिए केवल 20 परसेंट ही अचीव कर पाए। लेकिन धारा 370 हटने के बाद धरातल पर इस तरह से काम हुए कि आज पूरे जम्मू-कश्मीर में जल-जीवन मिशन के तहत आँगनवाड़ी, हॉस्पिटल्स, गवर्नमेंट और पब्लिक इंस्टिट्यूशंस के काम में 100 परसेंट कवरेज है। अगर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेज की बात करें तो धारा 370 हटने के पहले केवल 94 ही थे, लेकिन आज जम्मू-कश्मीर में 147 गवर्नमेंट कॉलेजेज फंक्शनल हैं। जम्मू-कश्मीर में केवल दो ही इंजीनियरिंग कॉलेजेज थे। आज वहाँ पर चार इंजीनियरिंग कॉलेजेज बन रहे हैं और उनमें से तीन फंक्शनल हैं। आज जम्मू-कश्मीर में आईआईटी, आईआईएम, एम्स हैं। पहले वहाँ एम्स था ही नहीं। लेकिन इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने जम्मू-कश्मीर को ये सारे उपहार दिए।

वर्ष 2019 से पहले, जम्मू-कश्मीर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत केवल 47 सिटीज थीं, लेकिन आज जम्मू और श्रीनगर में 173 स्मार्ट सिटीज बन रही हैं। चूंकि प्रधानमंत्री जी गरीब की चिन्ता करते हैं, वे गरीब कल्याण योजना चलाते हैं, गरीब को सबसे आगे रखते हैं, जो व्यक्ति अंतिम पंक्ति में खड़ा है, उसको सबसे पहले सरकारी बेनिफिट पहुंचाते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वर्ष 2019 तक 20,216 घर कम्प्लीट हुए थे, लेकिन वर्ष 2023 में 1,28,135 लोगों को घर मिल चुके हैं। ये सारे लोग आज प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद

दे रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना (अर्बन) के तहत, वर्ष 2019 तक लाभांवित होने वाले लोगों की संख्या केवल 4,024 थी, लेकिन आज 17,058 लोगों को घर मिल चुके हैं और उन घरों में लोग रहने लगे हैं।

पहले जम्मू-कश्मीर में 50-60 प्रतिशत क्षेत्र ही ओडीएफ थे, लेकिन आज वहाँ 100 परसेंट ओडीएफ अचीव हुआ है। पहले ई-बसेज का कांसेप्ट ही नहीं था। मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने यहाँ बोलते समय लद्दाख के प्रति ?कार्बन न्यूट्रल लद्दाख? का जो विज़न दिया, उसी विज़न के तहत जम्मू-कश्मीर में ई-बसेज की शुरुआत की गई। आज जम्मू-कश्मीर में 150 ई-बसेज हैं, जिनमें से 75 बसेज जम्मू में और 75 बसें कश्मीर में हैं, जिनके द्वारा ई-बसेज की सेवाएं लोगों को प्रदान की जा रही हैं।

इसी प्रकार से, नैशनल ई-गवर्नेंस का कांसेप्ट जम्मू-कश्मीर में था ही नहीं, लेकिन धारा 370 हटने के बाद देश में जितनी भी यूनियन टेरीटरीज हैं, उनमें से ई-गवर्नेंस के मामले में रैंकिंग में सबसे पहले नम्बर पर प्रधानमंत्री जी ने लद्दाख को रखा है।

इसी तरह ई-ऑफिस, ई-पीआरएस, ईपीएम, ई-एचआरएम, ई-उन्नत, जेएके-स्पैरो, जेके पे-सिस्टम, ये सब जम्मू कश्मीर में लागू ही नहीं होते थे, जिसके कारण सरकार की हर स्कीम में घोटाले ही घोटाले होते थे, कमीशन चलती थी। आज जम्मू कश्मीर में इस सबको लागू करके जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अंदर से मजबूत किया है, अंदर से क्लीन किया है और अंदर से ट्रांसपेरेंट किया है।

सभापति महोदय, अनुच्छेद 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन सेवाओं की मात्रा केवल 60 थी। आज जम्मू कश्मीर में ऑनलाइन सेवाएं 1,102 स्कीम्स पर लागू हैं। पहले हमारे दरबार मूव होते थे। समर केपीटल ? कश्मीर, विंटर कैपिटल ? जम्मू। इस दरबार मूव में बहुत कुछ और मूव होता था। हमारी फाइल्स गुम हो जाती थीं, बहुत सारा करप्शन होता था। गवर्नमेंट की ट्रेजरी पर एक बर्डन होता था और लोग उस दरबार मूव के कारण तरसते थे और इंप्लॉयेज भी तरसते थे। आज अनुच्छेद 370 हटने के बाद यह दरबार मूव खत्म करके जम्मू और कश्मीर, दोनों जगह हमारा सेपरेट सिस्टम चल रहा है और वह भी ई-ऑफिस के माध्यम से चल रहा है। ई-ऑफिस को जम्मू कश्मीर में 100 परसेंट फंक्शनल यदि किसी ने बनाया है, तो वह प्रधान मंत्री मोदी जी ने बनाया है। अगर मैं जियोग्राफिकल आइडेंटिफिकेशन (जीआई) टैग की बात करूं, तो पूरे जम्मू, कश्मीर और लद्दाख, इन तीनों क्षेत्रों को मिलाकर केवल एक ही चीज को वर्ष 2019 से पहले जीआई टैग मिल चुका था, केवल सैफरन का जीआई टैग मिल चुका था, उसके अलावा किसी भी प्रोडक्ट का जीआई टैग नहीं हुआ था।

आज जम्मू कश्मीर में ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को जीआई टैग दिया जा चुका है। मैं मोदी सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं। लद्दाख में भी हम पहले जीआई टैग का नाम सुनते थे, लेकिन हमें कभी देखने को नहीं मिला था। आज लद्दाख के एप्रिकॉट को, लद्दाख के पशमीना को, लद्दाख की वुड-कार्विंग को, लद्दाख के सी-बकथॉर्न को, जिसमें न्यूट्रिशन और विटामिन्स की रिचनेस है, इन सारी चीजों पर अनुच्छेद 370 हटने के बाद जीआई टैग मोदी सरकार ने हमें दिया है।

<u>16.08 hrs</u> (Shri A. Raja *in the Chair*)

पहले ?वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट? का कॉनसेप्ट होता ही नहीं था। आज मोदी जी ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख समेत जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक-एक प्रोडक्ट को ?वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट? के तहत उसको प्रचारित किया, उसको प्रमोट करने का काम प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया ।

?आपकी ज़मीन, आपकी निगरानी? पहले सरकार की स्कीम ही नहीं थी। आज ?आपकी ज़मीन, आपकी निगरानी? के माध्यम से लोगों को उनकी अपनी-अपनी भूमि का हक देने का काम मोदी जी ने किया है। चाहे सरकारी ज़मीन हो या आवाम की जमीन हो, पहले लैंड रिकॉर्ड का ठीक से पता ही नहीं होता था। खासकर, हम लद्दाख वालों पर जबरदस्ती उर्दू चलाई जाती थी। जो लोग उर्दू पढ़ भी नहीं सकते, नहीं जानते हैं, पता नहीं उनकी जमीन के लिए उनको क्या लिखकर दे दिया जाता था? आज ?डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स? के माध्यम से उनको अपना-अपना लैंड रिकॉर्ड ऑनलाइन एविलेबल करा दिया गया है। आज लोग जानते हैं कि उनके पास कितनी जमीन है या नहीं है? मिल्कियत है या नहीं है? एग्रीकल्चर है या नहीं है? वे जानते हैं कि उनके पास क्या है? इतनी ट्रांसपरेंसी के साथ इन कामों को धरातल पर उतारने का काम प्रधान मंत्री मोदी जी ने किया है।

यहां युवाओं की बात की गई। मैं बताना चाहता हूं कि पहले हमारे जम्मू कश्मीर में यूथ का स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेशन केवल दो लाख ही होता था, ऐसा 2019 तक होता था। 2019 में अनुच्छेद 370 हटने के बाद 60 लाख यूथ हमारे जम्मू कश्मीर से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पहले यूथ मिशन नहीं था। आज यूथ मिशन चलाया जा रहा है। 2019 तक कोई यूथ क्लब नहीं था। आज सरकार की पहल से जम्मू कश्मीर में 4,998 यूथ क्लब्स बनाकर, यूथ को एक-दूसरे का हाथ थामकर आगे बढ़ाने का काम मोदी सरकार कर रही है।

इसी तरह अगर मैं हेल्थ की बात करूं, तो पहले यूनिवर्सल हेल्थ इंश्योरेंस नहीं था। आज प्रधान मंत्री मोदी जी ने जिस तरह पूरे देश में आयुष्मान भारत के माध्यम से गोल्डन कार्ड को लागू किया, हर गरीब की जेब में पांच लाख रुपए का इंश्योरेंस रखने का काम किया है, उसके लिए मैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख वालों की ओर से सरकार को आभार व्यक्त करना चाहता हूं। जम्मू कश्मीर और लद्दाख में 100 परसेंट यूनिवर्सल कवरेज कर दी और हर किसी की जेब में पांच लाख रुपए का इंश्योरेंस दिया गया, ताकि किसी गरीब मजदूर को इलाज कराने के लिए पैसा न होने के कारण अपनी जान गंवानी न पड़े। यह चिंता प्रधान मंत्री मोदी जी ने की है। अगर मैं जम्मू-कश्मीर में मेडिकल कॉलेजेज की बात करूँ तो पहले वहाँ चार ही मेडिकल कॉलेज होते थे । वर्ष 2019 में धारा 370 हटने के बाद 7 नए मेडिकल कॉलेजेज अभी जम्मू-कश्मीर में बन चुके हैं और ये सारे ऑपरेशनल हैं। मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि लद्दाख के लिए अलग से मेडिकल कॉलेज सैंक्शन देकर हमारा कंस्ट्रक्शन का काम शुरू भी हो चुका है। मैं इस बात के लिए आभार व्यक्त करता हूँ। मैं मेडिकल सीट्स की बात करना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पर यूथ की बहुत चर्चा की जा रही है, तो मैं एक-एक चीज गिनाना जरूरी समझता हूँ। मेडिकल सीट्स, वर्ष 2019 तक 500 एमबीबीएस सीट्स जम्मू-कश्मीर के युवाओं को मिलती थीं। आज उन सीट्स में 800 सीट्स प्लस करके 1300 एमबीबीएस की सीट्स का रिजर्वेशन जम्मू-कश्मीर के युवाओं को मिल रहा है। पोस्ट ग्रेजुएशन की सीट्स पहले 367 ही होती थीं। आज 664 पोस्ट ग्रेजुएशन मेडिकल सीट्स जम्मू-कश्मीर के लिए एवलेबल की गई हैं। मैं इस बात के लिए प्रधानमंत्री जी की प्रशंसा करना चाहता हूँ। उसी तरह से नर्सिंग की सीट्स हैं। यह लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए मैं शॉर्ट करके इसे पढ़ रहा हूँ।

मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, पहले हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर के नाम से कोई अच्छा मेडिकल इंस्टीट्यूशन, मेडिकल सेंटर गाँव, कस्बे में ठीक से नहीं चलता था। आज जम्मू-कश्मीर में 3,006 हेल्थ एंड वैलनेस सेंटर जम्मू-कश्मीर के अलग-अलग गाँवों में खुल चुके हैं। डायल 102, डायल 108 इंटीग्रेटेड एम्बुलेंस सर्विस का पहले जम्मू-कश्मीर में कांसेप्ट ही नहीं था, आज जम्मू-कश्मीर में डायल 102, डायल 108 की एम्बुलेंस सर्विस पूरी तरह से फंक्शनल है। मेरे पास जो डाटा एवलेबल है, 425 एम्बुलेंस सर्विस ऑन रोड हैं, आप कहीं से भी फोन करें, एम्बुलेंस आपके दरवाजे पर मरीज को उठाने के लिए पहुँच जाती है।

इसी तरह से पेंशन के जो लाभार्थी हैं, गरीब, मजदूर आवाम के लिए, चाहे ओल्ड ऐज पेंशन हो, चाहे डिसेबल पेंशन हो, विडो पेंशन हो, पहले यह पेंशन केवल 6 लाख 13 हजार लोगों को ही मिलती थी, आज 10,38,100 यानी कि करीब 77 प्रतिशत इंक्रीज करके यह पेंशन दी जा रही है। चाहे ओल्ड ऐज पेंशन हो, चाहे डिसेबल पेंशन हो, चाहे विडो पेंशन हो, 100 परसेंट पेंशन कवरेज मोदी जी ने किया है। मैं उन गरीबों की तरफ से माननीय मोदी जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ।

इसी तरह से स्कॉलरशिप की बात यहाँ की जा रही थी कि जम्मू-कश्मीर में यह स्कॉलरशिप बंद हुई, वह स्कॉलरशिप बंद हुई और हमारे जम्मू-कश्मीर के बच्चों की पढ़ाई ठीक से नहीं हो रही है। यह सरासर असत्य है। मैं डाटा के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ कि स्कॉलरशिप फॉर एससी, जो एससी स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप पहले 8,250 लोगों को मिल रही थी, वर्ष 2019 के बाद 63,550 एससी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दी जा रही है। माइनोरिटीज के लिए पहले जब आपकी सरकार थी, मैं वर्ष 2019 तक बता रहा हूँ, वर्ष 2019 तक मेरे पास जो डाटा एवलेबल है, माइनोरिटीज स्टूडेंट्स के लिए 1,43,154 स्कॉलरशिप्स ही दी जाती थीं, धारा 370 हटने के बाद माइनोरिटीज स्टूडेंट्स के लिए 3,00,651 स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं। किसी भी कम्युनिटी के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप से वंचित नहीं किया जा रहा है। आधार वेरिफिकेशन फॉर आंगनवाड़ी बेनेफिशरीज होता ही नहीं था। यह कितने ताज्जुब की बात है कि पहले जम्मू-कश्मीर में आंगनवाड़ी के राशन में भी घोटाला होता था। मैंने खुद एक वीडियो देखा है, आंगनवाड़ी सेन्टर्स में जो बच्चों को राशन देता था, वह टोमेटो और सोयाबीन गिनकर दे रहे थे, लेकिन आज आंगनवाड़ी वेरिफिकेशन के माध्यम से 97 परसेंट आधार वेरिफाइड होकर कोई घोटाला नहीं हो रहा है, क्लियर कट साफ-सफाई के साथ काम चल रहा है। धारा 370 हटने से पहले भारत के बहुत सारे अच्छे-अच्छे कानून वहाँ पर लागू ही नहीं थे। मैं एक-एक करके बताना चाहता हूँ। जुवेनाइल जस्टिस रूल अंडर जेजे एक्ट 2015 आज जम्मू-कश्मीर में लागू है। रूल्स अंडर कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट पहले लागू ही नहीं होते थे, आज वर्ष 2022 से ये लागू हो रहे हैं।

महोदय, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले दो मिनट का समय और चाहूँगा ।

महोदय, रूल्स अंडर कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट पहले लागू ही नहीं होता था, अब यह वर्ष 2022 से लागू हो रहा है। रूल्स अंडर मेनटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट, 2007 जम्मू-कश्मीर में लागू ही नहीं होता था, अब वर्ष 2021 से यह लागू है। रूल्स अंडर राइट्स ऑफ पर्सन डिसेबिलिटी, 2016 वर्ष 2021 के बाद लागू हुआ है। वन स्टॉप वन सेंटर फॉर वूमेन पहले छह सेंटर्स थे, आज 20 सेंटर्स हो चुके हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट हब्स को वूमेन एम्पॉवरमेंट सेंटर्स पहले 12 थे, आज 20 हो चुके हैं। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं, इनकी लिस्ट को मैं स्किप कर रहा हूं। जम्मू-कश्मीर में बहुत सारे अच्छे-अच्छे काम हुए हैं। मैं सारे कामों के लिए प्रधान मंत्री मोदी जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं और बताना चाहता हूं कि आज जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद हमने क्या अचीव किया है। हमने अचीव किया - डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो नारा दिया था - ?एक देश में एक विधान, एक प्रधान और एक संविधान?, इसे हमने अचीव किया। जम्मू-कश्मीर को परमानेंटली देश के साथ इंटीग्रेट किया और देश के जितने भी अच्छे-अच्छे कानून हैं, उनका बेनिफिट जम्मू-कश्मीर को मिलने लगा। जम्मू-कश्मीर में जो करप्शन होता था, क्रिकेट एसोसिएशन की करप्शन को कौन भूल सकता है, आज जम्मू-कश्मीर में सारा करप्शन खत्म करके एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाया है। जम्मू-कश्मीर के युवाओं के हाथ में पहले पत्थर होते थे लेकिन नरेन्द्र मोदी जी ने युवाओं के हाथ से पत्थर छीनकर कम्प्यूटर, बैट-बॉल, स्किल इंडिया, मेक इंडिया जैसी बहुत स्कीम्स का बेनिफिट जम्मू-कश्मीर के लोगों को दिया। पहले वहां बंदूक से शूटिंग चलती थी, अब वहां फिल्म की शूटिंग हो रही है। पहले वहां के लोगों को उनके हक

नहीं मिलते थे, आज मोदी जी ने जम्मू-कश्मीर को कांफिडेंस दिया है। हम जम्मू-कश्मीर के युवा पहले देश के किसी भी कोने में जाएं, चाहे बेंगलुरू में जाएं या केरल में जाएं, हमें शक की नजर से देखा जाता था। जम्मू-कश्मीर का आइडेंटिटी कार्ड देखकर हमें कहते थे कि आपको होटल में कमरा नहीं मिल सकता है। मैं प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के युवाओं को पहचान दी है। हमें पहले बहुत प्रताड़ित किया जाता था लेकिन आज देश के किसी भी कोने में जाएं, हमें इज्जत की नजर से देखते हैं और सबसे पहले हमें होटल में कमरा देते हैं। आज पूरा देश समझ चुका है कि पूरी दुनिया में तीन चीजें नहीं चलती हैं ? पाकिस्तान का ईमान, चीन का सामान और इन लोगों का बयान। इन पर किसी को कोई विश्वास नहीं है। आज देश में एक ही चीज चलती है ? प्रधान मंत्री जी की गारंटी, जिस गारंटी को लेकर मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार बनी है। देश के लोगों ने जम्मू-कश्मीर से धारा 370 हटाने के विश्वास को देखते हुए प्रधान मंत्री जी को एक बार फिर से बड़ी बहुमत से जीत दिलाई है और यह एनश्योर करते हैं कि वर्ष 2024 में भी प्रधान मंत्री मोदी जी की ही गारंटी चलनी है और किसी का दोगलापन, किसी की नौटंकी, किसी का कोई ड्रामा नहीं चलना है। देश वालों ने यह भी देखा कि जो झूठ लेकर, फरेब लेकर मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए चला, उस दुकान को ताला लग चुका है। मैं प्रधान मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं और इस बिल का स्वागत करते हुए समर्थन करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।

श्री मनीश तिवारी **(**आनंदपुर साहिब**):** सभापति जी, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक आज सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, मैं अपनी बात उस पर सीमित रखूंगा। यह जो विधेयक लाया गया है, इसके दो मुख्य लक्ष्य हैं। पहले धारा 14 का संशोधन करके उसमें एक प्रोवाइजो डालना, जिसके तहत जम्मू-कश्मीर विधान सभा में सीटों की संख्या 107 से बढ़ाकर 114 की जाए। दूसरा, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, 1950 के दूसरे शेड्यूल में कॉन्सिक्वेंशियल अमेंडमेंट करना। इसके साथ-साथ इसका दूसरा लक्ष्य जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक में धारा-15 ए और 15 बी को जोड़ना है। धारा-15 ए विधान सभा में दो नामज़द सीटें कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए आरक्षित करती है और धारा-15 बी पाकिस्तान के पीओके से विस्थापित होकर जो लोग आए हैं, उनके लिए सीटें आरक्षित करती है।

सभापति महोदय, यह विधेयक जिस कानून का संशोधन कर रहा है, उस कानून को संवैधानिक तौर पर चुनौती दी गयी है और वह मामला उच्चतम न्यायालय में लम्बित है। इसलिए संवैधानिक नैतिकता का तकाज़ा यह बनता है कि एक कानून जिसकी संवैधानिकता को चुनौती दी गयी है, जब तक उसके ऊपर फैसला नहीं आ जाता, उसमें संशोधन करने वाला कोई कानून इस सदन के सामने आना ही नहीं चाहिए। इस विधेयक के संबंध में उस कानून को जो बुनियादी चुनौती है, वह यह है कि 5 और 6 अगस्त, 2019 को इस सदन में जो हुआ, संविधान उसकी अनुमति ही नहीं देता।

महोदय, संविधान की जो धारा-3 है, उसे मैं आपको पढ़ कर सुनाना चाहता हूं। धारा-3 यह कहती है ? ?
Formation of new States and alteration of areas, boundaries or names of existing States: Parliament may by law

(a) form a new State by separation of territory from any State or by uniting two or more States or parts of States or by uniting any territory to a part of any State;

(b) increase the area of any State;

(c) diminish the area of any State;

(d) alter the boundaries of any State;

(e) alter the name of any State;??

पर, संविधान यह नहीं कहता कि किसी प्रदेश को आप दो केन्द्रशासित प्रदेशों में तब्दील कर सकते हैं। इसके साथ-साथ संविधान यह भी कहता है कि कुछ भी करने से पहले उस प्रदेश की जो विधान सभा है, उसके साथ सलाह-मशविरा करना अनिवार्य है। इसलिए, जब एक कानून को कोई बुनियादी चुनौती दी गयी हो और उसके ऊपर दो महीने तक उच्चतम न्यायालय में बहस हुई हो और उसका फैसला लम्बित हो तो हमारा यह मानना है और बहुत अदब और सत्कार के साथ मेरा यह कहना है कि संवैधानिक नैतिकता यह कहती है कि इस विधेयक को इस सदन के सामने नहीं आना चाहिए। दूसरी बात, मैं जो आपके समक्ष रखना चाहता हूं, और यह बात मुझे कभी समझ में नहीं आई, जब 5-6 अगस्त को इस सदन में मैंने विपक्ष की तरफ से धारा-370 और जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक के ऊपर बहस शुरू की थी, उस समय भी मैंने इस बात का जिक्र किया था कि मार्च, 2015 में भारतीय जनता पार्टी और पीडीपी की सरकार बनती है। उनका एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम तय हुआ था, उसे ? एजेंडा ऑफ गवर्नेंस? कहते थे। मुझे उसकी तारीख ठीक तरह से याद नहीं है, शायद वह 30 मार्च, 2015 है।

उसमें एक बिंदु था कि -

?The constitutional arrangements of Jammu and Kashmir will not be disturbed.?

पीडीपी के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो समझौता हुआ था और जिस बुनियाद पर समझौता हुआ था, उस काग़ज़ पर यह लिखा गया था कि

?The constitutional arrangements of Jammu and Kashmir will not be disturbed.?

वर्ष 2015 और 2018 के बीच ऐसी क्या तब्दीली आई कि वही भारतीय जनता पार्टी उस वायदे से पीछे हट गई। मैं वर्ष 2018 का ज़िक्र इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं उस पर आऊंगा। मैं वर्ष 2019 का ज़िक्र नहीं कर रहा हूँ। 19 जून, 2018 को भारतीय जनता पार्टी ने पीडीपी की सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया था। 20 जून, 2018 को राज्यपाल शासन जम्मू-कश्मीर में लागू हुआ और 21 जून, 2018 को वहां की विधान सभा को भंग कर दिया गया। 6 महीने के बाद, 19 दिसंबर, 2018 को जब राष्ट्रपति शासन लागू किया गया, क्योंकि राज्यपाल का शासन 6 महीने से ज्यादा का नहीं रह सकता, तो उसकी जो प्रोक्लमेशन थी, उसमें एक बहुत ही अद्भुद धारा थी और उस समय किसी को समझ में नहीं आया, क्योंकि किसी को यह कल्पना भी नहीं थी कि ऐसा हो सकता है। उस प्रोक्लमेशन की धारा सी(2) में यह लिखा गया था कि भारत के संविधान की जो धारा 3 है, उसके प्रोवाइज़ो 1 और 2 को लंबित किया जाता है। यह प्रोवाइज़ो एक और 2 क्या था? यह प्रोवाइज़ो 1 और 2 धारा 3 का वह है, जिसके तहत राष्ट्रपति जी को संवैधानिक तौर पर, अगर कोई भी विधेयक संसद में आता है। ? (व्यवधान) गृह मंत्री जी मुझे बात तो खत्म करने दीजिए। ? (व्यवधान)

श्री अमित शाह **:** माननीय सभापति महोदय, मैं कल इसका डीटेल में जवाब दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मगर कल और आज के बीच में मीडिया में काफी गलतफ़हमी न हो, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस देश में राष्ट्रपति शासन डालने की शुरूआत कांग्रेस पार्टी ने की थी और जितने भी राष्ट्रपति शासन की अधिसूचना है,

सभी में संविधान की इस धारा को निरस्त कर के ही कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति शासन लागू किया है, क्योंकि अगर वह नहीं करते हैं, तो राज्य का बजट भी पारित नहीं कर सकते हैं।

ये विद्वान् वकील हैं। मुझे मालूम नहीं है कि आगे-पीछे का देखते हैं या नहीं देखते हैं या फिर इनको अचानक बोलने का एजेंडा दिया है या क्या है, मेरी समझ में नहीं आता है। मगर इस तरह की बात कम से कम वकील को नहीं करनी चाहिए। ? (व्यवधान)

प्रो**.** सौगत राय **:** क्या वह खराब किया है? ? (व्यवधान)

HON. CHAIRPERSON: Let him continue.

? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: You please continue.

? (*Interruptions*)

श्री अमित शाह **:** दादा, मैंने यह नहीं कहा है कि वह खराब किया है। वह ज़रूरी इसलिए है क्योंकि बाद में स्टेट असेंबली का जो बजट पारित करने का अधिकार है, वह भी पार्लियामेंट को नहीं मिलता है तो स्टेट कहाँ से, कैसे चलेगा**?** यह रिक्वायरमेंट है। ? (व्यवधान) मगर आप तो नहीं समझ सकोगे, यह मुझे मालूम है। लेकिन आपकी बात से और लोगों को कोई मिसअण्डरस्टेण्डिंग न हो, इसलिए मैं खड़ा हुआ हूँ।

श्री मनीश तिवारी**:** सर, मैं गृह मंत्री जी की व्यक्तिगत तौर पर बहुत इज़्ज़त करता हूँ। मुझे मालूम है कि ये काफी अध्ययन करते हैं। परंतु जहाँ तक मेरी जानकारी है, संविधान की धारा 3 का बजट से कोई लेना देना नहीं है। ? (व्यवधान)

श्री अमित शाह **:** मनीष जी, एक मिनट रुकिए । मैं धारा 3 की बात ही नहीं कर रहा हूँ। आपने कहा कि राष्ट्रपति शासन में सी(2) का डिलीट कर के यह किया गया है, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। जिस पर आप थे कि इसलिए राज्य का अधिकार ले लिया, क्योंकि धारा 370 डालनी थी। राष्ट्रपति शासन की हर अधिसूचना में यह किया जाता है।

श्री मनीश तिवारी**:** गृह मंत्री जी, आप विस्तृत तौर पर इसका जवाब दे दीजिएगा और मैं भी बाकी प्रेसीडेंशियल प्रोक्लमेशन को अपने संज्ञान में ले लूंगा। परंतु, जहां तक मेरी जानकारी है, धारा 3 का जो प्रोवाइज़ो 1 और 2 है, वह सिर्फ राज्यों के पुनर्गठन से संबंधित है और उसका बजट से कोई लेना-देना नहीं है। मेरा यह कहना है और मैं गृह मंत्री जी का इस पर जवाब सुनना चाहूंगा कि जो 5 और 6 अगस्त, 2019 को हुआ, उसकी जो नींव थी, वह 19 दिसंबर 2018 को ही उस प्रेसीडेंशियल प्रोक्लमेशन में रखी गई थी। यह चीज उस समय किसी के संज्ञान में नहीं आई।

अब 5-6 अगस्त, 2019 को जो विधेयक राज्य सभा एवं लोक सभा में पारित हुआ और उसके बाद राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली, वह आज उच्चतम न्यायालय में लंबित है। मैं एक बुनियादी सवाल पूछना चाहता हूं। यह सवाल हमारे बाकी साथियों ने भी पूछा है। अगर अपने फैसले के ऊपर इतना ही भरोसा था कि आपने जो फैसला किया है, वह जम्मू-कश्मीर के हक में किया है, जम्मू-कश्मीर के अवाम के हकूक को सामने रख कर किया है तो साढ़े

पाँच साल में जम्मू-कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं हुआ? कोई भी जो फैसला होता है, उस फैसले की जो पुष्टि है, उसका जो अनुमोदन है, वह जनता करती है और वह अनुमोदन चुनाव के जरिए होता है। मैं यह तो समझ सकता था कि एक साल चुनाव नहीं हुआ, दो साल चुनाव नहीं हुआ, ढाई साल चुनाव नहीं हुआ, परिसीमन में टाइम लग रहा है, लेकिन साढ़े पांच साल विधान सभा भंग करने के बाद चुनाव न हो और जो चुनाव हुआ भी, जब अक्टूबर 2023 में कारगिल का चुनाव हुआ, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को 22 सीट्स मिली, भाजपा को 2 सीट्स मिली, जो निर्दलीय थे, उनको 2 सीट्स मिली और 78 परसेंट लागों ने वोट डाली।

महोदय, मैं गृह मंत्री जी से एक सीधा-सीधा सवाल करना चाहता हूं और बहुत विनम्रता से करना चाहता हूं। क्या गृह मंत्री जी इस सदन को बता सकेंगे कि जम्मू-कश्मीर विधान सभा का चुनाव कब होगा? क्या लोक सभा के चुनाव के साथ होगा, उससे पहले होग, उससे बाद होगा, क्या कोई टाइम लाइन गृह मंत्री जी जम्मू-कश्मीर विधान सभा के चुनाव को लेकर इस सदन को दे सकते हैं कि नहीं?

दूसरा, अगर मेरी यादाश्त सही है, गृह मंत्री जी ने अगस्त 2019 में सार्वजनिक तौर पर यह बयान दिया था कि जम्मू-कश्मीर की जो स्टेटहूड है, जो उसका राज्य का दर्जा है, उसको बरकरार किया जाएगा। उसके बाद, जो इनके राज्य मंत्री है, उन्होंने राज्य सभा को लिखित में बताया कि जब वहां पर परिस्थितियां सामान्य हो जाएंगी, at an appropriate time when normalcy is restored, जो स्टेटहूड है, वह लौटा दी जाएगी। अब सरकार का यह मानना है और सरकार की तरफ से जितने भी वक्ता-प्रवक्ता बोले हैं, उन सबने यह बात कही है कि वर्ष 2019 से लेकर 2023 तक जम्मू-कश्मीर में परिस्थितियां सामान्य हो गई हैं। अगर परिस्थितियां सामान्य हो गई हैं, जो आपने संवैधानिक तर्जुबा किया है, आपके हिसाब से कामयाब हो गया है, तो जो राज्य का दर्जा है, उसको क्यों नहीं लौटा देते? विडंबना यह है कि जब धारा 370 और इस पुनर्गठन विधेयक के ऊपर उच्चतम न्यायालय में चर्चा चल रही थी तो यही सवाल उच्चतम न्यायालय ने भी पूछा था। उसके जवाब में सरकार के लॉ ऑफिसर ने कहा और उसको मैं कोट करना चाहता हूं-

?I am unable to give an exact time period right now for Statehood. Complete Statehood may take time as the State has faced repeated and consistent disturbances for decades together, etc., etc.,.?

एक तरफ तो गृह मंत्री जी और सरकार की तरफ से यह बयान आता है कि जैसे ही परिस्थितियां सामान्य होंगी, उसके बाद गृह मंत्री जी ने कहा कि जैसे ही विधान सभा का चुनाव हो जाएगा, उसके बाद राज्य का दर्जा वापस कर दिया जाएगा।

सरकार के वरिष्ठतम लॉ आफिसर, जब उच्चतम न्यायालय यह सवाल पूछता है तो कहते हैं कि I am unable to give a timeline. Was the law officer not properly instructed? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि जो आप आरक्षण कर रहे हैं, चाहे जम्मू-कश्मीर के विस्थापित लोग हैं या जो पाकिस्तान से आए हैं, वर्ष 1965 की लड़ाई के बाद उजड़ कर आए थे, इससे किसी को आपत्ति नहीं है। इससे हम इत्तेफाक रखते हैं। सबसे पहले प्रदेश में एक विधान सभा का गठन तो होना चाहिए। विधान सभा का गठन तभी होगा, जब चुनाव होंगे, तभी राज्यपाल कुछ लोगों को नामजद कर पायेंगे। मेरी आपसे यही गुजारिश है और अपनी पार्टी की तरफ से यही मांग है कि आप इस सदन को बताने की कृपा करें कि विधान सभा के चुनाव कब कराये जायेंगे और जम्मू-कश्मीर को राज्य का दर्जा कब लौटाया जायेगा? बहुत-बहुत धन्यवाद।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री; पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री; प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री; कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री; परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री तथा अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (डॉ. जितेन्द्र सिंह): सभापति महोदय, 5 और 6 अगस्त, 2019 को प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में, उनके दिशा-निर्देश में गृह मंत्री श्री अमित शाह जी जो विधेयक लाये थे, उसके परिणामस्वरूप यह सारा घटनाक्रम है, जिसको लेकर आज यह चर्चा हुई। हमारे बहुत सारे मित्रों ने कुछ ऐसी बातें रखीं, जो इस विषय के साथ ताल्लुक नहीं रखतीं, लेकिन उन्होंने जम्मू-कश्मीर के भिन्न पहलुओं को लेकर अपनी राय रखने का प्रयास किया है। मैं जज साहब की बात सुन रहा था, वे कानूनसाज़ भी हैं। न मुझे गुस्सा आता है, न मैं प्रोवोक होता हूं। जब वे समझा रहे थे कि आईन का मतलब क्या है, भारतीय संविधान का मतलब क्या है, बड़े विस्तार से उन्होंने करीब आधा घंटा बताया। मुझे, गालिब का वह शेर याद आया कि ?की मेरे कत्ल के बाद उसने जफ़ा से तौबा।? साठ-सत्तर वर्ष जिन्होंने हिंदुस्तान के आईन को वहां लागू नहीं होने दिया, उसकी धज्जियां उड़ाईं, उसमें रुकावट पैदा की, वे आज हमें आईन के बारे में समझा रहे हैं। ये समझाने उनको लगे, जिन्होंने तीन पीढ़ियां खपा दीं सिर्फ इस संकल्प को ले करके और जीवन समर्पण कर दिया कि हिंदुस्तान का आईन जम्मू-कश्मीर में उसी तरह लागू हो, जिस तरह से बाकी मुल्क में है।

यह कहानी सिर्फ 1947 से शुरू नहीं होती है, बल्कि उसके पहले से भी है। सन् 1947 में कांस्टीट्युएंट असेंबली की चर्चा के दौरान डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नेहरू जी से कहा था कि क्या यह जरूरी नहीं कि अनुच्छेद 370 पर पुन: विचार कर लिया जाए। दादा मुखर्जी की जीवनी से सभी बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। यह उनकी बहुत सारी पुस्तकों में भी लिखित है। नेहरू जी ने जो जवाब दिया था, उसका प्रिसाइज फ्रेज यह था कि मुखर्जी, ?Don?t be upset.? यह धीरे-धीरे, घिसते-घिसते घिस जायेगी। बाद में 1963 में इसको लेकर फ्लोर पर बहस हुई। ? (व्यवधान) पंडित जी के कार्यकाल के दौरान 1963 में जब यह चर्चा में आया, तो पंडित जी ने उस समय स्वयं भी कहा था कि अब धारा को जाने का वक्त आ गया है। नेहरू जी ने कहा था कि यह धीरे-धीरे, घिसते-घिसते घिस जायेगा। तब से लेकर अब तक ये घिसा नहीं सके, बल्कि इसको न घिसाने में एक वेस्टेड इंट्रेस्ट बन गया। यह कायम रहे, उसी में उनको लगा कि हमारी पीढ़ी दर पीढ़ी, पारिवारिक प्रभुसत्ता चलती रहेगी। उसको अगर घिसाने का काम नेहरू जी ने की ओर से अधूरा रह गया था तो उसे मोदी जी ने किया तो हमें मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी को मोदी जी का धन्यवाद करना चाहिए कि आप यह विधेयक लाए, हमसे नहीं हो पाया था, हमारी मजबूरियां थीं, हमारी राजनीतिक मजबूरियां थीं, हम कमजोर पड़ गए थे, हम परिवारवाद के आगे कमजोर पड़ गए थे, हम स्वार्थ के आगे कमजोर पड़ गए। हम चाहते थे कि हमारे बाद बेटा, बेटा के बाद बेटी बने। लेकिन आपने संकल्प, मर्यादा और सिद्धांत का पालन किया। उस समय से लेकर सन 1947 में कस्टीट्यूएंट असेम्बली, फिर उसके बाद आजादी के वक्त, Then, there is a series of events which the history describes as Nehruvian blunders.

वर्ष 1947-48 में जब बाकी राज्यों का विलय हो रहा था, जम्मू-कश्मीर के विलय में समय लगा, विलंब हुआ। क्यों विलंब हुआ? He understood Jammu and Kashmir better than Sardar Patel and he did not allow his own Home Minister and intruded into his jurisdiction and his domain. 560 से अधिक प्रिंसली स्टेट्स का विलय हो गया, लेकिन इसका डिले होता रहा। नेहरू जी की ओर से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष यह दबाव बढ़ता रहा कि महाराजा हरि सिंह पहले नेशनल कान्फ्रेंस को सत्ता सौंपे, शेख अब्दुल्ला साहब को एडमिनिस्ट्रेटर बनाएं, उसके बाद हम आपको फौज भी देंगे, एक्सेशन भी कबूल करेंगे। यह बात यहां तक पहुंची गई कि इसी दौरान पाकिस्तान को हमला करने का मौका मिल गया। हमारे कितनी बहुमूल्य जानें वहां शहीद हुईं। फिर नेहरू जी ने ही 1948 में यूएनओ में जाकर यह बात रखी, इसकी कोई आवश्यकता

नहीं थी। The instrument of accession was same for all the princely States. It was not different for Maharaja Hari Singh and it was not different for Jammu and Kashmir. There was no provision of plebiscite in any of the other princely States. Why did the Prime Minister have to make this commitment and create a wrong precedent? इस प्रकार के बहुत सारे प्रदेश थे, हैदराबाद भी था। अभी ओवैसी साहब यहां से उठकर चले गए हैं। उसके बाद जब यह सिलसिला आगे चला, 1950 में पंडित प्रेमनाथ डोगरा के नेतृत्व में प्रजा परिषद आंदोलन शुरू हुआ। श्यामा प्रसाद मुखजी के बारे जैसे सौगत दा कह रहे थे, 11 मई, 1953 को जम्मू-कश्मीर में दाखिल होते हैं। उन्होंने रात अमृतसर में गुजारी थी, पहले वह पूछ कर आए थे कि क्या मेरी गिरफ्तारी की कोई योजना है? I am a Member of Parliament. मैं उसी प्रकार से सहयोग करूंगा। गुरूदासपुर के एसएसपी ने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन जैसे ही वह लखनपुर पहुंचते हैं, पुल के आधे रास्ते पर पहुंचते हैं तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है।

नेहरू जी की सरकार और इस प्रकार का षडयंत्र? क्योंकि वहां सुप्रीम कोर्ट का भी जुरिस्डिक्शन लागू नहीं हुआ था। अगर उनको पहले गिरफ्तार कर लेते तो हैबियस कार्पस करने के लिए बलराज मधोक और दूसरे साथी तैयार थे, लेकिन वह चीज न हो पाए, इसलिए यह षडयंत्र रचा गया। आप देखिए, किस प्रकार का खिलवाड़ किया जा रहा था। फिर वहीं से उनको रातों-रात श्रीनगर ले जाया गया, 40-44 दिनों के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई। उसकी कोई बहुत ज्यादा छानबीन नहीं हुई, हालांकि उनकी माता जी ने नेहरू जी को पत्र भी लिखा था। लेकिन वह दूसरी कहानी है। कहने का तात्पर्य यह है कि अनुच्छेद 370 जब लग गया और उसके जाने के ऊपर बहुत ज्यादा आपत्ति व्यक्त की जा रही है या वे लोग जो अनुच्छेद 370 के जाने को लेकर कह रहे हैं कि उससे क्या नुकसान हुआ, वास्तव में अनुच्छेद 370 का सबसे अधिक दुरुपयोग उन्होंने ही किया।

The greatest abuse or misuse of Article 370 was done by the greatest protagonists of Article 370. विज्ञान के छात्र होने के नाते हमें समझाया गया कि बिना तर्क के बात नहीं करनी। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं, मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। सन् 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने इमेरजेंसी लगाई, बहुत से अमेंडमेंट्स आए, एक था 42 और 43, which became quite infamous, जिसमें एम्बलम का भी जिक्र था। इसके अंतर्गत विधान सभाओं और लोक सभा का अवधि काल पांच से छ: साल कर दिया गया क्योंकि उनके पास इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी कि अभी चुनाव करने के लिए समय अनुकूल नहीं है और अधिकतर राज्यों में कांग्रेस की सरकारें थीं। इसके बाद वर्ष 1977 में सरकार बदल गई। इस दौरान जब यह अमेंडमेंट लाया गया तब जम्मू-कश्मीर में नेशनल कांफ्रेंस की सरकार थी, उसे तुरंत अपना लिया गया। हालांकि जम्मू-कश्मीर के आईन के तहत यह अधिकार था कि यह फैसला करे कि सैंटर का कौन सा रूल अपनाना है या नहीं अपनाना है, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। अब रोचक फॉलोअप देखिए, तीन साल के बाद वर्ष 1977 में मोरारजी भाई प्रधान मंत्री बनते हैं और सारे अमेंडमेंट्स रिव्यु किए जाते हैं तब यह धारणा बनती है, व्यु बनता है कि इस प्रकार का संशोधन लोकतंत्र की भावना और लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुकूल नहीं था। शायद मनीष जी को बेहतर याद होगा, 45th and 46th amendments were brought in after the 42nd amendment. यह रिवर्स हो गया। छ: साल का अवधि काल पुन: पांच साल हो गया। देश भर की सारी विधान सभाएं पांच साल तक रहीं, लोकसभा पांच साल रही और जम्मू-कश्मीर का अवधि काल छ: साल रहा क्योंकि उस समय अनुच्छेद 370 आ गया था। हमें अनुच्छेद 370 इजाजत नहीं देता कि यह कानून अपना लें क्योंकि यह जम्मू-कश्मीर के हित में नहीं था। अब यह जम्मू-कश्मीर का हित था, सत्ताधारी पार्टी का हित था या परिवार का हित था, यह जनता के विवेक

पर है। यह तब तक छ: साल रहा जब तक माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने 5-6 अगस्त, 2019 को विधेयक लाए। बताइए इसका क्या उत्तर है?

महोदय, इतना ही नहीं, कहा जाता है कि अनुच्छेद 370 हमारी शिनाख्त थी, हमारी पहचान थी, हमारी आइडेंटिटी थी, हमारी कश्मीरियत पर हमला हुआ है। अब आप मुझे बताएं क्योंकि कुछ ऐसे प्रावधान सारे हिंदुस्तान में लागू हुए। हमारे यहां इतनी महिला सदस्य हैं, इसी सरकार द्वारा महिला आरक्षण कानून लाया गया। हम एक के बाद एक महिला प्रधान कानून लाए। आपको क्या दिक्कत थी कि एक समुदाय विशेष को रिझाने के लिए, उसके तुष्टीकरण के लिए डॉउरी एक्ट जम्मू-कश्मीर में नहीं लगा सके? आपको क्या आपत्ति थी कि आप चाइल्ड मैरिज एक्ट नहीं लगा सके? ? (व्यवधान) 1928 का आईन अलग है। ? (व्यवधान) महाराजा का आपने खत्म कर दिया था। ? (व्यवधान) मेरे पास उसका उत्तर है।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Minister, are you yielding?

DR. JITENDRA SINGH: I am not yielding. ? (*Interruptions*)

Dada, you do not know the subject, so please do not intervene. मैं आपको बताता हूं कि क्या सच है। Again and again, this is attributed to the Maharaja Act of 1928, which is not so. सेम सब्जेक्ट माननीय गृह मंत्री जी के प्रावधान लाने के बाद, अनुच्छेद 370 हटाने के बाद समाप्त हुआ है। ? (व्यवधान) इसके बारे में कहा जाता है कि महाराजा हरि सिंह का स्टेट्स है, जबकि यह नहीं है। ? (व्यवधान) यह इसलिए नहीं है कि इसमें अलग-अलग क्लाज़ेज थीं। क्लाज़ नंबर 1, सन् ?.. से जो कट ऑफ था, जम्मू ? कश्मीर में रहने वाला बाशिंदा है, वह यहां का नागरिक होगा। क्लाज़ नंबर 2, जो जम्मू-कश्मीर में आता है, तिज़ारत करता है, उद्योग करता है, शिक्षा में योगदान करता है, उसे आरज़ी रेजिडेंटशिप देंगे जिसका नाम इज़ाजतनामा होगा। उन दिनों उर्दू चलती थी। दस साल बाद अगर लगे कि वाकई उससे राज्य को फायदा हो रहा है तो उसे मुस्तकिल परमानेंट सिटिजनशिप देंगे यानी इकरारनामा होगा। तीसरी क्लाज़, जहां ? जहां भी महाराजा या उसकी निज़ाम को लगता है कि इस नागरिक का रहना जम्मू-कश्मीर के हित में है, तो उसे सिटिजनशिप दे दी जाएगी।

There was no blanket barrier. कृपया मुझे टोकिएगा नहीं। Sir Ram Nath Chopra, one of the founders of CSIR, जिनको अंग्रेजों ने नाइटहुड दिया था, वह कोलकाता में एक लेबोरेट्री से रिटायर हुए। Col. Ram Nath Chopra was Knighted as ?Sir?. वर्ष 1942 में, महाराजा उन्हें जम्मू लाए। ड्रग रिसर्च लेबोरेट्री कायम की, जो आज ट्रिपल आईएम, सीएसआईआर कही जाती है। हिंदुस्तान की सीएसआईआर की पहली तीन लैब्स में से वह एक है। इसके अलावा एक नैशनल फिजिकल लैबोरेट्री दिल्ली की है। उनको सिटिजनशिप दी, उनको जमीन का बहुत बड़ा रकबा दिया और उनके परिवार को वहां सेटल किया। आज भी उनकी तीसरी पीढ़ी वहां रह रही है। मैं यह बता रहा हूं कि how this is being sought to be misinterpreted to camouflage your own pitfalls. यह एक्ट वह नहीं है।

दूसरी मिसाल, फिल्म जगत की बहुत सारी हस्तियां श्रीनगर में रहती थीं। पंजाब के बहुत सारे परिवार वहां सेटल हुए। रामानंद सागर, विधु विनोद चोपड़ा, जो मेरे मित्र हैं, कॉलेज में वह मेरे सीनियर भी रहे। उन्होंने अभी ?12th Fail? फिल्म भी बनाई है। वह भी वहां जाकर बसे। शायद आपको मालूम नहीं होगा कि जम्मू-कश्मीर का पहला सिनेमा हरि टॉकीज, हरि प्रसाद नंदा के नाम पर है। बहुत से लोग समझते हैं कि वह टॉकीज महाराजा हरि सिंह

के नाम पर है। हरि प्रसाद नंदा राजीव कपूर के समधी और राजन नंदा के पिता थे। वह वहां पर नंदा क्लॉथ हाउस चलाते थे और वहां के कॉंट्रैक्टर थे। जहां जम्मू का एयरपोर्ट है, वह सारा कैन्टोनमेंट उन्होंने बनाया था। वह भी वहां के बाशिंदे थे। वर्ष 1947 के बाद वह दिल्ली आ गए। अगर मैं उनके बारे में बताने लगा, तो पूरा दिन निकल जाएगा, do not try to mix the two. एक्ट में कभी ब्लैंकेट बैन नहीं रहा, लेकिन अनुच्छेद-370 में था। अनुच्छेद-370 में बैरियर भी था। Rather, I would say that it created artificial barriers. It created mutual scepticism. इससे सभी समुदायों को नुकसान हुआ। कश्मीरी हिंदुओं के साथ कश्मीरी मुसलमानों को भी नुकसान हुआ। वह बाहर जाता, तो उसे शक की नजर से देखा जाता। उसे लगता कि मैं शायद बाकी लोगों से मुख्तलिफ हूं। So, abrogation of 370 gave a sense of esteem, a sense of belonging, and a sense of being a part of this huge Indian peninsula. सेपरेटिज्म की भावना उसी से आई और उसके बाद a long nightmare of militancy. उसमें हम यह तो नहीं कह सकते कि पाकिस्तान ने ऐसा क्यों किया? उसने तो कभी इस बात से समझौता किया ही नहीं कि जम्मू-कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा बन गया। उसने जंग भी की, कन्वेंशनल वॉर भी की, प्रॉक्सी वॉर भी की। But we are here not to discuss about what Pakistan did. Let us introspect on what we did. जो पाकिस्तान से शरारत हुई, उसको हमने अपने छोटे-छोटे मफाद के लिए हवा दी, to keep our political interests alive.

सन् 1989-1990 से यह सिलसिला शुरू हुआ, क्योंकि केवल 10 प्रतिशत वोटिंग कश्मीर घाटी में हुआ करती थी और हमारे यहां एमपी चुनकर आ जाते थे। सरकारें बनती थीं। Who were the beneficiaries of this arrangement?

आतंक के साए में चुनाव होना और उसी के साये में अपने कुछ विधायकों को जीत दिला देना, इस तरह आप पुश्त दर पुश्त अपना राज चलाते रहे। अगर फिज़ा तब खुल जाती तो ऐसा न होता। So, militancy became a vested interest, and I have no hesitation in saying this. It became a vested interest for the polity. It became a vested interest for the industry. एक रिच तबका उठकर आया। 20-25 सालों में नए अमीर वहां पर दिखने लगे। There is a huge transaction happening. उसका साइड इफेक्ट सोसायटी को झेलना पड़ा। ड्रग एडिक्शन भी हुआ, आतंक भी हुआ, कश्मीर की 3 पीढ़ियां आपने कुर्बान कर दीं। मैं किसी जाति या मजहब की बात नहीं कर रहा। The Kashmiri Muslim also suffered equally. हमें क्या हासिल हुआ? यह बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी नहीं कह रही। जो सोपोर के शायर थे, उन्होंने लिखा था कि-

?मेरे बुजुर्गों ने जन्नत जिसे बनाया था, उस जन्नत को दोजख बना दिया इसने।?

उसने तत्कालीन शासकों को कोसा। बशीर बद्र आपके मेरठ वाले ने लिखा है,

?कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से,

ये नए मिज़ाज का शहर है ज़रा फ़ासले से मिला करो।?

यानी, हम किस समुदाय के पक्ष में बात कर रहे हैं, किस कश्मीर क्षेत्र के पक्ष में बात कर रहे हैं और किन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं? हम केवल अपने और अपने परिवार तथा चंद एक जमात को आगे बढाए रखने के लिए, उसको कायम रखने के लिए हमने इन सारी अफरा-तफरी के माहौल का फायदा लिया। Now, the time

has come not only for redemption but also for retrospection and making up for what we have lost or we have done. अगर जज साहब आज इस सदन में आईन की बात करते हैं तो मुझे एक तरह से खुशी होती है। उन्होंने विस्तार से हिन्दुस्तान के संविधान को हमें समझाया। वे खुद एक न्यायाधीश हैं और एक कोर्ट के जज रहे हैं। हालांकि मैंने एक शेर कहा कि ?मेरे कत्ल के बाद उनको समझ आई?। लेकिन, चलिए भारतीय जनता पार्टी का कुर्बानियां देने में इतिहास है। कम से कम समझ तो आया। We have served the purpose of bringing about the change of thinking in that section of polity which never took the name of the Indian Constitution.

DR. FAROOQ ABDULLAH (SRINAGAR): It is not the people who are responsible for what happened or the party that was in power. It was our neighbour. The neighbour has not accepted the accession of Jammu and Kashmir to India.

Secondly, the biggest *qurbani* was given by the National Conference. Our leaders, our Ministers, and our small workers were killed, let us not forget, for what? It was for holding the flag of India high. We have never denied that we are part of this nation, and we will remain part of this nation. Do justice to us! Do not point fingers at people who have suffered for this nation and who continue to suffer for this nation.

DR. JITENDRA SINGH: I do not have to disagree to what you say. I think it is known to all. It is hardly any guarded secret that Pakistan never reconciled to Jammu and Kashmir being part of India. I said it right in the beginning. But we are here not to discuss what Pakistan is doing, but what we are doing. एक बार एक सेमिनार हुआ था, के.एफ रूस्तम, जो बीएसएफ के सबसे पहले डीजी थे, वे आए थे और वहां पर भी यही बातें की गईं।

DR. FAROOQ ABDULLAH: I was the Chief Minister and I wanted a unified command because every intelligence, whether it is BSF, Army, local police, CRPF, was separate. I wanted a unified command where one command would be there so that these intelligence agencies could be put together and we could attack those areas firmly. What happened? The first Chief of the Army Staff did not want it. It was with great difficulty that I convinced the Government of India that we should have a unified command. Today, if your successors are there, it is because of a unified command that I created for saving the nation; not only the State but the prestige of the nation.

DR. JITENDRA SINGH: Shri K. F. Rustamji was given all these inputs and he said, ? Gentlemen, I have travelled all the way from Pune ? he was settled in there after retirement ? not to listen to what Pakistan is doing, but to understand what you are

doing?. So, that is what I am saying. Let us introspect on our roles and confess to ourselves. I have not blamed any individual but these are the facts. Dr. Sahab is a very senior person. He has been inspired to give a thought to what was said.

17.00 hrs

The question of what has happened in four or five years is repeatedly asked by everybody. साहब, पहले क्या था? वर्ष 2019 के बाद से अब क्या फर्क आया है? अब आप मुझे बताइए कि जम्मू-कश्मीर की भौगोलिक परिस्थितियां वही हैं, टोपोग्रॉफी भी कठिन है, जो उसकी नेचुरल कंसट्रेंट्स हैं, वे भी वैसी ही हैं, व्यवस्थाएं भी हैं, फिर कुछ न कुछ तो हुआ होगा, जो कल और आज में अंतर है। आप सिक्योरिटी की बात करते हैं। स्टोन-पेल्टिंग जीरो प्रतिशत हो गई। इसका मतलब है कि यूनिफाइड कमांड में भी कहीं न कहीं उस तरह से अमल नहीं हुआ करता था, जिस तरह से होना चाहिए था। जैसा राज्यपाल शासन लगने के बाद हुआ, तब सीधे-सीधे कमान गृह मंत्रालय के हाथ में आई। इसका कुछ न कुछ तो जवाब देना होगा। ये तो एक स्टडी बनेगा कि ऐसा क्या कारण है? चार सालों में ऐसा कौन-सा जादू हो गया? सिविलियन और ओवर ऑल किलिंग्स में 80-90 प्रतिशत की कमी हुई है।

अभी आप कह रहे थे कि हम कश्मीर जाते हैं, पहले भी जाते थे, अभी भी जाते हैं, लेकिन अगर आप अभी जाते हैं, तो वहां पर सवा दो करोड़ टूरिस्ट्स हैं। जम्मू-कश्मीर में पहली बार होम टूरिज्म शुरू हुआ है। मैं सात साल पूर्वोत्तर में रहा हूं। हमने मेघालय में होम टूरिज्म शुरू करवाया था, क्योंकि होटल्स नहीं थे। जम्मू-कश्मीर में होम टूरिज्म का कल्चर कभी नहीं था। डॉक्टर साहब तो इतने सालों से जानते हैं। इस बार वहां इतना टूरिस्ट आया कि लोगों ने अपने दरवाजे-किवाड़ खोल दिए, फिर भी उसकी कमी पड़ गई। ये अंतर आया है। ये लोग इसीलिए आए, क्योंकि उन्हें लगा कि वहां भ्रमण करने के लिए परिस्थितियां अनुकूल हैं।

वहां पर जी-20 का समिट हुआ। वह सबसे ज्यादा कामयाब हुआ, यह मैं नहीं कह रहा हूं, जो विदेशी डेलीगेशन आए थे, उन्होंने कहा है। डीडीसी के चुनाव हुए। वहां भारी संख्या में मतदान हुआ। वह जमाना चला गया, जब 10 प्रतिशत मतदान होता था। अब ये तो सामने हैं, ये आंकड़े हैं, ऑन रिकॉर्ड है। इसमें मैं कुछ ऐसा नहीं कह रहा हूं और मैं कहना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि मेरी क्या मजाल कि मैं इतने सीनियर लोगों को ख़फ़ा करूं?

I am just reading out the facts which are registered in the records. अभी सेन्ट्रल की स्कीम्स लागू हुई हैं। J&K is the first Union Territory or the first State in the country which has implemented 100 per cent universal Ayushman Bharat. अब मैं उन स्कीम्स के विस्तार में नहीं जाऊंगा। गृह मंत्री जी के जवाब में आपको वह मिल जाएगा। आप कश्मीरी गवर्नेंस की बात करते हैं। उसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी। कश्मीर की छवि का कुछ नहीं था। मैं आपको एक उदाहरण दे रहा हूं। मोदी जी ने देश भर में 1 जनवरी, 2016 में इंटरव्यू की प्रथा समाप्त कर दी, ताकि सरकारी नियुक्तियों में लेवल प्लेइंग फील्ड रहे, क्योंकि यह शिकायत आया करती थी कि किसी को रिटन में 100 अंक मिलते थे, तो उसको इंटरव्यू में फेल कर दिया जाता था। जम्मू-कश्मीर में ये कानून राज्यपाल शासन लगने के बाद लागू हुआ है। धारा 370 की आड़ में नहीं लगाया गया, ताकि अपने लोगों को हम कैसे नियुक्तियां दे सकें। मैं आपको एक छोटा-सा उदाहरण दे रहा हूं। वहां पर अभी सेल्फ अटेस्टेशन लागू हुआ।

अब तो खैर और भी बहुत सारे सुधार हो रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के प्रतिनिधित्व को लेकर यह बात है। I think after the partition of India, after the creation of Pakistan, the biggest exodus which has ever happened is in Kashmir, and that too within the country. It does not have the equal parallel with 1947 because that was the partition resulting from the creation of a separate State. Here within the country, you had displacement of such a huge population, leaving their homes and hearths overnight.

अगर उनको प्रतिनिधित्व दिया गया है, तो क्या यह हमारी सामूहिक जिम्मेवारी नहीं है? कोई भी राजनैतिक दल क्यों न हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस क्यों न हो, भारतीय जनता पार्टी क्यों न हो, कांग्रेस क्यों न हो, is it not our collective responsibility to restore that sanctity, their culture and tradition of Kashmir for which Kashmir is known over all the world? And is that possible in the absence of Kashmiri Pandits? कश्मीरी पंडित की अनुपस्थिति में क्या वह कश्मीर की रिवायत, कश्मीर की तहज़ीब और संस्कृति के लिए कश्मीर दुनिया भर में जाना जाता था, भूल गए। अगर यह किया जा रहा है, तो इसमें दिक्कत क्या है? इसमें आपत्ति क्या है?

अभी लद्दाख की बात आई। जामयांग जी ने बहुत सारी स्कीम्स की बात की, लेकिन वह एक महत्वपूर्ण बात भूल गए। मैं उसमें जोड़ना चाहूंगा कि सन् 1948 में सबसे पहली बार यूनियन टेरिटरी की मांग को लेकर लद्दाख का एक डेलीगेशन दिल्ली आया था। वह तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू जी से मिला था। तब से लेकर आज तक 70 साल हो गए हैं, कई प्रधानमंत्री आए, गए, कई सरकारें आईं, गईं, शायद यह हमारी किस्मत में था, लद्दाख की किस्मत में था कि मोदी जी प्रधानमंत्री बने और फिर लद्दाख यूनियन टेरिटरी बना।

This is a fact of history. This can be checked. This is the political sequence which makes us believe otherwise. इसमें बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है। अभी दादा ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात की थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत के बाद वहां पर जंग हुई। जैसा मैंने कहा कि there was a series of Nehruvian acts of omission and commission. अगर आकाशवाणी भवन जाकर नेहरू जी बिना अपने मंत्रिमंडल से परामर्श किए हुए यूनीलेट्रल सीजफायर डिक्लेयर न करते तो आज यह पाक अधिकृत जम्मू कश्मीर, भारत का हिस्सा होता, जम्मू कश्मीर का हिस्सा होता, लेकिन पीओके अलग न होता। आज गृह मंत्री को उनके लिए नोमिनेशन ही नहीं लानी पड़ती।

SHRI MANISH TEWARI: Mr. Minister, I personally have a lot of respect for you. But the archival documents which have been unveiled very clearly say that the military advice which Prime Minister Jawaharlal Nehru was receiving from his Commander-in-Chief and the General Staff was that the war had reached a stalemate. Therefore, there was no possibility of making any further gain. That is why the ceasefire happened. If you do not have faith in me, you can Google a *Guardian* article which was published just a couple of months back citing the Nehru archives and citing the advice of the Commander-in-Chief of the Indian Army who said that a stalemate had been reached and no further progress was possible. That is why a ceasefire was called.

DR. JITENDRA SINGH: I fully trust you. ? (*Interruptions*) Dada, I am not yielding. आप एक मिनट बात होने दीजिए, ऐसा नहीं है। Manish ji, I fully trust you but I will not allow myself to get distracted by this tilted argument. The fact is that the head of Government is the Prime Minister. So, it is the responsibility of the Prime Minister. हमें तो यही कहना है कि प्रधान मंत्री ने जाकर सीजफायर की घोषणा की, हमें यह नहीं कहना है कि उनको रसोई घर में किसी ने सलाह दी थी या किसी और ने सलाह दी थी तो उसको कसूरवार ठहराएंगे। The ultimate responsibility will lie on the Head of the State and the first Minister of the country. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: The entire country is watching this debate. We should not shift the blame here and there. This all happened in the British rule.

DR. JITENDRA SINGH: This matter will come up for discussion. If tomorrow somebody decides to hold an investigation into why Prime Minister Nehru went and declared ceasefire, we can give this argument: ?So and so advised him; he was misguided?, etc. etc. But the fact of the matter is, as the whole world saw, it was the Prime Minister speaking on the Akashvani. So, that is what the entire world knows. ? (*Interruptions*)

Therefore, not taking much time, अब यह बात आ रही है कि आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? शुरू से ही यह वाक्य शुरू हुआ। मुझे लगा कि यह सवाल ट्रेजरी बैंच से पूछा जा रहा है या इलेक्शन कमीशन से पूछा जा रहा है? You can ask the Election Commission but not here. हम तैयार हैं। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता 24x7x365 कोई भी चुनाव हो, पंचायत का चुनाव हो, विधान सभा का चुनाव हो, लोक सभा का चुनाव हो, इस तरह से सक्षम है कि उसको रात को सोते हुए भी जगा लें तो उठकर भारत माता की जय कहकर निकल पड़ता है। हमारी तरफ से इनकार नहीं है। एक उचित प्रणाली है। हम संवैधानिक संस्थाओं में दखल नहीं देते हैं। Possibly your thought is conditioned by what the UPA was doing, what the Congress was doing. You were dictating the constitutional bodies. We do not ? (*Interruptions*)

DR. FAROOQ ABDULLAH: Mr. Minister, the Election Commission said that there is a void and this void has to be filled quickly to hold election. Why do you not hold elections? ? (*Interruptions*)

DR. JITENDRA SINGH: Absolutely, Sir. Whenever the Election Commission announces, we are ready. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Hon. Members, I think, tomorrow the Home Minister is going to reply.

? (*Interruptions*)

DR. JITENDRA SINGH: I am going to conclude. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Legitimate questions were asked by Manish and you. I think, the answer will be given by the Home Minister tomorrow.

? (*Interruptions*)

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): I would like to know whether there is any provision, or anything from this Government, that the Government would not be able to persuade the Election Commission until such a situation has come that election needs to be held. ? (*Interruptions*)

HON. CHAIRPERSON: Adhir, hon. Minister is participating in the debate. The reply has to be given by the hon. Home Minister. Questions have already been raised.

DR. JITENDRA SINGH: The Election Commission has its own mechanism of gathering inputs as per its requirement and then it takes a final call. So, let us all trust the wisdom of the Election Commission and not appear to be interfering in its functioning. Maybe, UPA was doing it, Congress was doing it. They think that we also do it but we do not do it.? (*Interruptions*)

DR. FAROOQ ABDULLAH: Then, why are you not holding elections? ? (*Interruptions*)

डॉ. जितेन्द्र सिंह: अब यह कहा जा रहा है कि इलेक्शन नहीं हो रहा है, संविधान लागू नहीं हो रहा है, लोकतंत्र लागू नहीं हो रहा है। But we were the Party which introduced the three-tier system. I am now concluding. डीडीसी का चुनाव पहली बार, 65-70 साल के बाद, जम्मू-कश्मीर में हुआ तो अब हुआ, आज से तीन साल पहले, तो उसमें क्या रुकावट थी। ? (*Interruptions*) No, Sir, that is a fact. You did not have Zila Parishads earlier. Why is it so? And the Parties which were ruling were swearing by autonomy and self-rule. ? (*Interruptions*) So, how can autonomy be conceivable unless it is autonomy at the ground. To me and to any student of democracy, self-rule means the rule of the ground, rule of the grassroot. Autonomy has to be born of the grassroot. It should not be the autonomy of the family or self-rule of the family. We have given true self-rule to Jammu and Kashmir. We have given true autonomy to Jammu and Kashmir. And therefore, please trust us. What happens in future also, will be in the best interests of the people of Jammu and Kashmir.

We are now heading to a very crucial 25 years before we end up in 2047, and Jammu and Kashmir has started discovering its unexplored resources. Today, we have a huge lithium store which has been discovered in Reasi. We have the world?s

highest railway bridge in Jammu and Kashmir. We have also the longest road tunnel in Asia, in Jammu and Kashmir, Chenani-Nashri which is named after Dr. Syama Prasad Mookerjee. We have the ?Purple Revolution? -- which is being talked all over the world -- from Gulmarg and Bhaderwah (Jammu and Kashmir), which is lavender. So many new avenues and resources had remained unexplored earlier. Now, thanks to Prime Minister Modi?s drive and push, and also the technology, we are discovering that. And I am sure that in the next 25 years when India reaches that pedestal, which you have envisaged, Jammu and Kashmir is going to add maximum value to achieve that target. So, we have a very critical role. I call upon all of us to become a party of that journey of ascent of India of which Jammu and Kashmir is going to play a lead role.

Thank you, hon. Chairperson, Sir.

श्री श्रीरंग आप्पा बारणे **(मावल):** माननीय सभापति महोदय, जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक, 2023 और जम्मू और कश्मीर आरक्षण विधेयक, 2023 पर अपनी पार्टी शिव सेना की तरफ से मैं बात रख रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, जम्मू और कश्मीर से अनुच्छेद 370 निरस्त करने के चार साल बाद केन्द्र सरकार ने सामाजिक बदलाव लाने का एक बड़ा कदम उठाया है। सरकार ने वंचित और पिछड़े वर्गों को दूसरे राज्यों की तरह संवैधानिक अधिकार देने की दिशा की ओर कदम बढ़ाए हैं, जिसका मैं स्वागत करता हूं।

माननीय सभापति जी, 5-6 अगस्त, 2019 में भारतीय संसद में जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 और 35 ए को रद्द किया था, जो कि केन्द्र सरकार का बहुत सराहनीय कदम था। जिसके परिणास्वरूप जम्मू और कश्मीर को केन्द्र शासित प्रदेशों जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में विभाजित किया गया है।

माननीय सभापति महोदय, माननीय प्रधानमंत्री जी का मैं आभार प्रकट करना चाहता हूं, क्योंकि कभी ऐसा नहीं लगता था कि जम्मू और कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त किया जाएगा। जम्मू और कश्मीर में जो पीड़ित हैं, उनकी हालत को देखा जाए तो जम्मू संशोधन विधेयक के जरिए केन्द्र सरकार ने प्रदेश की एसटी की सूची में पहाड़ी, गड्डा, ब्राह्मण, पदारी जनजाति और कोली समुदाय को शामिल करने का प्रावधान किया है।

यह बहुत ही सराहनीय कदम है। जब जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए थे, तब दिल्ली, बेंगलुरु और पुणे जाने का विकल्प जम्मू कश्मीर के पीड़ितों ने अपनाया था। जम्मू कश्मीर सरकार के पास उपलब्ध आँकड़ों के अनुसार वर्तमान में 46,517 परिवार हैं, जिनमें 1,58,976 व्यक्ति जम्मू कश्मीर सरकार के राहत संगठन के साथ पंजीकृत हैं, जिन्होंने पिछले तीन दशकों में पंजीकरण किया है।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि जम्मू कश्मीर का जो पीड़ित व्यक्ति है, खासकर जम्मू कश्मीर में रह रही जो पीड़ित जनजाति है, उसमें से ज्यादातर कश्मीरी हिंदुओं की हत्या हुई और कश्मीरी हिंदुओं को अन्य राज्यों में पलायन करना पड़ा। ऐसे कई सारे परिवार हैं, जिनके कुछ लोग भी आज बचे नहीं हैं।

मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि कई पार्टियों को ऐसा नहीं लग रहा था कि धारा 370 हटा दी जाएगी और जम्मू कश्मीर के परिवारों और लोगों को राहत मिलेगी। आज केवल यह राहत ही नहीं, बल्कि आगे चलकर वहां के लोगों को राजनीतिक रिजर्वेशन भी मिलेगा। आज अगर जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो लोग माननीय मोदी जी को बधाई देते हैं, क्योंकि वहां पर आज तक लोग बंदूक की नौक पर जी रहे थे। आज वहां पर लोग पूरी शांति से जी रहे हैं। जिन लोगों ने अपने हाथों में पत्थर लिए थे, उनको काम देने का प्रयास माननीय प्रधान मंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है।

इसलिए मैं माननीय प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं यहां पर यह बात भी रखूंगा कि जब सन् 1990 में यह सब हुआ, उसके बाद वर्ष 1995 में महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी और शिव सेना की सरकार बनी थी, तब बाला साहेब के नेतृत्व में पीड़ित पंडितों को, खासकर महाराष्ट्र में एजुकेशन रिजर्वेशन देने का प्रयास किया गया था। आज भी महाराष्ट्र में जितने भी पीड़ित पंडित रहते हैं, उनके घरों में बाला साहेब ठाकरे जी की फोटो है, क्योंकि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उनको एजुकेशन में रिजर्वेशन देने का काम किया है।

मैं यह भी कहना चाहता हूँ कि ऐसे कई राज्य हैं, जहां पर जाति के आधार पर आंदोलन होते हैं, जाति के आधार पर कोई बँटवारा चाहता है। मैं खासकर महाराष्ट्र की एक बात कहना चाहता हूँ कि महाराष्ट्र में मराठा समाज काफी बड़ी संख्या में है। आज मराठा समाज वहां पर आंदोलन कर रहा है। ओबीसी समाज भारी मात्रा में आंदोलन कर रहा है। इसलिए समाज-समाज में दूरी न हो, उसके लिए केन्द्र सरकार को, माननीय प्रधान मंत्री जी को उस पर ध्यान देकर समझौता करवाना चाहिए। किसी का भी रिजर्वेशन कम नहीं करके पूरी तरह से मराठा समाज के जितने भी पीड़ित लोग हैं, शैक्षणिक दृष्टिकोण से जिनको आरक्षण देने की आवश्यकता है, उसमें राज्य सरकार से मिलकर, समझौता करके मराठा समाज और ओबीसी समाज को न्याय देने की कोशिश करनी चाहिए।

माननीय मुख्य मंत्री एकनाथ शिंदे साहब जी पर लोगों को भरोसा है। वे प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैं यह कहना चाहता हूँ कि इसमें केन्द्र की तरफ से सहायता होनी आवश्यक है। मैं फिर से माननीय प्रधान मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहता हूँ, क्योंकि जम्मू कश्मीर में शांति बहाल करने का प्रयास माननीय प्रधान मंत्री जी ने ही किया है। विपक्ष के लोगों को कुछ भी कहने दीजिए, लेकिन मैं एक साल पहले जम्मू कश्मीर में गया था, तब मैंने देखा कि लोगों के दिलों का डर हट गया है। लोगों के दिल में पूरी तरह से माननीय प्रधान मंत्री जी के द्वारा सहायता करने जैसा माहौल है और जैसा कि देश से या विदेशों से जितने पर्यटक आए हैं, उतने पर्यटक इतने सालों में नहीं आए हैं। आज विदेशों से पर्यटक जम्मू कश्मीर में आते हैं और जब पर्यटक आते हैं तो पूरे देश की आर्थिक रूप से भी सहायता होती है। मैं फिर से माननीय प्रधान मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ और इन दोनों विधेयकों पर मेरी पार्टी शिवसेना की तरफ से सहमति देना चाहता हूँ।

ADV. A.M. ARIFF (ALAPPUZHA): Thank you, Sir, for giving me the opportunity to speak on the Jammu and Kashmir Reservation and Reorganisation (Amendment) Bill, 2023 to express the views of CPI(M) Party. These Bills are nothing but an attempt by this Government to keep alive the Kashmir issue ahead of coming parliamentary elections. We have no objection in providing reservation to the communities or nominating members of unrepresented communities. But that should not be for skewed political interests.

Sir, I wish to draw your attention as to how this Government has treated the Anglo-Indian community in this country by taking away the nominated seats from them in

Lok Sabha as well as State Assemblies including Kerala a few years ago, which existed there since 1951. Regarding nomination, giving the power to the Lieutenant Governor to nominate members is nothing but giving the BJP power to nominate members.

Now, I am coming to the reservation for Scheduled Tribes. We know about the double standards of the BJP Government. We have seen the Government boasting about electing the President from the Scheduled Tribe community and, at the same time, keeping her away from the inaugural ceremony of this new building of Parliament. The President is the sole custodian of the Parliament. The President gives assent to the Bills, sends summon to the Members and addresses both the Houses. So, she is the first and the most eligible person to inaugurate the new building of Parliament. But you purposely kept her away from the inaugural ceremony. Now, you are speaking about the reservation given to the Scheduled Tribes! Giving reservation to SCs and STs is nothing but a ceremonial piece like a cherry on top of the cake. But the core of it is still hatred towards the downtrodden sections. This kind of discussion was necessitated by the BJP Government?s out-of-the way decision to take away the special status of the State of Jammu and Kashmir by virtue of Article 370 of our Constitution and reorganise it into two Union Territories. We all should understand one thing. It was against the wishes of our constitutional forefathers, who had promised to keep high the aspirations of the people of Jammu and Kashmir while agreeing to join the Dominion of India.

Our ancestors have regarded Jammu and Kashmir as the crown of India at the top. But this Government has downgraded Jammu and Kashmir to the status of a clown. Only because the majority of the people are Muslims whom RSS oppose ideologically, the special status of Jammu and Kashmir was abolished, which itself shows the intolerance of the BJP Government.

I wish to remind the Government that they had also not kept the promise of holding the election of the Jammu and Kashmir Assembly as hon. Amit Shahji had promised on the floor of this House many times. I wonder when the ?appropriate time? comes. Will it come at the end of this century? This Government including its Ministers is repeating the rhetoric that it has successfully conducted the elections to the local government bodies. But what is the reality? I had been in Jammu and Kashmir as a Member of Parliament to participate in the study tour of the Standing Committee on Housing and Urban Affairs a few months back. How can this Government claim it a success with the turnout of just 15 to 20 per cent voters?

About 80 per cent of the voters did not participate in the local body elections. I could not also witness any kind of development revolution in Kashmir as claimed by this Government and Member of Ladakh excepting implementing the schemes like Jal Jeevan Mission, PMAY, Make in India etc. etc.

Sir, even after the abrogation of Article 370, the Union Government could not control the incidents of terrorism in the Valley. The terrorist activities are still continuing there. We all know that RSS has put forward four political agendas as its declared goals. The first one is the abolition of Special Status of Kashmir. The other one is the demolition of Babri Masjid alongwith the enactment of Citizenship Act to deny citizenship to Muslims on the basis of religion and finally, the Uniform Civil Code. In all respects, the BJP Government is preparing to transform India into a Hindu-religious State. We have just seen the portrayal of Dhanwantri, a Hindu God, replacing the national symbol in the logo of the National Medical Commission. It is just a beginning, Sir. The BJP Government is portraying the victory in the recently held assembly elections in Rajasthan, Madhya Pradesh and Chhattisgarh as a license to act according to its whims and fancies. I wish to remind that they still they do not have the mandate. If half of the voters of India stand united, the opposition parties have a strong chance to win.

At the end, on behalf of the family members of great martyrs of Pulwama, I urge upon the Government to conduct a free and fair judicial enquiry upon the truth revealed by the former Jammu and Kashmir Governor Shri Satya Pal Malik on the Pulwama incident.

With these words, I conclude my speech.

SHRI N. K. PREMACHANDRAN (KOLLAM): Thank you very much, Sir. I rise to support the Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 but to oppose the Jammu and Kashmir State Reorganisation (Amendment) Bill, 2023.

Sir, when Jitendra Singh ji was speaking and Sougata Ray ji was rightly commenting from this side also, he was specifically narrating the first Prime Minister of India, Pandit Jawaharlal Nehru, the architect of a new India. He used a phrase ?Nehruvian blunders?. I am not going into the details of wonderful achievements made by Pandit Jawaharlal Nehru, the secular fabric and the secular symbol of India. India is the Union of India only because of Pandit Jawaharlal Nehru and Kashmir is still an integral part of India just because of the policy enunciated by Pandit Jawaharlal Nehru. It is just because of his diplomatic policies that Kashmir is

with us; otherwise, the situation of India would have been different. The present position would not have been there as far as Kashmir is concerned.

So, I urge upon the hon. Minister to kindly withdraw that word ?Nehruvian blunders? as far as this Kashmir issue is concerned. Such type of observation is not expected from a responsible Cabinet Minister.

Sir, as far as the first Bill is concerned, Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, it is absolutely a harmless Bill. The socially and educationally backward classes, definitely, have to be substituted from weak and under-privileged classes. I fully agree with it. That should be passed. There is no doubt about it.

As far as the Jammu and Kashmir State Reorganisation (Amendment) Bill, 2023 is concerned, we are all well aware that on 5th and 6th of August 2019, elaborate discussion took place regarding Article 370 and the Jammu and Kashmir State Reorganisation Bill. At that time, we had made our reservations.

Sir, I would like to know from the hon. Home Minister what the constitutional propriety of this Government is, as it is going for an amendment to a Bill which has already been made by the Parliament and is pending before the Supreme Court for final verdict? To my limited information, the hearing of the matter is already over. The matter is pending before the Supreme Court. We all know that a matter which is pending before the Supreme Court can never be discussed even in the House. That is the rule which is being observed by us. But here, what the Government is doing is this. The Government is moving an amendment to a Bill which is pending before the Supreme Court for final verdict. The hearing is over. Why do the Government not wait for the final verdict where the constitutional validity of the Bill is being questioned? It is a five-member Constitution Bench which is looking after this issue. When that matter is pending, you are bringing an amendment. This means, it is not the *bona fide* intention to give reservation to the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and also not the intention to give reservation to the Kashmiri migrants and the displaced persons. The intention of the second Bill, that is, the Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill is lacking bona fides. Hence, I oppose the Bill on that ground itself because it is a matter pending before the Judiciary. We know the Rules of Practice and Procedure. As per the Rules of Procedure and Conduct of Business in Lok Sabha, no matter which is pending before the Supreme Court can be discussed in the House. That is the precedent; that is the convention. At the same time, the Government is coming with an

Amendment Bill so as to amend a Bill which is pending before the Supreme Court. It is not good as the five-member Constitution Bench is looking into the constitutional validity of the Bill. That is the first point I would like to make.

Sir, coming to the Bill, there are two Sections ? Section 15A and Section 15B through which two new provisions are to be incorporated other than ?reservation?. Section 15A states:

?Notwithstanding anything contained in sub-section (3) of section 14, the Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir may nominate not more than two members, one of whom shall be a woman, from the community of Kashmiri Migrants, to the Jammu and Kashmir Legislative Assembly.?

By virtue of Section 15B, the Lieutenant Governor of the Union territory of Jammu and Kashmir may nominate one member from displaced persons from Pakistan occupied Jammu and Kashmir to the Jammu and Kashmir Legislative Assembly. My question is, what is this nomination? You have not reconstituted the Legislative Assembly; you are not ready for an election process; you know that the delimitation process is already complete; and almost all the formalities have already been completed. Why is there an inordinate delay in having the elections? Why is there an inordinate delay in reconstituting the State Legislative Assembly? Why are you providing this unfettered authority to nominate a particular person from a particular community to the Lieutenant Governor? It is inferring the fact that you are not going to conduct the elections. You have no proposal and no intention to have proper elections so as to put up a populistic Government in the State of Jammu and Kashmir. That is why, you are giving the authority of nomination to the Lieutenant Government. It means, you do not believe in a populistic Government. This nomination process has to be taken back. At least, the nomination of a particular person should be on the advice of the elected Government or that of the State Legislative Assembly. Unfortunately, that is not being done and this unfettered authority discretion is being provided to the Lieutenant Governor by virtue of Section 15A and Section 15B. That is totally undemocratic, which is to be opposed. I urge upon the Government to kindly review the position of nomination by the Lieutenant Governor. Instead, you may give the authority to the State Legislative Assembly so as to elect two representatives ? one from the ?Displaced Persons? category and another from the ?Kashmiri Migrants? category. That is the proper democratic way by which two persons from these two categories have to be elected. That is the second point I would like to make.

Sir, my third point is this. During the general discussion on the Kashmir issue on 5th and 6th August, 2019, an assurance was given by the hon. Home Minister, Shri Amit Shah ji that the elections will be conducted at the earliest and the populistic Government would be put in place.

I still remember he had used the words ?at the earliest?. Also, there was a genuine demand from all the corners, from all walks of life. Everybody was demanding to get back the Statehood status. That should also be considered. These were the two promises being made by the hon. Home Minister. I think the first is, at the earliest the election would be conducted and a populist Government would be put in place in place of the governance by the Lieutenant Governor. That would be done was the promise. But unfortunately -- this is at the fag end of 2023 calendar year -- even after five years of gap, the Union Government is not able to reconstitute the State Legislative Assembly and conduct the election. Then, how can you win the confidence of the people of Jammu and Kashmir? That is the question.

Why is the Government not able to conduct the election? Why are you not able to reconstitute the Legislative Assembly of Jammu and Kashmir Union Territory? Why? That itself shows that you are not able to bring back normalcy in the Union Territory of Jammu and Kashmir. Is this not the reason why the election could not be held? Is this not the reason why the Legislative Assembly could not be constituted? That is why, we are suggesting that normalcy has to be brought back. ? (*Interruptions*) Sir, I am concluding.

Almost all the Members have already spoken about this. Recently, a Commanding Officer of a battalion was killed. A Major was killed. Three Captains were killed. So many police and security personnel have already been killed. But you are claiming that the normalcy has come back. ? (*Interruptions*) Sir, this is my last point.

At the same time, a new term has been spelt out by the security forces that there is hybrid militancy. Yes, I do agree that there is no stone pelting in the Union Territory of Jammu and Kashmir but hybrid militancy is there and it is being admitted by the security personnel of Jammu and Kashmir. So, that is the reason why you are not able to hold the election and bring back normalcy in the Union Territory. My suggestion is, first you have to take the people of Jammu and Kashmir into confidence. Without taking the people of Jammu and Kashmir into confidence, you can never win over in the political and turbulent situations in the Union Territory of Jammu and Kashmir. But that is still lacking.

You are trying to take political advantage out of the Kashmir situation but not trying to win the minds and the hearts of the people of Jammu and Kashmir. Once you do that, then only you can win over the situation in the Union Territory of Jammu and Kashmir and bring back normalcy. The Government has to take positive steps or initiatives for that.

First, of the major steps to be taken to bring back normalcy is to hold the election, and the second is to give back the Statehood status to the Union Territory of Jammu and Kashmir.

With these points, I conclude. Thank you very much.

श्री असादुद्दीन ओवैसी **(हैदराबाद) :** मोहतरम चेयरमैन साहब, शुक्रिया, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मैं, The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 और The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023 की मुखालिफ़त में खड़ा हूं।

सर, ये दोनों बिल हमारे आईन के खिलाफ हैं। The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023, जो कि दूसरा बिल है, यह न सिर्फ हमारे आईन के खिलाफ है, बल्कि The Representation of People Act, 1951 के भी खिलाफ है।

सर, चूंकि वक्त बहुत कम है, इसलिए मैं इस कम वक्त में इस ऐवान के सामने इस बात को रखना जरूरी समझता हूं कि डिसप्लेस्ड पर्सन्स की जो डेफिनेशन दी गई है, इसमें मैं हुकूमत से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सच नहीं है कि 1989 में करण में, करना में, पुंछ में, राजौरी में, जब हमारी फौज वहां गई थी, तो 28 गांवों के लोग हमारे वतन-ए-अजीज़ की सरजमीं छोड़कर पड़ोसी मुल्क में चले गए? आज तक 2001 का सेंसेस, 2011 का सेंसेस यह कहता है कि ये अनइनहैबिटेटेड गांव हैं। आप उनके लिए इसमें प्रोविजन क्यों नहीं रख रहे हैं? प्रोविजन रखना जरूरी है।

जितने लोग वहां गए हैं, वे मुजफ्फराबाद में रहते हैं। ये 40,000 के करीब हैं, जिनमें से सिर्फ तीन फीसद कश्मीरी हैं, बाकी सब गुज्जर और पहाड़ी हैं। इन्होंने हमारी फौज को जमीन दी और आप उनको भूल रहे हैं? आप केवल उन्हीं लोगों के लिए प्रोविजन रख रहे हैं? इन लोगों को आप नजरंदाज कर रहे हैं।

सर, दूसरी बात यह है कि आप नॉमिनेशन करेंगे, नामज़द करेंगे। कौन नामज़द करेगा? क्या आवाम की मुंतखिब-शुदा हुकूमत की सिफारिश पर एलजी नामज़द करेगा या दिल्ली से नामज़द करेंगे? आप यहां से कंट्रोल कर रहे हैं। यह तो आईन के खिलाफ है। आप जम्हूरियत को सबवर्ट कर रहे हैं। आवाम का जो मैन्डेट है, जो फैसला है, उसे आप सबवर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं।

सर, तीसरी बात मैं यह जानना चाह रहा हूं कि आखिर क्या वजह है कि आप कश्मीरी पंडितों के लिए यह रिजर्वेशन करना चाह रहे हैं? आप कश्मीरी पंडित का नाम तो लीजिए। अगर आप यह करना चाह रहे हैं, तो यह बताइए कि कश्मीर में सिक्योरिटी थ्रेट है या नहीं है? आप कहते हैं कि कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है। जब सिक्योरिटी थ्रेट नहीं है तो फिर आप नॉमिनेशन क्यों करना चाह रहे हैं? आखिर क्यों आपके आर्टिकल 370 निकालने के बाद वहाँ पर हर महीने पाकिस्तान से दहशतगर्द आकर श्रीनगर में गोली मारते हैं, राजौरी में मारते

हैं? हर महीने 5-5 लोग मरते हैं। कैप्टन मरता है, हवलदार मरता है, लेफ्टिनेंट कर्नल मरता है, तो क्या आपने नॉर्मलसी रिस्टोर किया है? आप लोगों ने कुछ रिस्टोर नहीं किया? हमारे सिपाही मर रहे हैं, मगर आप बाजा बजा रहे हैं कि आर्टिकल 370 को निकालकर हमने अमन कायम कर दिया।

जम्मू के डोगरा लोगों का बहुत बड़ा नुकसान आपने कर दिया। 112 राइस मिल्स थे, अब सिर्फ 6 राइस मिल्स बचे हुए हैं। बताइए आपने कौन सा बड़ा तीर मार दिया आर्टिकल 370 निकालकर? पूरे पंजाब से लोग आकर जम्मू को टेकओवर कर रहे हैं। वहाँ का पॉलिटिकल इक्विलिब्रियम आपने डिस्टर्ब करके रख दिया है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स लोग, आप विंटर में सेक्रेटेरिएट मुख़तलिफ करते थे। पूरी जम्मू की इंडस्ट्री को आपने बर्बाद कर दिया है। सारे होटल खाली हैं। मैं आखिरी बात कहना चाहता हूँ, मैं हुकूमत से जानना चाह रहा हूँ कि आपके इंडस्ट्रियल एस्टेट में क्या आपने एक कमरा भी बनाया है? अंबानी साहब हैं, अडाणी साहब हैं, टाटा साहब हैं, सब हैं, लेकिन आपने वहाँ पर एक कमरा नहीं बनाया। एमओयूज तो करोड़ों रुपये के हो गए, आपने ख्वाब तो इतने दिखाए, लेकिन बेचारे कश्मीर के लोगों के वे ख्वाब तो पूरे नहीं होते हैं। आप जम्मू में करके दिखाइए, श्रीनगर तो दूर की बात है। आखिर में मैं हुकूमत से जानना चाहता हूँ कि आप इलेक्शन कब करवाएंगे? 2024 का इलेक्शन तो आप करवा लेंगे। आपने जरीमैंडरिंग करके वहाँ पर कांस्टीट्यूएंसी तो बना दीं, लेकिन अब भी आपको डर हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जम्मू में नहीं जीत पाओगे, वैली तो दूर की बात है। वैली में तो मुझे यकीन है कि नेशनल कांफ्रेंस और सब लोग निकाल लेंगे। आप जम्मू भी लूज करेंगे।? (व्यवधान)

डॉ. निशिकांत दुबे : आप नहीं लड़ेंगे। आप जम्मू-कश्मीर में नहीं लड़ेंगे।

श्री असादुद्दीन ओवैसी : आपकी हमारी डील नहीं हुई है। ये बोल देंगे कि डील हो गई। हमारा हाल तो लैला का हो चुका है।

सर, हम नहीं गए तो भी आप लोग मध्य प्रदेश जीत गए। आप मेरे बगैर मध्य प्रदेश कैसे जीत गए? ? (व्यवधान)

सर, मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। निशिकांत जी को छेड़खानी करने की आदत है। अब उनको जवाब मिल गया है।

मैं हुकुमत से जानना चाह रहा हूँ कि आप असेंबली के इंतिखाबात कब करवाएंगे? आप क्यों लद्दाख में उनको सेफ्टी दे रहे हैं। आपने आर्टिकल 370 निकाला क्यों? लद्दाख का लोकल बॉडी का इलेक्शन तो आप हार चुके हैं। आप फौरन इंतेखाबात करवाइए ताकि वहाँ पर जम्हूरियत बहाल हो सके। आप कब तक दिल्ली से हुकुमत करेंगे? इसलिए मैं इन दोनों बिल्स की मुखालफत करता हूँ। शुक्रिया।

[جناب اسدالدین اویسی (حیدرآباد): محترم چیرمین صاحب، شکریہ آپ نے مجھے بولنے کا موقع دیا۔ میں، **The Jammu and Kashmir Reservation (Amendment) Bill, 2023 and The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023** کی مخالفت میں کھڑا ہوا ہوں۔

سر، یہ دونوں بِل ہمارے آئین کے خلاف ہیں، **The Jammu and Kashmir Reorganisation (Amendment) Bill, 2023** جو کہ دوسرا بِل ہے، یہ نہ صرف ہمارے آئی کے خلاف ہے، بلکہ **The Representation of People Act, 1951** کے بھی خلاف ہے۔

سر، چونکہ وقت بہت کم ہے، اس لئے میں اس کم وقت میں اس ایوان کے سامنے اس بات کو رکھنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جو ڈِسپلیسڈ پرسنس کی جو ڈیفنیشن دی گئی ہے، اس میں، میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا یہ بات سچ نہیں ہے کہ 1989 میں کرن میں کرنا میں، پونچھ میں راجوری میں جب ہماری فوج وہاں گئی تھی، 28 گاؤں کے لوگ ہمارے وطنِ عزیز کی سر زمین چھوڑ کر پڑوسی ملک چلے گئے ؟ آج تک 2001 کی مردم شماری، 2011 کی مردم شماری یہ کہتی ہے کہ یہ ان اِنہیبیٹیٹد گاؤں ہیں۔ آپ ان کے لئے اس میں پرووِیزن کیوں نہیں رکھ رہے ہیں؟ پرووِیزن رکھنا ضروری ہے۔

جتنے لوگ وہاں گئے ہیں، وہ مظفرآباد میں رہتے ہیں۔ یہ 40000 کے قریب ہیں، جب میں سے صرف 3 فیصدی کشمیری ہیں، باقی سب گجر اور پہاڑی ہیں۔ انہوں نے ہماری فوج کو زمین دی اور آپ ان کو بھول رہے ہیں؟ آپ صرف انہیں لوگوں کے لئے پرووِیزن رکھ رہے ہیں، ان لوگوں کو آپ نظر انداز کر رہے ہیں۔

سر دوسری بات یہ ہے کہ آپ نومینیشن کریں گے، نامزد کریں گے۔ کون نامزد کرےگا؟ کیا عوام کی منتخب شدہ حکومت کی سفارش پر ایل۔جی۔ نامزد کریں گے۔ یا دہلی سے نامزد کریں گے؟ آپ یہاں سے کنٹرول کر رہے ہیں۔ یہ تو آئین کے خلاف ہے۔ آپ جمہوریت کو سپورٹ کر رہے ہیں ۔ عوام کا جو مینڈیٹ ہے، جو فیصلہ ہے، اسے آپ سپورٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔

جناب، تیسری بات میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کشمیری پنڈتوں کے لئے یہ ریزرویشن کرنا چاہ رہے ہیں؟ آپ کشمیری پنڈتوں کا نام تو لیجیئے۔ اگر آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں، تو یہ بتائیے کہ کشمیر میں سیکیوریٹی تھریٹ ہے یا نہیں ہے؟

آپ کہتے ہیں کہ کوئی سیکیوریٹی تھریٹ نہیں ہے۔ جب سیکیوریٹی تھریٹ نہیں ہے تو پھر آپ نومینیشن کیوں کرنا چاہ رہے ہیں؟ آخر کیوں آپ کے آرٹیکل 370 نکالنے کے بعد وہاں پر ہر مہینے پاکستان سے دہشت گرد آکر سری نگر میں گولی مارتےہیں، راجوری میں مارتےہیں؟ ہر مہینے 5-5 لوگ مرتے ہیں۔ کیپٹین مرتا ہے حولدار مرتا ہے، لیفٹیننٹ کرنل مرتا ہے، تو کیا آپ نے نارملسی ری اسٹور کیا ہے؟ آپ نو کچھ ری اسٹور نہیں کیا ہے؟ ہمارے سپاہی مر رہے ہیں، مگر آپ باجا بجا رہے ہیں کہ آرٹیکل 370 نکال کر ہم نے امن قائم کر دیا۔

جموں کے ڈوگرا لوگوں کا آپ نے بہت بڑا نقصان کر دیا۔ 112 رائس ملس تھیں، اب صرف 6 رائس ملس بچی ہیں، بتائیے آپ نے کونسا بڑا تیر مار دیا آرٹیکل 370 نکال کر؟ پورے پنجاب سے لوگ آ کر جموں کو ٹیک اوور کر رہے ہیں۔ وہاں کا پولیٹیکل اِکویلی بریم آپ نے ڈِسٹرب کر کے رکھ دیا ہے۔ چیمبر آف کامرس لوگ، آپ وِنٹر میں سیکریٹیریٹ مختلف کرتے تھے۔ پوری جموں کی انڈسٹری کو آپ نے برباد کر دیا ہے۔ سارے ہوٹل خالی ہیں۔ میں آخری بات کہنا چاہتا ہوں، میں حکومت سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ کے انڈسٹریل اسٹیٹ میں کیا آپ نے ایک کمرہ بھی بنایا ہے ؟ ایم۔او۔یوز۔ تو کروڑوں روپئے کے ہو گئے ہیں، آپ نے خواب تو اتنے دکھائے، لیکن بے چارے کشمیر کے لوگوں کے وہ خواب تو پورے نہیں ہوتے ہیں۔ آپ جموں میں کرکے دِکھایئے، سری نگر تو دور کی بات ہے۔ آخر میں، میں حکومت سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ الیکشن کب کروائیں گے؟ 2024 کا الیکشن تو آپ کروا لیں گے۔ آپ نے جری مینڈرنگ کرکے وہاں پر کانسٹی ٹیونسی تو بنا دی، لیکن اب بھی آپ کو ڈر ہو رہا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ آپ جموں میں نہیں جیت پاؤ گے، ویلی تو دور کی بات ہے۔ ویلی میں تو مجھے یقین ہے کہ نیشنل کانفرنس اور سب لوگ نکال لیں گے۔ آپ جموں بھی لوز کریں گے۔

آپ کی ہماری ڈیل نہیں ہوئی ہے۔ یہ بول دیں گے کہ ڈیل ہو گئی ہے۔ ہمارا حال تو لیلیٰ کا ہو چکا ہے۔

سر، میں اپنی بات ختم کر رہا ہوں۔ نشی کانت جی کو چھیڑ خانی کرنے کی عادت ہے اب ان کو جواب مل گیا ہے۔

میں حکومت سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ آپ اسمبلی کے انتخابات کب کروایں گے؟ آپ کیوں لداخ میں ان کو سیفٹی دے رہے ہیں، آپ نے آرٹیکل 370 نکالا کیوں؟ لداخ کا لوکل بوڈی کا الیکشن تو آپ ہا رچکے ہیں۔ آپ فوراً انتخابات کروائیے تاکہ وہاں پر جمہوریت بحال ہو سکے۔ آپ کب تک دہلی سے حکومت کریں گے؟ اسی لئے میں ان دونوں بِل کی مخالفت کرتا ہوں۔ شکریہ]

श्री जसबीर सिंह गिल **(खडूर साहिब):** चेयरमैन साहब, आपने मुझे दी जम्मू एंड कश्मीर रीआर्गनाइजेशन एक्ट एंड दी जम्मू एंड कश्मीर रिजर्वेशन एक्ट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

जो लोगों में कन्फ्यूजन है, जो अथॉरिटीज़ में कन्फ्यूजन है, उसको दूर करने में ये एक्ट काफी मददगार सिद्ध होंगे। हम कश्मीर और कश्मीरियत की बेहतरी के लिए, वहां जम्हूरियत की स्थापना के लिए, कश्मीर की तरक्की और खुशी के लिए जितना साथ सरकार दे, हम उनका साथ देने को तैयार हैं। मगर, कश्मीर की जो जम्हूरियत है, जम्हूरी कदरें कीमतें हैं, उसको पहले सरकार को उस स्टेट को देनी चाहिए, उन लोगों को देनी चाहिए, जिसके वे हकदार हैं।

सर, कश्मीर के लोग कब से उम्मीद कर रहे हैं कब हमारे यहां चुनाव हों, हम अपनी सरकार चुन सकें। जैसे मेरे से पहले मनीष जी ने कहा था कि बिना देरी के इसकी टाइमलाइन सरकार को देनी चाहिए। सरकार की ओर से जितने लोग बोले हैं, उन सबने कश्मीर में एक शांति, पीस और तरक्की के दौर की बात कही है। अगर वास्तव में ऐसा है तो मैं समझता हूं कि वहां चुनाव कराने में कोई देरी नहीं करनी चाहिए।

महोदय, बैकवर्ड क्लास की जो नई लिस्ट है उसमें वागे, गिराथ, भट्टी, चंग, जाट, सैनी, मार्कवंस, सोची क्रिश्चियन बिरादरी में कंवर्ट होकर हिंदू वाल्मिकि से गए हैं, सुनार, तेली, हिंदू और मुस्लिम आदि जातियों को इसमें इन्क्लूड किया है। मुझे अफसोस से कहना पड़ रहा है कि पंजाब का कश्मीर के साथ बहुत पुराना रिश्ता रहा है। आज भी जब कश्मीर में कोई बम या गोली की आवाज आती है तो पंजाब के किसी न किसी घर में, किसी न किसी गांव में रोने और विलाप की आवाज आती है। पंजाब का कोई न कोई सपूत बहादुरी से कश्मीर के लिए लड़ता हुआ शहीद हो जाता है। हमारे जो जट सिख है, सैनी सिख हैं, जो सिख स्वर्णकार हैं, उन्हें इस लिस्ट से वंचित किया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्री जी से गुजारिश करूंगा कि उन्हें भी इस लिस्ट में शामिल किया जाए।

महोदय, एक बहुत अच्छे राज्य को राज्यों की श्रेणी से हटाकर यूटी में कंवर्ट किया है। उसके लिए हमने देश को बताया कि इससे आतंकवाद का खात्मा हो जाएगा और कश्मीर में तरक्की का नया दौर आ जाएगा। यह बहुत अफसोस की बात है कि जब से ऐसा हुआ है, कश्मीर की इकोनॉमी बुरी तरह मुरझा चुकी है और लॉ एंड आर्डर की स्थिति बहुत बुरी शेप में है। आपको इसका संज्ञान लेना चाहिए कि जिस तरह से कश्मीर में करप्शन बढ़ गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपने देश के लोगों को वहां प्रोजेक्ट लगाने के लिए कहा और लोग आए भी। मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि जो लोग इनवेस्ट करने के लिए गए, उन्हें जमीन की रजिस्ट्री कराने के लिए एसडीएम दस-दस लाख रुपये मांग रहे हैं। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए कि यह जो भ्रष्टाचार हो रहा है, इसका अभी से सिर कुचलेंगे तो कश्मीर के लिए अच्छा होगा।

महोदय, मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि कश्मीर में उद्योग की बहुत बड़ी जरूरत है। कश्मीर में बड़ी ब्राह्मणा ऐसी जगह थी, डॉ. जितेन्द्र सिंह जी बैठे हैं, यह जगह इनके संसदीय क्षेत्र में है, यह एक बहुत बड़ा औद्योगिक क्षेत्र था, लेकिन आज यह खत्म हो गया है। मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आपने जो दो सीटें कश्मीरी माइग्रेंट्स के लिए आरक्षित की हैं। एक सीट मकबूजा कश्मीर के लोगों के लिए की है। आपको वर्ष 2000 का मंजर याद होगा, जब हमारे 43 सिखों को चित्तीसिंह पुरा में मार दिया गया था। मेरी गुजारिश है कि यह जो माइक्रो माइनोरिटी है, कम से कम इसके लिए एक सीट रिजर्व की जाए। मुझसे पहले माननीय सदस्य ने कहा था कि आपने जो सीटें आरक्षित की हैं या भविष्य में जो भी सीट आरक्षित की जाएगी, उसे कौन नामजद करेगा। लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम लिखा है। इसका मतलब यह है कि आपके मनसूबे यह हैं कि वहां स्टेट गवर्नमेंट ही न आ जाए। जैसे राज्य सभा में भी कुछ सीटें रिजर्वेशन के लिए रहती हैं, जिसे प्रधान मंत्री रिक्मेंड करते हैं, केबिनेट रिक्मेंड करती है और प्रेजीडेंट नामजद करते हैं। ऐसा एक प्रोसस उसमें भी बनाकर रखना चाहिए कि कश्मीर के लोगों की अपनी सरकार होगी, वह रिक्मेंड करे और उन्हें ही नामजद किया जाए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि माइक्रो माइनोरिटी के लिए आरक्षित सीट की बात कही और जट सिख, सिख सुनार तथा सिख सैनीज हैं, उन्हें भी बैकवर्ड क्लास की लिस्ट का लाभ दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय पंजाब।

श्री जगदम्बिका पाल (डुमरियागंज)**:** अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका अत्यंत आभारी हूं। भारत के गृह मंत्री जी द्वारा लाए गए जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक, 2023; और जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक, 2023 के समर्थन में मैं खड़ा हुआ हूं।

महोदय, इन दोनों संशोधन विधेयकों को लाने की जरूरत क्यों पड़ी? वर्ष 2019 में, जब हमारी पुरानी पार्लियामेंट बिल्डिंग थी, उस पार्लियामेंट बिल्डिंग में एक इतिहास रचने का काम प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत के गृह मंत्री जी ने किया था और पूरे देश ने उसका स्वागत किया था। मुझे लगता है कि आज भारत के इस नए पार्लियामेंट बिल्डिंग में भारत के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी फिर जम्मू-कश्मीर के लिए एक नया इतिहास रचने का काम करने जा रहे हैं।

आज ये लोग इतनी बातें कह रहे हैं। आखिर लोग यह सवाल पूछेंगे कि इतने दिनों तक वहां असेम्बली थी, ये लोग वहां इतने दिनों तक हुकूमत में थे, बरसरे-इक्तिदार थे, सत्तारूढ़ थे, आखिर इसके बावजूद भी वहां जो बड़ी तादाद में लोग हैं, बड़ी जनसंख्या में हैं, जिन्हें आदिवासी कहते हैं, उन आदिवासियों को आरक्षण मिलने का काम क्यों नहीं हुआ था? इसका जवाब कौन देगा? आज ये नए सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसका जवाब हमारे माननीय जितेन्द्र सिंह जी ने दिया, हमारे अनुराग जी ने दिया, लद्दाख के हमारे साथी ने दिया और हमारे दूसरे माननीय सदस्यों ने दिया। इस संशोधन बिल के तीन प्रमुख उद्देश्य हैं। जो कश्मीरी माइग्रैंट्स हैं, उन्हें आरक्षण दिया जाए, राजनीतिक आरक्षण दिया जाए, जिससे ओवरऑल उनका सामाजिक-आर्थिक विकास हो सके। इस उद्देश्य के साथ मंत्री जी इस बिल को लेकर आए हैं। यह कितना पवित्र उद्देश्य है। जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं, उन्हें स्वीकार करना पड़ता है। ऐसे जो डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं, उनके लिए हम अच्छा काम कर रहे हैं। यह शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए भी है।? (व्यवधान)

श्री भर्तृहरि महताब (कटक)**:** सर, क्या ये माइग्रैंट्स हैं या डिस्प्लेस्ड हैं?

श्री जगदम्बिका पाल**:** महताब जी, ये तीन हैं - कश्मीरी माइग्रैंट्स हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं, और तीसरे शिड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। जहां तक मैं समझ पाया हूं, इन तीनों के लिए यह संशोधन बिल है। आपने तो इस बात का समर्थन किया था, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद दूंगा।

सभापति महोदय, जिस दिन जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद-370 की समाप्ति हुई थी, उस दिन 5-6 अगस्त, 2019 को जम्मू-कश्मीर के लोगों ने और पूरे देश के लोगों ने यह माना कि जम्मू-कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, अटूट हिस्सा है। उस दिन दीवाली जैसी मनाई गयी थी। लेकिन, मुझे लगता है कि जम्मू-कश्मीर में एक जो बड़ी जनसंख्या बकरवाल की है, गुजरवाल की है, आदिवासियों की है, तो वर्ष 2019 के बाद आज जब फिर से गृह मंत्री जी यह संशोधन विधेयक लेकर आए हैं और जब हम इस बिल को पास करेंगे तो यह केवल एक बिल पास नहीं होगा, बल्कि निश्चित तौर पर जम्मू-कश्मीर के आदिवासियों के घरों में दीवाली मनाई जाएगी कि भारत के पार्लियामेंट ने एक नया इतिहास रचने का काम किया है। क्या ये लोग सवाल करेंगे? ये लोग गरीबों की बात करेंगे, खेत-खलिहान की बात करेंगे, आदिवासियों की बात करेंगे, दलितों की बात करेंगे, ये बस गरीबी की बात ही करेंगे, गरीबी हटाने की बात नहीं करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि देश वर्ष 1947 में आज़ाद हुआ और हिन्दुस्तान की आज़ादी के बाद जब श्री नरेन्द्र मोदी जी भारत के प्रधान मंत्री बने, भारतीय जनता पार्टी - एनडीए की सरकार बनी तो पहली बार देश के सुदूर ओडिशा की एक आदिवासी महिला को देश के महामहिम राष्ट्रपति बनाने का हमने काम किया। हम केवल कहते नहीं है। हमने देश के महामहिम राष्ट्रपति के रूप में एक आदिवासी महिला को जब प्रतिस्थापित किया तो यह पूरे देश के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के ट्राइबल्स के लिए एक संदेश गया कि भारत इतना प्रगतिशील देश है। दुनिया में हर देश में ट्राइबल्स हैं। जो बड़े-बड़े विकासशील देश हैं, उन देशों में भी ट्राइबल्स हैं।

उन ट्राइबल्स को लगा कि भारत तो यूएसए, यूरोपियन कंट्रीज़, चाहे साऊथ एशिया हो, इनसे फार अहेड है कि आज भारत का सबसे सर्वोच्च संवैधानिक पद आदिवासी महिला को दिया जा रहा है। यह उसी पुराने सदन ने किया था। आज फिर इसी नए सदन में जम्मू-कश्मीर में जो पहाड़ियों पर रहने वाले जानवरों को चराते थे, खानाबदोश ज़िंदगी जीते थे, न उनके पास आवास था, उनको शासन, गवर्नेंस और पॉलिटिकल रिज़र्वेशन मिले, उनको वहां की यूनियन टेरिटरीज़ की असेंबली में रिज़र्वेशन मिले। आज़ादी के बाद शायद यह कल्पना रहती। यहां जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, वे इस बात का जबाव दे दें कि आखिर इतनी बड़ी तादाद आदिवासियों की थी, क्यों नहीं आपने आरक्षण दिया? चाहे आप कितने दिनों तक ही हुकूमत में रहे हों। आप यूनिफाइड कमाण्ड की बात करते हैं। जब यह बिल पास होगा, वहां के तमाम लोगों को लगेगा कि मोदी जी की सरकार एक ऐसा काम कर रही है कि जो हमारे भले के लिए है।

महोदय, यहां पर आज बहुत से सवाल उठाए गए कि आज कौन सा नया इतिहास इसमें रच रहा है। अरे! नया इतिहास? आपने देखा नहीं, यह वही जम्मू-कश्मीर है, जो अनुच्छेद 370 के समाप्त होने के पहले डिस्टर्ब रहता था। जम्मू-कश्मीर से सांसद उधर बैठे हुए हैं और वहां से आने वाले मंत्री जी भी हैं। महोदय, मैं वहां कई बार गया हूँ। पहले भी और बाद में भी जम्मू-कश्मीर जाता रहता हूँ। मुझे स्पीकर साहब ने भी वहां भेजा था। जब वहां लोकल बॉडीज़ का चुनाव हुआ, पंचायतों का चुनाव हुआ, स्थानीय निकायों का चुनाव हुआ, उसके बाद चुने हुए लोगों के प्रशिक्षण के लिए एक ओरिएंटेशन कैंप था। वहां पर भी हमें हज़ारों लोगों से मुखातिब होने का मौका मिला था। उन्होंने बताया कि वहां का जो हाई कोर्ट था, वहां भी 15 अगस्त और 26 जनवरी को हमारा तिरंगा झण्डा या राष्ट्रीय ध्वज नहीं फहराया जाता था। आज अनुच्छेद 370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर के हर गांव की पंचायतों पर तिरंगा फ़हराने का काम हुआ है। यह नया इतिहास रचने की बात हो रही है। महोदय, पिछले दिनों जब ?मेरा माटी-मेरा देश? का एक अभियान चला और फिर तिरंगा यात्रा वहां पर निकली, यह अभी अगस्त 2023 की बात है, वहां जिस तरह से तिरंगा यात्रा निकली तब वहां देश के अन्य राज्यों से कोई नौजवान नहीं गया, उस पूरे कश्मीर का युवा-युवतियों का जो हुज़ूम निकला, उसने पूरे देश को यह साबित कर दिया कि इससे

लगता है कि अब कश्मीर में शांति हो रही है, जहां अतीत के उग्रवाद की परछाइयां थीं, वे विकास की रोशनी में तब्दीली हो रही हैं।

महोदय, आज कश्मीर किस तरफ बढ़ रहा है? ये लोग उद्योग, किसान और बिजली की बात करेंगे? अरे! किसी चीज़ को तो आप ध्यान से देखो? हमने यहां से बजट दिया और वहां उप-राज्यपाल मनोज सिन्हा जी के नेतृत्व में क्या विकास हो रहा है, यह आप देखिए। आप किसानों की बात कर लीजिए। जब मैं बात करता हूँ तो हमेशा रिकॉर्ड्स पर करता हूँ, आंकड़ों पर करता हूँ। पहले ऐसा लगता था कि जिस तरीके 70 प्रतिशत ज़मीनें वहां बोई ही नहीं जाती थी। वहां उग्रवाद की इतनी बड़ी परछाई थी। लोग अपनी ज़िंदगी की हिफ़ाज़त और सलामती की दुआ ईश्वर-अल्लाह से करते थे, प्रार्थना करते थे कि हमारी ज़िंदगी सही सलामत रहे। किसी औरत का पति अगर बाहर गया तो सूरज ढलने के पहले वह अपने सुहाग की थाली सज़ाए इंतज़ार करती थी कि हमारा सुहाग सही-सलामत लाल-चौक से लौट आए। जम्मू-कश्मीर की यह स्थिति थी। आज अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद जिस तरीके से पिछले रबी सीज़न में कश्मीर डिविज़न में पहली बार वहां पर सरसों की 1.43 लाख हैक्टेयर में खेती हुई है। समझिए कि जम्मू-कश्मीर में येलो रेवोल्यूशन आया है। किसानों के लिए यह काम हुआ है। यहां जस्टिस मसूदी साहब बैठे हुए हैं और पूर्व मुख्य मंत्री साहब भी बैठे हैं। यह अपने आप में एक रिकॉर्ड है। साथ ही, एग्रीकल्चर में यह भी रिकॉर्ड है कि आज कश्मीर के जो किसान हैं, वे देश में 5^{th} लार्जेस्ट इनकम अर्निंग फार्मर्स हो गए हैं। इसके लिए तो आपको तालियां बजानी चाहिए।

हम स्वागत करते हैं कि जम्मू-कश्मीर का किसान आज इस तरीके से देश के साथ तुलना कर रहा है। आप इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं, पहले लोग अपने घरों में कैद रहते थे, बिजली की कोई खपत नहीं थी, शाम के पहले दुकानें बंद हो जाती थीं, इस बात का सबूत है कि वहां शाम के बाद दुकानें नहीं चलती थी। आज जब डेवलपमेंट हो रहा है तो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ रही है।

HON. CHAIRPERSON: Hon. Member, it is already six o?clock, you can continue tomorrow. The House stands adjourned till 11 o?clock tomorrow.

18.00 hrs

The Lok Sabha then adjourned till Eleven of the Clock on

Wednesday, December 06, 2023/Agrahayana 15, 1945 (Saka).

---

* Available in Master copy of Debate, placed in Library.

* Not recorded.

*Available in Master copy of Debate, placed in Library.

* Not recorded.

** English translation of the Speech originally delivered in Tamil.